खण्ड-276, अंक-6
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1891
(24 मार्च, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---४१४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेशप्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उचित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगल, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशदत्त, बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्रसिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बादू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदर्नासिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद ह न खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वजसिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्त न सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबानसिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद असी खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी श्री)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीरसिंह यादव, श्री
रणंजयसिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती

राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन , श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
ललन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लालाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुरसिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री

शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
ि व प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री श्री मंगला प्रसाद भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के सम्बन्ध में शासन से समझौते की शर्तें

**१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में माध्यमिक शिक्षकों तथा सरकार के बीच कोई समझौता हुआ था, यदि हां तो उसमें सरकार द्वारा उनकी क्या-क्या शर्तें स्वीकार की गई थीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

जी हां। समझौते की शर्तें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४७–४५१ पर)

**२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित सुविधाओं की विज्ञप्ति शासन द्वारा प्रसारित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब तक या क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वेतन पुनरीक्षण एवं मंहगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश शासन द्वारा क्रमशः मार्च १५ तथा १६, १९६९ को निर्गत किये जा चुके हैं। प्रत्येक की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४७–४५१ पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के समान मंहगाई-भत्ता देने की नीति गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के साथ भी स्वीकार की है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी तो ऐसी बात नहीं है। सरकार विचार कर रही है कि उनके समान उन्हें भी मंहगाई-भत्ता सरकार दे सके।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सरकार ने अध्यापकों के सम्बन्ध में एक नये वेतन-मान की घोषणा की है, जिससे इस वक्त वह असन्तुष्ट हैं, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी दशा में वह उसे पुनरीक्षित करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, वह विचार में है और उसका पुनरीक्षण हो भी गया है।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो सूची संलग्न है प्रश्न के उत्तर के साथ में दोनों प्रश्नों के बारे में, उसके डिटेल्स क्या हैं, पृथक्-पृथक् बताने की कृपा करें ?

श्री रामजी लाल सहायक---

(१) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मंहगाई-भत्ते में वृद्धि प्रदान कर दी जायगी, जो राज्य कर्मचारियों को अगस्त १, १९६८ से दी गई है।

(२) इन शिक्षकों के वेतन-मान इस प्रकार पुनरीक्षित किये जायंगे कि उनका निम्नतम वेतन तथा उनके राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के निम्नतम वेतन के मध्य के लगभग होगा तथा उच्चतम वेतन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उच्चतम वेतन के समान होगा।

(३) इन शिक्षकों को समय से वेतन दिलाने के लिये यथाशीघ्र शासन प्रबन्ध करेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योग्यता के अनुसार वेतन भी गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों को भी वही मिले जो सरकारी सस्थाओं के शिक्षकों को मिलता है, इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राम जी लाल सहायक---

इस बात पर सरकार विचार कर रही है और इसमें यह बात आ रही है कि योग्यता और कार्य दक्षता के अनुसार वेतन दिये जाने का प्रबन्ध हो।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो वृद्धि सरकार ने ४-२-६९ से की है, वही वृद्धि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को भी मिलेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

यह भी सरकार के विचार में है।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो वेतन मान उन्होंने उनके लिये स्वीकार किया है, जैसी घोषणा हुई है जिसमें दक्षतारोध ४/५ है, वह साधारण दक्षतारोध प्रणाली के विरुद्ध है या नहीं ? क्या वह दक्षता रोध साधारणतया अधिक है या नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन पर पुर्नविचार करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

यह तो मैं कह चुका हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---

अब तक देखा यह गया है कि जिन लोगों को मंहगाई-भत्ता मिलता है उन्हें शिक्षा संस्थाएं इन्क्रीमेंट नहीं देती हैं, क्या सरकार इस पर ध्यान देकर इस बात का प्रबन्ध करेगी कि जो उन्हें सरकार स्वीकार करने जा रही है उस पर वह भत्ता उन्हें मिलता रहे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसका प्रबन्ध जरूर सरकार कर रही है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सरकार के विचाराधीन अध्यापकों के ३५ दिन की हड़ताल की अवधि का वेतन दिलाने का निर्देश भी है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यापकों की मांगें सरकार के विचाराधीन कब से हैं और कब तक रहेंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उनकी बहुत-सी मांगों पर तो विचार हो भी चुका है और जिन पर विचार हो रहा है उनके लिये ऐसा अनुमान है कि उन पर भी विचार कुछ दिनों में पूर्ण हो जायेगा।

श्री ए० सी० आइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या शिक्षकों के साथ-साथ गैर शिक्षक कर्मचारियों यानी फोर्थ क्लास इम्प्लाईज जिनमें चपरासी और लिपिक आदि हैं उनके मंहगाई-भत्ते को भी बढ़ाने की कोशिश है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां। जो गैर शिक्षक इन विद्यालयों में काम कर रहे हैं उनके मंहगाई-भत्ते को तथा वेतन-मानों का पुनरीक्षण भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

इन शिक्षकों के वेतन-क्रमों में और मंहगाई-भत्ते में जो-जो वृद्धि की जा रही है उसका कुछ भाग सरकार प्रबन्ध समितियों पर लादना चाहती है। अगर लादना चाहती है तो उसका अनुपात क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसा तो अभी कोई विचार नहीं है और वह तो सरकार दे ही रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में बतलाया कि जब से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है वहीं अध्यापकों को भी दिया जायगा तो क्या वह अगस्त, १९६८ से दिया जा रहा है या जनवरी, १९६९ से ?

श्री राम जी लाल सहायक—

इस समय तो जनवरी से ही हुआ है लेकिन उसे अगस्त से दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो सरकारी अनुदान विद्यालयों को मिलता है क्या उसी में से ट्रेजरी के माध्यम से शिक्षकों को वेतन दिलाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ट्रेजरी वाली बात तो अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। इधर कुछ चेकों से देने की बात जरूर की गयी है।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नया वेतनक्रम लागू हुआ है उससे असंतोष है और अध्यापकों द्वारा बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें वह हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या सरकार की सूचना में यह है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है कि सरकार १ अगस्त, १९६८ से मंहगाई भत्ता शिक्षकों को दिलाने की व्यवस्था कर रही है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले चुकी है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने कहा कि सरकार विचार कर रही है।

माध्यमिक अध्यापकों को चेक द्वारा राजकोष से वेतन देने की मांग

*३---श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री मोहन लाल कपूर---

क्या शिक्षा मंत्री ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को चेक द्वारा राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री रामजी लाल सहायक---

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को निश्चित रूप से नियत समय पर वेतन वितरण करने के आशय की एक योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

डिग्री कालेजों के अध्यापकों की मुख्य मांगें

*४---श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री मोहन लाल कपूर---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापक जो गत पखवारे में आन्दोलन कर रहे थे उनकी मांगें क्या थीं तथा उन मांगों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

डिग्री कालेजों के अध्यापकों की मुख्य मांगें निम्नवत् हैं:---

(१) केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मंहगाई-भत्ता दिया जाय।

(२) विभागाध्यक्ष को छोड़ कर अन्य योग्यता प्राप्त अध्यापकों को २५ प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अन्दर ७००--११०० का वेतनक्रम दिया जाय।

(३) अननुमोदित पदों पर काम करने वाले अध्यापकों तथा बी० एड० विभाग के अध्यापकों के लिये भी राजकीय अनुदान दिया जाय।

(४) पूरे सेवा काल में प्रति तीन वर्षों के लिये एक वेतन वृद्धि दी जाय।

(५) ज्येष्ठ वेतनक्रम के अध्यापकों का प्रतिशत २५ से बढ़ा कर धीरे-धीरे ७५ तक कर दिया जाय, और

(६) ४००--९५० क्यू० बी०-१२५० का एकीकृत वेतन क्रम लागू किया जाय।

इन सभी मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री मोहन लाल कपूर---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्यपाल महोदय के भाषण में चेक द्वारा वेतन वितरण का जिक्र हुआ है तो क्या कोषागार से शिक्षकों को वेतन मिलेगा और इसकी व्यवस्था शीघ्र ही मंत्री जी करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सरकार ने शिक्षा निदेशक को उसके वितरित करने के आदेश दे दिये हैं और ज्यों ही वह मिल जायगा उसकी व्यवस्था की जायगी ।

श्री सत्यानन्द स्वामी---

इसमें अन्तर है । कोषागार से देने में अध्यापकों को वेतन मिलेगा और चेक द्वारा देने में कोई गारन्टी नहीं है क्योंकि अनुदान बैंक को जायगा और वहां से कोई गारन्टी नहीं है कि उनको मिलेगा या नहीं ? तो क्या कोषागार के द्वारा व्यवस्था होगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि गत जनवरी और दिसम्बर में जो हड़ताल हुई थी उसके फलस्वरूप जो समझौता हुआ था उसमें क्या यह शर्त थी कि अध्यापकों को वेतन सरकारी खजाने से ही दिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोहन लाल कपूर---

डिग्री कालेजों के अध्यापकों का आन्दोलन वापस होने से पहले अध्यापकगण शिक्षा मन्त्री महोदय से मिले थे और उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी थीं और मन्त्री जी ने उनको आश्वासन दिया था । तो मन्त्री जी बतायेंगे कि वह शर्तें क्या थीं और वह आश्वासन क्या था ?

श्री रामजी लाल सहायक---

उनकी शर्तें तो मैंने आपको पहले बतला दी । सरकार इस बात पर कार्यवाही कर रही है कि उनका बढ़ा हुआ मंहगाई-भत्ता जल्द दिया जा सके । जो शेष समस्यायें हैं उनके लिये समिति बनाने का विचार है उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सौभाग्यवती (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर के महीने में जो शिक्षकों की हड़ताल हुई थी उस समय का उनको वेतन दिया जायगा या नहीं और अगर दिया जायगा तो कब तक ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम गोपाल संड—

इन माध्यमिक शिक्षकों द्वारा जो आन्दोलन हुआ था तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा जो आन्दोलन हुआ था उस आन्दोलन के समय का वेतन और मंहगाई भत्ता मंत्री जी उनको कब तक देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह तो अभी कहा कि विचाराधीन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

स्थानीय व डिग्री कालेज के टीचर्स को हड़ताल के पीरियड की तनख्वाह नहीं मिली है तो व । मंत्री जी हस्तक्षेप करके तनख्वाह दिलाने की कृपा करेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

यह विषय और उससे संबंधित तमाम चीजें विचाराधीन हैं। जब विचार हो जायगा तो कोई कतई निर्णय इस सिलसिले में लिया जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कुछ विद्यालयों ने अपने अध्यापकों को हड़ताल के समय का वेतन दे दिया है तो बाकी ने क्यों नहीं दिया है ? सरकार ने क्या निर्देश किये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरीगढ़वाल)—

बहुत से जिलों में सरकारी आदेश द्वारा विद्यालयों को बन्द कर दिया गया तो क्या सरकार उन विद्यालयों के अध्यापकों को जो राजाज्ञा द्वारा बन्द किये गये, उनका वेतन और महंगाई भत्ता देगी।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

कदाचित् प्रश्न कर्ता का मतलब टेहरी गढ़वला के अध्यापकों से है। कल ही एक डेलीगेशन मुझ से मिला था, उसने कुछ बातें बतायीं थीं, वह मैं शिक्षामंत्री के समक्ष भिजवा रहा हूं और बाद में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उस विषय में मंत्रि-परिषद् विचार करके कतई कोई निर्णय लेगी।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

इस स्ट्राइक में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो गयी तो क्या सरकार विद्यार्थियों को हाई स्कूल-इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में विशेष रिआयत दे रही है कि जिनको उसमें बैठने की अनुमति नहीं मिल रही है वह मिल जाय ?

श्री रामजीलाल सहायक—

रिआयत दी जा रही है और उसके आदेश भी हो गये हैं।

श्री दीपनारायण—

ट्रिपिल बेनिफिट स्कीम के अध्यापकों के विषय में लागू हो रही है या नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

यह तो स्कीम चल रही है और उस पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अनुपस्थिति के रेकार्ड के सम्बंध में जो आदेश उन्होंने जारी किये हैं तो कितने प्रतिशत गैरहाजरी की उनकी तरफ से छूट दी गयी है ? तो क्या जितनी अनुपस्थिति रही वह सब कंडोन की जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

उसमें उनको १५ दिन की छूट दी गयी है ।

श्री मोहनलाल कपूर---

जब डिग्री कालेज के प्राध्यापकों ने अपनी हड़ताल वापस ली तो उस समय सरकारकी ओर से यह कहा गया था कि उनको शीघ्र बढ़ा हुआ मंहगायी भत्ता दिया जायेगा, तो सरकार वह कब से दिला रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

आप जानते हैं कि विभाग को बहुत सी कार्यवाही करनी होती है और उसमें कुछ समय लग जाता है । हम उसके लिये शीघ्रातिशीघ्र प्रयास कर रहें हैं ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

अनुपस्थिति में छूट की घोषणा अभी सदन में की गयी है, उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है जबकि परीक्षा के ७-८ दिन रह गये हैं और बहुत से विद्यार्थियों को इस कारण से परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जा रहा है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

उसकी खबर कल तक सब को लग जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जितने दिन यह हड़ताल रही, उस अविध की पूरी छूट उपस्थिति के संबंध में विद्यार्थियों को न देकर, केवल थोड़ी ही क्यों दी गयी ?

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सहायक---

इसमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं जो हम कर सकते थे, वह हमने किया ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन दिलाने की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

इसके लिये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्नों के कार्य सूची में न आने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने १५ तारीख को अपने अल्पसूचित प्रश्न भेजे थे, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितना समय लगता है क्योंकि इतने दिन हो गये, फिर तो उसका महत्व ही खत्म हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आप मेरे कमरे में आ जायें, मैं देख कर बता दूंगा कि क्या जवाब आया है। वैसे उसका उत्तर ३ दिन में आ जाना चाहिये। लेकिन यह मंत्री जी पर ही निर्भर करता है। अगर वे सूचना नहीं दे सकते हैं, तो वह नहीं आता है। यह मैं फाइल देख कर बता सकता हूं, आप आ जायें कमरे में।

विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा की मांग

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शुक्रवार को सूखे पर बहस हो रही थी, दुर्भाग्य से कुछ परिस्थितिवश वह पूरी नहीं हो सकी। यह बड़ा गम्भीर और आवश्यक विषय है। कल तक ही यह सदन चलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसके लिये एक मौका आप और देने की कृपा करें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, पिछले वर्षों में ऐसे ही सूखे पर विचार के लिये एक दिन सदन के लिये मौका दिया गया था और मैं अनुरोध करूंगा कि सूखे की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और उस पर अधिकतर सदस्य जो अपने क्षेत्रों से आये हैं अपने विचार व्यक्त कर सकें। यह मौका देना चाहिये और सदन के लिये कार्यवाही बढ़ाने का मौका दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उस दिन जब सूखे के विषय पर चर्चा चल रही थी और सदन में यह व्यवस्था है कि कोई माननीय सदस्य उसमें अनुशासन भंग करे तो उन्हें निकाला जा सकता है या निलम्बित किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर अध्यक्ष महोदय का ऐसे इम्पार्टेन्ट विषय पर सदन को छोड़कर चला जाना कहां तक उपयुक्त है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि अगर यहां पर गड़बड़ होती है तो सदन के स्थगन कर देने का मेरा अधिकार है। काम होना चाहिये शान्त वातावरण में। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं ?

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मुझे दुःख है कि उस रोज ऐसी घटनायें हुईं जिसके कारण सदन स्थगित हुआ। हमें कोई ऐतराज नहीं है यदि सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सदन के स्थगन होने का मतलब खत्म होना नहीं होता है। बहस कल हो सकती है। कल शाम को इस पर विचार हो सकता है। यह सब काम समाप्त होने के बाद हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

सूखे के विषय में अपने-अपने क्षेत्र की माननीय सदस्यों को जो भी कठिनाइयां हों वे लिखित दे दें तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बता दिया है कि कल समय दे सकते हैं ।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)—

इस विषय के लिये एक घंटे का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो दो घंटे दे रहा था इस विषय पर परन्तु आप चाहेंगे तो एक ही घंटा वे देंगे । आप पहले मंत्री जी का उत्तर इस संबंध में सुन लें उसके बाद नियम यह है कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे बोल सकते हैं । इस तरह से कई लोगों को बोलने का मौका मिल सकता है । कम से कम जो मंत्री जी उत्तर देते हैं उसको सुनना चाहिये । मैं कल के लिये इसको रक्खूंगा ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

यह सूखे की समस्या इतनी विकट है कि इसके लिये आप एक दिन का सम्पूर्ण समय दें । मेरा क्षेत्र भी त्राहि-त्राहि कर रहा है । उस पर भी विचार होना है ।

श्री अध्यक्ष—

जहां से इस विषय पर स्थगन हुआ था वह जारी रहेगा । समय अढाई घंटे तक हो सकता है । जितनी बहस हो चुकी है और जितनी बहस होनी है वह सब मिलाकर समय अढ़ाई घंटे होगा ।

पायनियर तथा नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है । श्री अनन्तराम जायसवाल ने यह 'पायनियर' और 'नेशनल हैराल्ड' के विरुद्ध उठाया है । उन्होंने २० मार्च के 'पायनियर' में और २० मार्च के 'नेशनल हैराल्ड' में यह पढ़ा कि उनकी तरफ से श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया गया । यद्यपि उन्होंने यह प्रश्न नहीं उठाया था बल्कि प्रश्न उठाया था केवल श्री नित्यानन्द जी ने । उसमें उनका नाम भी जोड़ दिया गया है । इसलिये उक्त वर्तमान पत्रों के विरुद्ध उन्होंने यह प्रश्न उठाया है । मैंने उस रोज की कार्यवाही देखी । जायसवाल जी का कथन सही है लेकिन अगर कोई अखबार गलतफहमी में ऐसी गलत खबर छाप देता है तो उसका प्रतिवाद माननीय सदस्य को कर देना उचित है । मेरी समझ में गलतफहमी इस प्रकार हुई । श्री जायसवाल जी ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि "श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं जैसा कि अखबारों में छपा है उससे मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से इस सदन की अवमानना हुई है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने अपनी राय दे दी कि अवमानना हुई है । इसी कारण गलतफहमी से नित्यानन्द जी के साथ उनका भी नाम छप गया है । अगर वे अखबारों में उसका प्रतिवाद दे देते तो वह उसको भी छाप देते । मैं अखबार वालों से भी कहना चाहता हूं कि श्री जायसवाल जी ने सदन की अवमानना का स्वयं सवाल नहीं उठाया । था वह उन्होंने तब कहा जब कि मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना पर अपना फैसला दे दिया कि मैं उसकी इजाजत नहीं देता वह फैसला देने के बाद उन्होंने यह शब्द कहे थे । उससे अखबार वालों को भ्रम हो गया और वह 'पायनियर' में ही छपा है, नेशनल हैरल्ड में छपा भी नहीं है । मैं उनसे कहता हूं कि वे उसका प्रतिवाद छाप दें । ऐसी बातों में जिनमें जानबूझ कर गलत छापने का सवाल नहीं उठता । और उनको भ्रम इस वास्ते हो गया कि आपने ऐसे शब्द कहे । ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

माननीय, मेरे नाम से आपने जो यहां पढ़ कर सुनाया, वह मैंने सुना। मुझे ताज्जुब है कि यह चीज कैसे नोट हो गयी क्योंकि उस दिन मैंने अवमान का शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उस दिन यह कहा था कि "यह राज नारायण जी के ध्यान आकर्षण का प्रश्न पर माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के नियमों में ऐसा संशोधन किया जायगा जिससे उर्दू में भी हलफ लिया जा सके। मैंने आपके माध्यम से यह गुजारिश की थी कि सरकार की रद्दे अमल की प्रक्रिया क्या है, क्या यह ऐसे संशोधन के लिये तैयार है।" इसके अलावा जो हमारे नाम से निकला है वह मैंने कतई नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष---

आपका कथन मैंने जो पढ़ा कार्यवाही में दर्ज है। उसके आगे आपके यह भी वाक्य है। "मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि संशोधन करने के बारे में उनकी क्या राय है।" मैं आपको उसे सुना देता हूं। "यह बहुत महत्व का प्रश्न है और यह भी स्पष्ट है कि उस विषय पर आप पर भी केन्द्रीय सरकार की ओर से दबाव पड़ेगा। इसलिये इस बारे में सरकार का क्या रवैया होगा, यह जानना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे सरकार के रवैये से सदन को जानकारी करायें और अपनी सुविधानुसार, समय पर, ऐसा अखबारों से लगता है कि यहां पर नियमों में संशोधन भी अवश्य हो जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ नोट किया गया है मेरे नाम से, वह बहुत ही गलत है। ये सारी बातें मैंने नहीं कहीं। मैंने तो साफ-साफ यह बात कही थी कि राज नारायण जी के ध्यान आकर्षणार्थ प्रस्ताव के सिलसिले में प्रधान मंत्री ने लोक सभा में यह आश्वासन दिया है। आपके माध्यम से मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वे नियमों में ऐसे संशोधन करेंगे जिससे उर्दू में भी लोग हलफ ले सकें। उस बारे में सरकार का रद्देअमल क्या है, उस बारे में मैंने अर्ज किया था।

श्री अध्यक्ष---

कार्यवाही आपके पास करेक्शन के लिये जायगी। आप जो करेक्शन करना चाहें कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसमें तो 'कामा' 'फुलस्टाप' की गलती ही ठीक होती है। यह तो अर्थ का अनर्थ हो गया है। सदन में मैंने जो कहा ही नहीं, वह उसमें लिखा गया है। हो सकता है किसी दूसरे सदस्य की बात मेरे नाम में लिख गयी हो।

श्री अध्यक्ष---

आपने कौन सी चीज नहीं कही है?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने प्रधान मंत्री के लिये या उनके संबंध में अवमान का कोई शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया है.....

श्री अध्यक्ष---

आप ने कहा है कि जो अखबार में छपा है उससे मालूम होता है कि निश्चित रूप से इस सदन का अवमान हुआ है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

यह मैंने नहीं कहा है, सम्भव है कि ऐसा किसी और ने कहा हो और मेरे नाम से छप गया हो ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप उसका करेक्शन कर दें । आपने कोई सवाल नहीं उठाया था लेकिन अखबार में लिखा गया है कि आपने और श्री नित्यानन्द ने उठाया, आपने केवल अखबार के ऊपर थोड़ी सी टीका की और कहा कि अवमान हुआ । ठीक है कार्यवाही में आप अगर करेक्शन करेंगे तो मैं जांच कर लूंगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मैं उस दिन बोल रहा था । मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन में विरोधी पक्ष में बैठकर कांग्रेस दल ने किसानों के हित में सवा ६ एकड़ तक के लगान के विषय में संशोधन पेश किया था लेकिन आज वह उस को भूल गये हैं । मुझे इस बात से जरूर प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस के महासचिव श्री बहुगुणा ने इस अभिभाषण पर अपनी आलोचना व्यक्त की है। अखबार में छपा है कि "राज्यपाल के भाषण पर बहुगुणा द्वारा आलोचना", इसमें लिखा है कि 'प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हरिजनों, श्रमिकों, पाठयपुस्तकों आदि के संबंध में दल की घोषित नीतियों के अनुरूप कोई सक्रिय कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई ।"

श्री अध्यक्ष—

इस समय बहुगुना जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने यहां कुछ नहीं कहा है ।....

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, बाहर के हवाले यहां आते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अखबार के हवाले से मैं किसी पर टीका करने की इजाजत नहीं दूंगा, आप अपने विचार रखें ।

श्री रामचन्द्र विकल—

उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जो आधार रखकर वोट डलवाये हैं उस के अनुरूप कोई सक्रिय कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करती है इसी पर कांग्रेसी सरकार का स्थायित्व निर्भर करता है । इस से जानकारी होती है कि कांग्रेस के अन्दर भी जो नीतियां इस सरकार द्वारा जो नीतियां सम्पादित हुई हैं उनसे उन के दल में भी असन्तोष है। मैं यह कह रहा था कि संविद सरकार के जमाने की बहुत सी बातों की आलोचना लोगों ने यहां की, उस को बहुत थोड़ा सा समय मिला लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इतने कम समय में ही दोनों संविद और कांग्रेस के कार्यकाल में इतना अन्तर है जितना कि इलाहाबाद में गंगा और जमुना में है । जो फैसले संविद ने लिये उन में, राज्यपाल शासन में और जिनका आज भी जिक्र है उन में आमूल चूल परिवर्तन किये गये । भ्रष्टाचार के संबंध में जो बिल पब्लिक मेन इन्क्वायरी का था वह भी वापस लिया गया । कर्मचारियों के केसेज की भी बात है उन को दूसरे स्थानों पर रखा गया और हर तरह की नीतियों को बदलने की कोशिश की गई है । बहुत सी नीतियां ऐसी हैं कि जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†२१ मार्च, १९६९ की कार्यवाही से ।

प्रजातन्त्र के लिये उचित नहीं है। कमेटियों के चुनाव के संबंध में नामजदगियों के संबंध में जो नीति अपनाई गई है उस में क्या हुआ ? विधान सभा भंग है, राष्ट्रपति शासन में एम०एल०सीज० की नियुक्तियां की गईं। इससे कोई जनतन्त्र की भावनायें नहीं पनपतीं और अगर वह नहीं पनपतीं तो उसके हम ही जिम्मेदार और दोषी होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक वर्ष के उपरान्त विधान सभा मिल रही है। फ्रांस में जिस समय क्रांति हो रही थी वहां पर एक महीने में चुनाव हो जाता है पर हमारे प्रदेश में, जहां पर शांतिमय वातावरण है, चुनाव में एक वर्ष लग गया और इस एक वर्ष में किस प्रकार से जनतंत्र का गला घोंटा गया, किस प्रकार से जनहित की नीतियों का गला घोंटा गया, उसको आपके द्वारा मैं सदन में बताना चाहता हूं। यहां पर यह फैसला था कि हमारे प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी है और हिन्दी में काम होगा लेकिन राष्ट्रपति के शासन काल में दुबारा से अंग्रेजी में कार्य हुआ। इस प्रकार से अनेक नीतियों को बदला गया। संविद की सरकार का फैसला था कि विधान सभा सचिवालय अध्यक्ष के मातहत होगा और सरकार का इसके मामले में कोई दखल नहीं होगा लेकिन उस फैसले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारा बिल्कुल यह फैसला था कि यह सचिवालय स्वतंत्र रहेगा और सरकार के मातहत नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस फैसले को बिल्कुल बदल दिया गया।

हमने कुछ फैसले लिये थे। इंजीनियर्स की बड़ी भारी मांग थी कि उनका आदमी, टैक्नीकल आदमी को सेक्रिट्रेरियेट में रखा जाय। विद्युत परिषद् का अध्यक्ष एक इन्जीनियर बना दिया गया। अब पता चला है कि एक वैसे ही आदमी को जो कि उनकी मांग के खिलाफ था, उसको नियुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से सुना गया है कि विजीलेन्स के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। इससे मैं कह सकता हूं कि पब्लिक में जो भ्रष्टाचार मिटाने की अच्छी भावना बनी थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। यह सही है कि भ्रष्टाचार मिटाने में सब का सहयोग जरूरी है, सारे समाज का सहयोग जरूरी है लेकिन नीतियों का फर्क हो जाता है। इरादे से सब बातें होती हैं, अगर इरादा ही न हो या जो इरादा है उसको मोड़ दिया गया हो तो फिर माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार मिटाने का इरादा क्या है।

आज आप जिस संविद सरकार का मजाक कर रहे हैं देश के बड़े-बड़े विचारकों की ऐसी राय है कि जनतंत्र को अगर बचाना है तो मिलीजुली सरकार बचा सकती है, एक पार्टी की सरकार नहीं बचा सकती है। आज ही श्री कामराज जी का बयान निकला है और लोक सभा के अध्यक्ष का बयान निकला है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय विकल जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी यह कहा कि मिलीजुली सरकार ही जनतंत्र को बचा सकती हैं तो क्या पिछली संविद की सरकार, जिसमें माननीय विकल जी भी एक मंत्री थे, उन लोगों ने राष्ट्रपति शासन रिकमेंड किया, क्या ऐसी ही सरकार जनतंत्र को बचा सकती है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कमियां रही हों हमारी गलतियां रही हों लेकिन आज बिहार और मध्यप्रदेश में क्या हो रहा है, वहां पर वही दलगत नीतियां हैं, आज सारे देश की यही परिस्थिति है। असेम्बली के अन्दर ही जनतंत्र का परीक्षण होना चाहिए था। विधान सभा के अन्दर बहुमत है या नहीं, यह उत्तर प्रदेश में न करके, दिल्ली में कर दिया गया और विधान सभा भंग कर दी गयी।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इस सदन में प्रस्ताव पास किया गया कि चाहे जिसकी सरकार बने लेकिन मध्यावधि चुनाव न हों, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य की तरफ से आया था ?

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोदय, सदन में मैंने नहीं कहा था, सदन के बाहर कहा था और मैं दोषी नहीं हूं। केवल कांग्रेस से नहीं, भारतीय क्रान्ति दल से भी मुझे निवेदन करना है कि हमने १९ सूत्री कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये थे। माननीय चरण सिंह जी विरोधी दल के इस समय नेता हैं उन्होंने किसान के संबंध मे एक भाषण इसी सदन में दिया जिसमें यह कहा था कि "पिछले अर्थ शास्त्रियों की यह राय है कि मालगुजारी किसी विकासशील देश में नहीं रहनी चाहिये। इसीलिये जितने हमारे यूरोपियन देश हैं, विकासशील देश हैं उनमें और अमेरिका में मालगुजारी नहीं है।" यह सदन में चौधरी चरणसिंह जी ने कहा था लेकिन उनके संशोधन के अन्दर मालगुजारी न रहने की कोई चर्चा नहीं है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने १९ सूत्री कार्यक्रम को जिस पर उनकी स्वीकृति थी या उस वक्तव्य को, जिसमें मालगुजारी हटाने की बात थी, दृष्टि में रख कर विचार करने का प्रयत्न करें।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक गेंदा सिंह जी ने एक प्रश्न किया था कि किसानों की खांडसारी पर से उत्तर प्रदेश में पाबन्दी हटाई जाय, सरकार उस पर विचार कर रही है यह उत्तर दिया गया। जैसे मैंने सुना विचार इतना ही हुआ कि परमिट अधिक दिये जायेंगे और पाबन्दी लगी रहेगी तो जाहिर है उचित मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है बल्कि जिसने गन्ना पैदा नहीं किया उसे अधिक परमिट दे कर रुपया दिलाया जायगा। इससे पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती। पैदावार में बढ़ोत्तरी तभी होगी जब पैदा करने वाले को उचित दाम मिलेंगे। लेकिन यह नहीं होगा तो चौधरी साहब ने जो तकरीर में कहा था वैसे नहीं हो पायेगा और पैदा करने वाले को उचित दाम नहीं मिलेगा और मुनाफा उनको मिलेगा जिनको अधिक परमिट मिल सकते हैं। राजस्थान में अकाल पड़ा और यहां सस्ती हो गयी, दोनों हालतों में गरीब लूटा जा रहा है। हमें देश में मजबूरी से फायदा उठाने की बात को खत्म करना होगा। गरीबी और बेबसी से मुनाफा कमाने की नीति को खत्म करना होगा।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि पैदा करने वाले को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इससे इस देश की पैदावार नहीं बढ़ेगी। इससे देश पर आर्थिक संकट आता चला जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला पिथौरागढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदासिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद देता है" के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम जब इस मध्यावधि चुनाव के बाद इस सदन में आये हैं और पहला जो गवरनर अभिभाषण होता है उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किये थे जनता के सामने उनका अभिलेख इसमें अवश्य होना चाहिये था। जैसा कि चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि कांग्रेस ने फिरका परस्ती को उखाड़ फेंकना चाहती है, अल्पसंख्यकों के लिये स्थायी कमीशन, निष्पक्ष, स्वच्छ और सुदृढ़ शासन देने का निश्चय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, कांग्रेस शिक्षा--व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिये कृत-संकल्प है। कांग्रेस कृषि की तरक्की के लिये निश्चित कदम उठायेगी, कांग्रेस सरकार को हरिजनों की कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करना है पंचायती संस्थाओं और स्थानीय निकायों की उपलब्धियों तथा ढांचे पर विचार होगा, बिजली और उद्योग, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की रचना का मूलाधार है, श्रम कानूनों का कड़ाई के साथ पालन होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दशा सुधारी जायेगी, कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के मसलों को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार की तरह व्यवस्था करेगी, विचार-स्वातन्त्र्य ही प्रजातन्त्र की जान है, कांग्रेस गांधी जन्म-शताब्दी समारोह में स्वतंत्रता--संग्राम के स्मारक स्थापित करेगी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी भागों का समुचित विकास चाहती है, न्याय और व्यवस्था की मर्यादित और शक्तिपूर्ण रक्षा की जायेगी, ये सब वायदे जनता के सामने इस मध्यावधि चुनाव के दौरान किये गये थे। मुझे आशा थी कि इस सबका दिग्दर्शन गवर्नर के एड्रेस में दिखलायी देगा, मगर इसका जवाब

सिर्फ दो पंक्तियों में माननीय गवर्नर महोदय ने दिया है । "आपको इसके बाद यथा समय बुलाया जायगा और तभी सरकार अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को विस्तार में आपके समक्ष रख सकेगी । इस समय मैं केवल कुछ मुख्य मुख्य बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।" इसलिये मे इन बातों का विश्लेषण नहीं करता । मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि जनता के सामने जो भी आश्वासन दिये गये हैं निहायत ईमानदारी के साथ वह कार्यान्वित होने चाहिये ताकि जनता को यह विश्वास हो जाय कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इस बात का आदर आने वाले बजट के दौरान करेंगे और जितने भी आश्वासन जनता को इस चुनाव घोषणापत्र में दिये गये हैं उनको पूरा करने के लिये प्रयत्नशील होंगे । मैं जो बातें इस ऐड्रेस में कही गयी हैं उनके लिये धन्यवाद देते हुए थोड़े अपने सुझाव पर्वतीय प्रदेश के लिये खासकर और मैदानी हिस्से के लिये यदि मुझे समय मिला तो उसके बारे में देना चाहूंगा ।

जो सबसे पहली बात मैंने इसमें देखी, जिसके लिये सरकार बधाई की पात्र है वह है कुमायूं यूनिवर्सिटी का बनना । इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र एक कमेटी बनायी जाय जो इसकी रूपरेखा का निर्णय करे और यह तय करे कि यह यूनिवर्सिटी कहां बनायी जायगी और इसकी क्या रूपरेखा होगी ? फैडरल होगी या यूनिटरी होगी । दूसरा सुझाव जो इस ऐड्रेस में दिया गया है वह यह है कि थारू, भोटिया, भोक्सा, जौनसारी एवं राजी अर्थात् वनरावत समुदाय अनुसूचित अदिम जातियां घोषित कर दिये गये हैं । इनके विकास के लिये अनेक योजनायें बनायी जाने का आश्वासन दिया गया है । मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि भोटिया बन्धु जिनका तिब्बत का व्यापार समाप्त हो गया है उनके पुनर्वास की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जायगा और असहाय तथा उपेक्षित महिलाओं के लिये आश्रम एवं प्रशिक्षण कर्मशालायें आदि बनाने के लिये इसमें कहा गया है । पर्वतीय प्रदेश में इसकी समस्या बहुत जटिल है । वहां भी यह योजना कार्यान्वित होनी चाहिये । पर्वतीय प्रदेश में कई अस्पताल हैं जहां अभी तक डाक्टर नहीं जाते क्योंकि गरीब इलाका होने की वजह से उनकी वहां कोई आमदनी नहीं है । इसलिये वह वहां जाने के लिये राजी नहीं होते । अतः वहां डाक्टर भेजे जायं ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या लिखित भाषण भी पढ़ा जा सकता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह (पिथौरागढ़)—

नहीं पढ़ा जा सकता । पढ़ कौन रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि हम सिर्फ प्वाइंट्स देखते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह (पिथौरागढ़)—

पेय जल की योजना के बारे में कहा गया था कि हर गांव में पीने का पानी पहुंचा दिया जायेगा और इसका आश्वासन दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट में इसकी व्यवस्था की जायेगी ।

स्थानीय निकायों के बारे में कहा गया है कि सफाई मजदूरों के सुधार के लिये कार्य किया जायेगा । खास तौर से म्युनिसपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में फ्लश सिस्टम लागू किया जायेगा । मुझे आशा है कि इसकी भी व्यवस्था सरकार जल्द से जल्द करेगी । तराई भावर के किसानों के लिये यह आश्वासन दिया गया है कि किसानों को भूमिधरी के हक दिये जायेंगे । यह बहुत पुरानी मांग थी और इसकी जल्दी ही कार्यान्विति होनी चाहिये ।

टेहरी और रामपुर में अन्य इलाकों के बनिबस्त मालगुजारी बहुत ज्यादा है आज आश्वासन दिया गया है कि वहां भी यूनीफार्म रेट के अनुसार मालगुजारी लागू होगी । इसके लिये हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं । दो किस्म की मालगुजारी एक ही किस्म की भूमि पर गलत

[श्री नरेन्द्र सिंह (पिथौरागढ़)—]

व्यवस्था थी और इसलिये थी कि टेहरी पहले एक स्टेट थी। अब और जगहों की तरह से यहां मालगुजारी लगाई जायेगी, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मद्य निषेध की नीति के संबंध में सरकार को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि सरकार ने यह एक बड़ा भारी कदम उठाया है। लेकिन मुझे आशा थी कि सारे प्रांत में मद्य निषेध लागू की जायेगी क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहां की गवर्नमेंट आमदनी की आधी सबसिडी केन्द्रिय सरकार से लेकर अपने प्रदेश में मद्यनिषेध योजना को लागू करने जा रही हैं। क्या ही अच्छा होता कि हमारे प्रदेश में भी, जहां २२ करोड़ की आमदनी इस से है, वहां ११ करोड़ केन्द्रीय सरकार से सब्सीडी लेकर सारे प्रदेश में प्रोहिबीशन स्कीम चालू की जाती। इस समय उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में इस को लागू करने की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में देहरादून, नैनीताल टेहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा आदि पहाड़ी जिलों में भी यह योजना चालू की जायेगी।

रोडवेज की बसेज के संबंध में गवर्नर के शासन में आदेश दिया गया था कि (लाल-बत्ती होने पर) अभी तो श्रीमन्, मुझे बहुत बोलना है।

श्री अध्यक्ष—

१२ बजे बजट पेश होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह (पिथौरागढ़)—

फिर हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

फिर नहीं होगा। आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह (पिथौरागढ़)—

अच्छी बात है, बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

१२ बजे बंद कर दीजिये।

१९६९-७० का आय-व्ययक

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि आज लेखानुदान प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। यह कानून और संविधान दोनों के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—

अभी लेखानुदान का सवाल नहीं है। अभी तो बजट का सवाल है।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं १९६९-७० का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(आय-व्ययक की प्रतियां वितरित की गयीं।)

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक वित्त-विवरण या किसी वित्तीय वर्ष का बजट विधान मंडल के समक्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष में पेश करना आवश्यक है । नयी सरकार एक ही महीने पहले बनाई गई है । उसे राज्यों की अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा १ अप्रैल, १९६९ से प्रारम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों की उपलभ्यता की समीक्षा करने के लिए समय चाहिए । इस थोड़े से समय में वह स्पष्टत: न तो नयी नीतियां निर्धारित कर सकती थी और न उन्हें बजट प्रस्तावों में सम्मिलित कर सकती थी । अन्तिम रूप से बजट तैयार कर सकने में उसे कुछ और समय लगेगा । चूंकि चालू वित्तीय वर्ष जल्दी ही खत्म होने वाला है इसलिए बजट वर्ष में वर्तमान सेवाओं तथा चालू स्कीमों पर, जिनमें योजना की स्कीमें भी शामिल हैं, व्यय की पूर्ति के लिए प्रशासन को जितनी धनराशि की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करना जरूरी है । अत: अगले वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में जितना व्यय होने की संभावना है उसकी पूर्ति के निमित्त इस सम्मानित सदन से 'लेखानुदान' स्वीकृत करने के लिए निवेदन करने का निश्चय किया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार यह आवश्यक है कि जब विधान मंडल से 'लेखानुदान' के लिए स्वीकृति मांगी जाय तो वह वार्षिक वित्त-विवरण भी उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय जिसके बारेमें 'लेखानुदान' मांगा गया हो । इसके अनुसार, अगले सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के अनुमानों को वार्षिक वित्त-विवरण के रूप में इस सदन के समक्ष रखना आवश्यक है किन्तु यह बात स्पष्ट ही है कि इस वित्त-विवरण को, जिसे मैं प्रस्तुत करूंगा इस अवस्था में अनन्तिम ही समझा जा सकता है । उन कारणों से जो पहले बताये जा चुके हैं, इन अनुमानों में नई स्कीमों के लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है । इसलिए जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूं उसमें नई बातें शामिल नहीं है । अत: यह जरूरी नहीं समझा गया कि मैं उन अनुमानों का कोई ब्योरा दूं या उनके बारे में विस्तार पूर्वक कोई विचार प्रकट करूं । ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों को तैयार करने का काम भी अभी रहने दिया गया है जैसा कि इसके पहले भी ऐसे अवसरों पर किया गया था और वार्षिक वित्त-विवरण एक संक्षिप्त बजट के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें वर्तमान प्रयोजनों के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना दे दी गई है ।

मैं अन्तिम ब्योरेवार बजट प्रस्तुत करते समय परम्परागत विस्तृत समीक्षा करूंगा । इस बीच सदन में जो श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें आवश्यक ब्योरे दिये हुये हैं और मेरे लिए चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष समग्र रूप में बजट संबंधी स्थिति का मोटे तौर पर उल्लेख कर देना ही काफी होगा ।

चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट अनुमानों में जो ७७ लाख रुपये की राजस्व बचत थी वह अब बढ़कर पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) अनुमानों में १ करोड़ ६३ लाख रुपये हो गई है । पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर ७ करोड़ ४८ लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्य के अंश के लगभग १० करोड़ रुपये की बकाया धनराशि प्राप्त हो गयी है । साथ ही कुल राजस्व व्यय में ६ करोड़ ६२ लाख रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाने, अध्यापन कार्य न करने वाले कर्मचारियों (नान-टीचिंग स्टाफ) तथा प्राइमरी स्कूलों, जूनियर हाई स्कलों और सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों की परिलब्धियों बढ़ाने तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति स्कीमों की लागत को पूरा करने के लिये कुछ जिला परिषदों के अतिरिक्त अनुदान देने के कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा । पूंजी लेखे के अन्तर्गत (जिसमें ऋण सम्मिलित हैं) मूल बजट में २५ करोड़ ६७ लाख रुपये की कमी होने की आशा की गई थी, किन्तु अनुमान है कि यह कमी बढ़ कर अब ४१ करोड़ १२ लाख रुपये तक हो जायेगी जिसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों पर होने वाले पूंजी व्यय में वृद्धि होगी, बीजों और उर्वरकों की खरीद तथा लघु सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों के लिए किसानों को अधिक ऋण दिये जायंगे और राज्य विद्युत् परिषद् को सूखा संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत ५००

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---]

अतिरिक्त पम्पिंग सेटों और नलकूपों में बिजली लगाने के लिये अतिरिक्त ऋण दिया जायगा। समग्र रूप से होने वाली इस कमी की पूर्ति अंशतः इस वर्ष के १५ करोड़ ३३ लाख रुपये के प्रारम्भिक रोकड़ शेष से और अंशतः लोक लेखा के अन्तर्गत २५ करोड़ १ लाख रुपये की शुद्ध आय से की जायगी जिसमें रिजर्व (रक्षित) से निकाली जाने वाली ८ करोड़ २१ लाख रुपये की अनुमानित धनराशि भी सम्मिलित है।

जहां तक अगले वित्तीय वर्ष का संबंध है, इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि अन्ततः वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। वर्ष १९६६--६७ से १९६८-६९ के दौरान चालू की गयी योजनागत स्कीमों के लिये, जिनमें केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित (स्पान्सर्ड) स्कीमें भी सम्मिलित हैं इस वर्ष के मूल बजट में कुल ५२ करोड़ रुपये के राजस्व व्यय की व्यवस्था की गयी थी। ऐसी सभी स्कीमों पर, जिनका काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायगा, आगे के व्यय को वहन करने की पूरी जिम्मदारी राज्य सरकार की होगी, जिसे अपने संसाधनों से पूरा करना कठिन होगा। साथ ही, आयोजनेतर पक्ष में इस वर्ष अत्यावश्यक प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय वायदे करने पड़े। वर्तमान अनुमानों से राजस्व में ४३ करोड़ ८ लाख रुपये की कमी का पता चलता है जिसमें राज्य की योजनागत स्कीमों पर होने वाला लाग भग ७ करोड़ रुपये का शुद्ध व्यय सम्मिलित है। अन्य विषयों के साथ-साथ अगले पांच वर्षों में आयोजनेतर पक्ष में राजस्व में होने वाली कमी की पूर्ति का प्रश्न इस समय पांचवें वित्त आयोग के विचराधीन है। आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को १९६९-७० के दौरान ८३ करोड़ ५९ लाख रुपये की धनराशि का अस्थायी आधार पर संक्रमण (डिबोल्यूशन) किया जायगा जो ११६ करोड़ रुपये की हमारी मांग से बहुत कम है। उपर्युक्त धनराशि संक्रमित किये जाने की सिफारिश करते हुये आयोग ने राज्य कर्मचारियों को अगस्त १९६८ से स्वीकृत महंगा भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को ही केवल हिसाब में लिया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत व्यय की अन्य नयी मदें छोड़ दी हैं। आयोग ने ऋणों के परिशोधन के लिए अपेक्षित २६ करोड़ रुपये की धनराशि पर भी विचार नहीं किया है। अन्तरिम रिपोर्ट में आयोग ने वित्तीय संक्रमण (डिवोल्यूशन) से संबंधित दो विषयों पर अन्तिम सिफारिश की है जिसके अनुसार इस राज्य को रेल यात्रा कर के बदले में अनुदान का और सम्पदा शुल्क के राज्यों के विभाज्य अंश का क्रमशः १९.०६ और १७.१५ प्रतिशत मिलेगा। इन दो मदों के विषय में की गई सिफारिश से प्राप्तियों के हमारे अंश में केवल नाममात्र की वृद्धि होगी। आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अगली जुलाई में मिलने की आशा की जाती है।

राज्य सरकार ने इस राज्य को और अधिक धनराशि के संक्रमण के लिए तर्कपूर्ण निवेदन किया है। मुझे पूरी आशा है कि पांचवें वित्त आयोग द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णय से न केवल आयोजनेतर राजस्व घाटे की पूर्ति होगी, वरन् इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन पर्याप्त अतिरिक्त सहायक अनुदान की भी व्यवस्था की जायगी जिससे कि यह राज्य अपने पिछड़ेपन को दूर करने में समर्थ हो सके।

वर्ष १९६९-७० के दौरान पूंजी लेखे में (जिसमें ऋण सम्मिलित हैं) ३१ करोड़ १० लाख रुपये के घाटे का अनुमान है और राजस्व तथा पूंजी को मिलाकर कुल घाटा ७४ करोड़ १८ लाख रुपये का होगा। इस घाटे को ३७ करोड़ ६१ लाख रुपये तक की पूर्ति लोक लेखे के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध आय से करने का प्रस्ताव है, जिसमें रिजर्व (रक्षित) से निकाली जाने वाली १५ करोड़ ४७ लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। अनुमानित प्रारम्भिक शेष को मिलाकर ३५ करोड़ ६२ लाख रुपये की धनराशि अपूरित रह जाती है और यह धनराशि आयोजनेतर पक्ष के प्रायः समस्त राजस्व घाटे को प्रदर्शित करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वित्त आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस स्थिति की समीक्षा की जायगी।

इस राज्य द्वारा १,३५० करोड़ रुपये की चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु योजना आयोग ने इस राज्य सरकार द्वारा जुटाने जा सकने वाले संसाधनों का ध्यान रखकर

चौथी योजना का सम्पूर्ण आकार कम करके उसे ९५० करोड़ रुपये का कर दिया है, जिसके लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमानत: ५२५ करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। इस योजना की धनराशि कम किये जाने पर भी यह अनुमान लगाया गया है कि अन्य संसोधनों को दृष्टिगत रखते हुए भी १७५ करोड़ रुपये के और अतिरिक्त संसाधन जुटाने में पड़ेंगे। वर्ष १९६९–७० की वार्षिक योजना जैसा कि वह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है, १६० करोड़ रुपये की है जिसके लिए ९४ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान वार्षिक वित्त–विवरण में लगभग १२१ करोड़ रुपये की धनराशि की कुल व्यवस्था की गई है। ३९ करोड़ रुपये की शेष धनराशि अधिकांशत: नई स्कीमों को वित्तपोषित करने के लिये अपेक्षित होगी जिसके लिए अन्तिम व्योरेवार बजट में व्यवस्था की जायगी।

श्रीमन्, मैं उस प्राथमिकता एवं महत्व का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसे यह सरकार इस राज्य में कृषि विकास तथा उसकी दो आधारभूत आवश्यकताओं अर्थात् पर्याप्त सिंचाई की सुविधायें और बिजली की सप्लाई को देती है। कृषि तथा उद्योग दोनों ही में पारस्परिक संबंध है। उन्नत कृषि उत्पादन से औद्योगिक उत्पादिता में सहायता मिलेगी और फलस्वरूप एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार बन जाने पर खेती के तरीकों के आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी। अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने तथा अपने लोगों के लिये लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करने के वास्ते छोटे पैमाने पर किये जाने वाले उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के विकास कार्य को भी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार शुद्ध पेय जल की सम्पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और उन क्षेत्रों में जहां कि सदा जल का अभाव बना रहता है, विशेष रूप से पर्वतीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों और हरिजनों बस्तियों में, जहां तक संभव होगा, इसे उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय करने पड़ेंगे। शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पेय जल की सम्पूर्ति शीघ्रता से करने के लिए चौथी योजना में १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ४ करोड़ ६० लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। सरकार यह चाहती है कि ऐसे क्षेत्रों में जो सदैव सूखाग्रस्त रहते हैं, पेय जल सम्पूर्ति स्कीमें शीघ्रता से चालू की जांय और उसने हाल ही में यह निश्चय किया है कि मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा बांदा के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल सम्पूर्ति स्कीमों के निर्माण कार्यों को तेजी से करने तथा अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में भी, जहां पेय जल का अभाव है, ७ नयी स्कीमें चालू करने के वास्ते कुछ जिला परिषदों को इस वर्ष १ करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया जाय। इस संबंध में कुल अनुमानित व्यय ५ करोड़ १३ लाख रुपये होगा और इन स्कीमों का कार्य १९६९–७० में तेजी से किया जायगा।

सिंचाई तथा बिजली दोनों प्रकार की सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर विकास करने की आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूपों तथा छोटी उत्थापक नहरों (लिफ्ट केनाल) से तथा पुराने जलाशयों और नहरों की क्षमता को बढ़ा कर तीन लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई संबंधी सुविधायें उपलब्ध की गयी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में गाजीपुर, वाराणसी तथा रायबरेली जिलों में तीन मध्यम उत्थापक नहरों में भी निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिससे अगली खरीफ से संभवत: लगभग २ लाख ७४ हजार एकड़ भूमि के लिए सिंचाई संबंधी सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगीं। अन्य बड़ी तथा मध्यम सिंचाई प्रायोजनाओं की शीघ्रता से प्रगति के लिये भी प्रयास किये जायेंगे ताकि सिंचाई संबंधी सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध हो सकें। यह निश्चय किया गया है कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों में बिजली लगाने का कार्यक्रम प्रगाढ़ रूप से किया जाय। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी ५,००० अतिरिक्त यूनिटों में बिजली लगाने का कार्य आरम्भ करने के लिए परिषद् को ४ करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण चालू वित्तीय वर्ष में दिया जायगा। यह कार्य १५,००० यूनिटों में बिजली लगाने के मूल कार्यक्रम के अलावा होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता निक्षेप स्कीम (कन्ज्यूमर्स

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

डिपाजिट स्कीम) के अन्तर्गत ५,००० और यूनिटों में बिजली लगाई जायगी। बजट वर्ष का लक्ष्य २४,००० यूनिटों में बिजली लगाने का है जिसमें उपभोक्ता निक्षेप स्कीम के अन्तर्गत रखी गयी ८,००० यूनिटें सम्मिलित हैं।

विकास संबंधी अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए किसानों को प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। यद्यपि इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है फिर भी प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। चूंकि अब तक यह प्रणाली प्रास्थिति (स्टेट्स) पर आधारित था, इसलिए सरकार का यह प्रस्ताव है कि इसे केवल कृषि उत्पादन के लिए, मूल्यांकन गुणक में वृद्धि करके अपेक्षाकृत अधिक निर्धन किसानों के लाभ के हेतु आवश्यकता पर आधारित बनाया जाय। किसानों को दिये जाने वाले ऋणों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना भी सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्र के समुचित आर्थिक विकास के लिए अन्तर-ग्राम यातायात की व्यवस्था परमावश्यक है और १९६९–७० की वार्षिक योजना में इसके लिये १९० लाख रुपये का व्यय नियत किया गया है तथा बजट वर्ष में १०४ किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य के कुछ भागों में सूखे की मौजूदा स्थिति से सरकार बहुत चिन्तित है। विशेष रूप से सूखाग्रस्त जिले मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, आजमगढ़ तथा प्रतापगढ़ हैं जिनमें २६,४०० गांव हैं तथा कुल जनसंख्या लगभग १०५ लाख है। सूखे का सबसे अधिक प्रभाव मिर्जापुर जिले पर पड़ा है। यहां पर तथा अन्य स्थानों में 'टेस्ट वर्क' जारी हैं और निःशुल्क सहायता आदि के वास्ते भी पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये गये हैं। इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां कम करने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करेगी।

देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होमियोपैथी की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए था। यह प्रस्ताव है कि इन बड़ी लाभदायक प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया जाय। आयुर्वेद की शिक्षा तथा शोध के स्तर में सुधार करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज को स्नातकोत्तर स्तर तक कर दिया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक सुविधाओं का प्रसार करने के लिए और कार्यवाहियां करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि खाद्यानों, खाद्य वस्तुओं आदि में अपमिश्रण रोकने के हेतु अधिक कड़ाई से कानून लागू किया जाय और प्रशासनिक प्रबन्धों को दोष रहित बनाया जाय।

अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं का अध्ययन करने और सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग (माइनारिटीज कमीशन) स्थापित करने के वास्ते बजट में व्यवस्था की जायगी।

अनुशासन की भावना पैदा करने तथा अपने नवयुवकों के कार्यकलापों को रचनात्मक दिशा में लगाने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि राज्य में एक युवक परिषद् (यूथ काउंसिल) की स्थापना की जाय। यह परिषद् अन्य बातों के साथ-साथ सामान्यतया नवयुवकों के कल्याण तथा विशेष रूप से उनके चरित्र-निर्माण के लिए उसी प्रकार प्रयत्नशील रहेगी जिस प्रकार कतिपय प्रोन्नत देशों में इसी प्रकार के कार्यों के लिये प्रयत्नशील रहा जाता है। यह प्रस्ताव है कि कि राज्य के युवकों की शक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा आदि में लगाकर ग्रामीण लोगों के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाय। चूंकि राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित है, इसलिये राज्य सरकार को ग्रामोत्थान के लिए अनिवार्य रूप से हर प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि शहरी क्षेत्रों की उपेक्षा की जायगी। श्रीमन्, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गृह-निर्माण, जल सम्पूर्ति एवं मलोत्सारण आदि की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान दिया जायगा।

हम वित्त आयोग से अपेक्षाकृत अधिक और उचित धनराशि का संक्रमण करने तथा भारत सरकार से राज्य की योजना के लिए और अधिक सहायता देने के लिए जोर देकर अनुरोध करेंगे, किन्तु यह सर्वथा स्पष्ट है कि राज्य को भी अत्यावश्यक संसाधन जुटाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना पड़ेगा। जहां एक ओर सरकार को देय अत्याधिक बकाया धनराशियों की विशेषकर बिक्री-कर, आबकारी शुल्क तथा औद्योगिक ऋणों आदि से संबंधित बकाया धनराशियों की वसूली के लिए कड़ी कार्यवाही की जायगी वहां दूसरी ओर सरकार यह प्रयत्न करेगी कि करादि के अपवंचन को रोकने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये राज्य के कर-प्रशासन को दोषमुक्त बनाया जाय। कराधान जांच समिति (टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी) की रिपोर्ट पर राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, किन्तु मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संसाधन जुटाने के अपने प्रयास में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि समाज के निर्धन और निर्बल वर्गों पर अपेक्षाकृत कम भार पड़े।

इस सरकार की यह भी नीति है कि दक्षता को बनाये रखने के साथ-साथ व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता की जाय। राज्य सरकार के सचिवों से हाल ही में कहा गया है कि वे मौजूदा स्कीमों और सेवाओं के कार्य-संचालन की ब्योरेवार समीक्षा करें और संबंधित अधिकारियों को इस आशय की सख्त हिदायत दें कि वे सार्वजनिक धन के अपव्यय को बचाने के लिए सभी संभव प्रयत्न करें। इस विषय में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जायगी। केवल संतुष्ट कर्मचारी यथाशक्य अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसलिए सरकार का विचार राज्य तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर ऐसी कर्मचारी परिषदों (स्टाफ काउन्सिल) की प्रणाली प्रचलित करने का है जिससे कि कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक माध्यम की व्यवस्था हो सके।

संस्थात्मक वित्त के अत्यन्त संभाव्य स्रोत का इस राज्य में पूरी तरह और प्रभावकारी ढंग से लाभ नहीं उठाया जा सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के प्रति न केवल इन संस्थाओं का वरन् अनुसूचित बैंकों का भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा। भविष्य में कोई और अवसर न खोने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि कृषि, उद्योग और अन्य विभागों के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने तथा इस संबंध में किये जाने वाले समस्त प्रयत्नों को दिशा प्रदान करने के लिये वित्त विभाग में संस्थात्मक वित्त का एक 'सेल' स्थापित किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह वर्ष गांधी शताब्दी वर्ष है और राज्य सरकार राज्य में इस समारोह को मनाने के लिये यथाशक्य सुविधायें तथा सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने कौसानी निरीक्षण गृह को गांधी स्मारक के रूप में उपयोग करने के लिए शताब्दी समिति को दे दिया है। उसे लखनऊ में एक दूसरा मूल्यवान भूखण्ड गांधी संग्रहालय तथा पुस्तकालय के लिये दिया गया है। इस संबंध में और अधिक सहायता देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। पेय जल की सप्लाई और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता से संबंधित कार्यों को भी उच्च प्राथमिकता दी जायगी। हरिजनों को गृह-निर्माण के लिए अनुदान देने के निमित्त बजट वर्ष में पर्याप्त निधि की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमन्, वर्ष १९६९-७० के बजट के विषय में मैं इस समय इस सम्मानित सदन के समक्ष केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं इस राज्य की जनता की सेवा करने के सामूहिक कार्य में तथा साथ ही जनतांत्रिक कार्यप्रणाली के सिद्धान्तों के द्वारा कल्याणकारी समाजवादी राज्य के मान्य लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने में इस सदन के प्रत्येक सदस्य और यहां प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों से पूर्ण सहयोग की कामना करता हूं। यह एक कठिन कार्य है, किन्तु मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम इस स्थिति में होंगे कि अपने वांछित लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकें।

श्रीमन्, मैं वर्ष १९६९–७० का बजट पेश करता हूं।

१९६९-७० का लेखानुदान का प्रस्ताव

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष---

वे लेखानुदान प्रस्तुत कर दें तब आप अपनी आपत्ति उठायें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं उनके प्रस्तुत करने के पहले ही आपत्ति उठाना चाहता हूं कि वे आज इसको प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यदि प्रस्तुत करने के पहले ही आप कहना चाहते हैं कि लेखानुदान प्रस्तुत हीं नहीं हो सकता तो कहिये ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मेरी राय में यह लेखानुदान आज सदन में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है । इसको आज प्रस्तुत करना संविधान के विरुद्ध है । संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार मेरी आपत्ति है और मेरे चार तर्क हैं.....

श्री प्रेम चन्द शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेया व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि जब तक लेखानुदान सदन की मेज पर प्रस्तुत ही नहीं किया गया तो वे आपत्ति कैसे कर सकते हैं । सदन की मेज पर आ जाय तो वे आपत्ति कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि लेखानुदान आज सदन में मन्त्री जी प्रस्तुत ही नहीं कर सकते । जब प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं यह उनका कथन है तो उस विषय में अपनी आपत्ति को वह पहले ही कहेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यदि मेरे तर्क वजनदार नहीं हैं तो इसको प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि ऐसे गहन मसले पर निर्णय देते समय आप ऐसे कुशल और अनुभवी अध्यक्ष इस कुर्सी पर विराजमान हैं । मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसी गलत परम्परा नहीं पड़ेगी जैसी कि आज पड़ने जा रही है । श्रीमन्, मैं अनुच्छेद २०६ को आपके सम्मुख पढ़ता हूं जो इससे संबंधित विषय है, वह उसके संबंध में है :---

"To take any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the assing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure,"

कहने का तात्पर्य यह है कि लेखानुदान उस वक्त प्रस्तुत किया जाता है जबकि मेन बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका डिस्कशन जारी हो और ग्रान्ट पर वोट और विवाद आ गया हो, सामान्य विवाद खत्म हो गया हो, तब प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अब मैं चार प्वाइंट रखूंगा । 'पेंडिंग' का अर्थ क्या है ? अगर यह अर्थ लगाया जाय कि आज हमने मेन बजट सदन के सामने रख दिया और अब पेंडिंग है तो यह पेंडिंग नहीं कहा जा सकता । वह उस वक्त कहा जायगा जबकि विवाद शुरू हो गया हो । और "कम्प्लीशन" शब्द भी इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखा गया है कि जब पूर्ति हो जाय और फिर आगे दिया हुआ है कि ग्रांट के वोटिंग का समय आ जाय। तो आर्टिकिल २०४ के अनुसार बजट प्रस्तुत होना चाहिये, सामान्य चर्चा होनी चाहिए तब डिमांड्स की ग्रांट मांगनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, तब अप्रोप्रिएशन बिल आना चाहिए और इसके दरमियान में यह लेखानुदान रखा जाना चाहिए।

एक बात मैं बहुत पहले ही कह देना चाहता हूं कि अगर मेरे माननीय सदस्य यह कहें कि ऐसी परम्परा सदन में पड़ गयी है, या ऐसा हुआ है तो आप सहमत होंगे कि कोई कनवेंशन जो संविधान की स्पिरिट के विरुद्ध हो वह तो हो नहीं सकता, वर्ना संविधान के विरुद्ध रोज नये कनवेंशन हम डाल सकते हैं। अगर कभी हो गया तो उसका अनुसरण नहीं होना चाहिये। एक आध हो गया तो उसके फलस्वरूप दूसरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर आ जाय और ऐसी परम्परा कोई हो जाय तो उसको शुद्ध करना चाहिए।

पहले मेरा कहना है कि मेन बजट सामने आना चाहिए और सामान्य विवाद समाप्त हो जाय तब लेखानुदान होना चाहिए। इसको मैं सपोर्ट करता हूं पार्लियामेंटरी डिबेट, वाल्यूम १६, पेज १३, १०९ ––स्पीकर की रूलिंग है। दूसरा मेरा कहना है कि कनवेंशन (परम्परा) कभी संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती, यह मि०ए० के० सेन जो ला मिनिस्टर थे उन्होंने विचार व्यक्त किया था जब कनवेंशन आन वोट आफ अकाउन्ट पर बहस चल रही थी कि नीति क्या निर्धारित की जाय। १३, ११९ पेज पर कहा उसी वैल्यूम के कि कोई परम्परा नहीं डाली जा सकती––उसे मैं बाद को सुनाऊंगा तीसरी तर्क यह है कि खास, मूल बजट पेश हो जाय, और उस पर सामान्य चर्चा समाप्त हो जाय और अनुदानों पर वोट की बहस हो जाय, तब लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह १३, १२७ पेज, वैल्यूम १६ का है। लेखानुदान का मतलब कभी दो बजट नहीं होता, एक ही बजट होता है। या तो उसी को सामान्य माना जाय या दूसरा बजट आयेगा जो सप्लीमेंटरी माना जाय, उसको बजट नहीं माना जायगा।

एक बात और कह दूं। मैंने १९५०, ५१, ५२, ५३, ५४ से आज तक की पुस्तकों में पढ़ा और बजट डिबेट को भी पढ़ा और हर जगह देखा कि जबकि जनरल डिस्कशन हो रहा था–– सामान्य विवाद––उसी वक्त बीच में यह लेखानुदान प्रस्तुत किया गया जब सामान्य विवाद समाप्त हो गया। यदि हम ३१ मार्च के पहले ही जबतक कि बजट पास होना आवश्यक है यदि जल्दी से जल्दी कर दें तो माननीय सदस्य जो विचार रखना चाहते हैं अनेक मदों पर वह नहीं रख पायेंगे और न कोई पब्लिक के साथ न्याय होगा और न इस सदन के साथ न्याय करने का मौका होगा। १९५२ ईयर के इलेक्शन में भी यही बात हुई और १९५७ में हुई और १९६२ का मुझे पता नहीं। अगर हुआ हो तो वह परम्परा गलत है। अब मैं कहना चाहता हूं कि क्यों कहा जाता है ऐसा, सिद्धान्त उसके पीछे क्या है। आपने ५ महीने का अनुदान मांग लिया। आपने ११ महीने २९ दिन का क्यों नहीं मांग लिया? यह भी आप कर सकते थे। आप की अगर बुद्धि काम नहीं करती तो उस उच्च लोक सभा की तरफ देखें कि वहां क्या हुआ। वहां मोरारजी देसाई साहब ने कहा कि एक महीने से ज्यादा का लेखानुदान नहीं लेंगे। मैं आप के सामने लोक सभा के स्पीकर की रूलिंग पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :–– (दिनांक ५ मई, १९५८ पृ० १३११०)

"The practice has been this. There is no Vote on Account unless the Budget is introduced. Let us clear up the points one after another. After the Budget is presented, a Vote on Account is presented to the House. Eeven then, it is not until the general discussion on the Budget is over that a Vote on Account is asked for, If there has been any deviution from this rule, I shall certainly strictly follow it and I am sure every Speaker in future will always follow this practice of allowing a general discussion on the Budget first and thereafter allowing a Vote on account before the demands for grants are taken up,"

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---]

यह मैंने अपने पहले पढ़ा था। जब तक सामान्य चर्चा नहीं हो जाती, वह पेश नहीं हो सकता। ला मिनिस्टर ए० के० सेन ने भी कहा है कि "वी आल एग्री दैट दी क़ैन नाट इवैल्व कन्वेन्शन ह्विच कन्फ्लिक्ट विद दि कान्सटीट्यूशन.." (दिनांक ५ मई, १९५८ पृ० १३११९)

श्री अध्यक्ष---

इसमें परस्पर विरोध कहां है? पेश नहीं हो सकता, यह कहां है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

उसको एक्सप्लेन करने के लिये मेरा पूरा व्य् आप कृपया पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

लेखानुदान मंत्री जी पेश नहीं कर सकते, इस पर आप कहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

सामान्य चर्चा होने के बाद ही वह पेश किया जा सकता है। आप पेश नहीं कर सकते। इसलिये मैं कह रहा हूं। इसको भी मैं पढ़ दूं।

This is an anticipation mid-way between general discussion on the one side and detailed discussion on the demand for the grant.

इसलिये मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में वह प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सहारा है मेरे तर्क का। अब दूसरी बात मैं यह कह रहा था। अगर थोड़ी देर के लिये आप मेरे इस तर्क से न सहमत हों तो दूसरे तर्क को मैं नहीं मानता कि यह तर्क मेरा ऐसा है जो कि न ठहर सकता हो। दूसरा तर्क ऐसा है कि जनरल डिस्कशन होने के बाद ही इस पर विचार हो सकता है। वह जनरल डिस्कशन सामान्य बजट पर जब समाप्त हो।

श्री अध्यक्ष---

लेखानुदान प्रस्तुत नहीं हो सकता इस पर पहले तो आप तर्क कीजिये। उस पर विचार हो सकता है या नहीं इसके बारे में बाद में कहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस बारे में मेरा कहना यह है कि पेश नहीं हो सकता जब तक कि सामान्य विवाद समाप्त न हो। इसका तर्क मैंने इस तरह दिया .....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मुझे आश्चर्य है कि मेरे मित्र ने यह आपत्ति उठाई और उनको स्मरण नहीं रहा कि संविधान का अनुच्छेद २०६ भी है जिसका सीधा सम्बन्ध आज की कार्यवाही से है।

२०६ में एक उपबन्ध (बी०) भी है।

206, Not withstanding anything in the provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have a power (*a*) to make any grant in advance in the estimated expenditure for a part of any financial year,

जरा सा श्रीमन् ध्यान दीजियेगा।

In respect of the estimated expenditure for the part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of the Article 204 in relation to that expenditure,

श्रीमन्, इसका बहुत सीधा अर्थ यह है कि २०३ और २०४ की प्रक्रिया समाप्त हो उससे पूर्व वह इस प्रकार की वोट आन अकाउन्ट वाली प्रक्रिया की जा सकती है। जरा सा इसके और स्पष्ट करने के लिए––

(B) to make a grant to meeting an unexpected demand upon the resources of the State when on account of magnitude of the indefinite character of the service, the demand cannot be stated the details ordinarily given in an annual financial statement,

श्रीमन्, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। अप्रत्याशित जो मांगे हैं उनके सम्बन्ध में क्योंकि वे इन्डैफिनिटो हैं। श्रीमन्, मैं इसका विवरण इसलिए देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष––

यह भिन्न चीज है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

श्रीमन्, केवल एक मिनट का समय चाहता था। मैं इसका विवरण इसलिए देना चाहता था जैसा कि इसमें जिक्र है कि फिफथफिनान्स कमीशन बैठा हुआ था और उससे हमको कितने प्रसाधन मिलेंगे, उस सम्बन्ध में हमारी कितनी मांगें होंगी और क्या क्या होंगी, इसको अभी पूरे तौर पर अपने बजट में प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो बजट प्रस्तुत किया उसकी मोटी रूपरेखा आ गई और उसके पश्चात् भी सदन के सामने वोट आन अकाउन्ट पेश कर सकते हैं। ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

जो आपने अनुच्छेद पढ़ा, उसमें दो राय नहीं हो सकतीं। हमारे इन्टरप्रेटेशन में अन्तर है। हम यह कहते हैं कि सरकार यह मूल बजट प्रस्तुत करने के बाद ही लेखानुदान की मांग प्रस्तुत कर सकती है। तो इतने विशेषज्ञ बैठे हुए थे उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि मेन बजट प्रस्तुत करने के बाद लेखा नुदान प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने तो यह लिखा है कि जब वह पेंडिंग है, तब विचार हो सकता है, उसके लिये लेखानुदान प्रस्तुत हो सकता है। अगर ऐसा न होता तो उसके लिखने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात उन्होंने अपनी कठिनाई को बतायी कि चौथी योजना नहीं बनी। उनको क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो इससे है कि आपने संविधान के नियमों, उसकी धाराओं का पालन किया है या नहीं किया। इसमें मर्सी या कृपा की कोई बात नहीं है कानून ने हमको एक रास्ता दिखाया है, वह आपने अपनाया है या नहीं। अगर उसमें प्रेजेन्टेड शब्द होता तो मुझे कोई एतराज न होता। अगर इसके इन्टरप्रिटेशन में कोई अड़चन हो तो एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय और हमेशा के लिये यह मामला तय हो जाय। आज यहां ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जो आज से पहले किसी भी जगह नहीं लिया गया है तथा यहां भी केवल एक बार ही लिया गया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

मैंने तो किसी मर्सी की बात नहीं कही। यह तो संविधान की मर्सी की बात है कि किन स्थितियों में वोट आन एकाउन्ट आ सकती है। १९६७ में भी इस प्रकार का प्रश्न यहां उपस्थित किया गया था और उस समय सब बातें यहांस्पष्ट कर दी गयी थी। एडवोकेट जनरल को भी इस संबंध में सुना गया था और तब प्रक्रिया के अनुसार ही वोट आन एकाउन्ट को सदन ने स्वीकार किया था। उसी के अनुसार आज यह उपस्थित किया गया है।

नियोजन मन्त्री (श्री नारायणदत्त)—

श्रीमन्, यह जो माननीय त्रिपाठी जी ने आपत्ति उठायी है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि हाउस आफ कामन्स में इस प्रकार वोट आन एकाउन्ट प्रस्तुत करने की परम्परा है । इस को वहां चुनाव में से पूर्व तथा चुनाव के बाद, जब कभी इस तरह की आवश्यकता होती है, प्रस्तुत किया जाता है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इसका जिक्र आया है। उसमें लिखा है—

Vote on account before a dessolution--Grants on account may also be rendered necessary by a dessolutiou if it occurs in the early portion of a session, before supply is completed, it may be necessary to take votes on account sufficient to carry on all the services.

वहां ऐसी परम्परा नहीं है कि वार्षिक बजट प्रस्तुत हो जाय, उसके बाद ही वोट आन एकाउन्ट प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह इससे रेलेवेन्ट नहीं मालूम पड़ता।

श्री नारायण दत्त—

अभी २० फरवरी तक चुनाव चले। २४ को गजट हुआ मेंम्बर्स का और विधान सभा बनी। इतने कम समय में किसी भी सरकार के लिये यह असंभव था कि इतनी जल्दी वह बजट को तैयार कर लेती। इसलिये यह अनिवार्य हो गया था कि इस समय हम वोट आन एकाउन्ट लाते। समय की कमी को देखते हुए ऐसा किया गया।

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अभी अभी माननीय तिवारी जी ने जो बात आप के सामने रखी, मेरी समझ में कोई संबंध उसका इस चर्चा से नहीं था। चर्चा जो आपके सामने हो रही है वह यह है कि वोट आन एकाउन्ट इस समय प्रस्तुत किया जाय या नहीं। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज तक की परम्पराओं और कान्स्टीट्यूशन के अनुसार वोट आन एकाउन्ट इज एन एक्सप्शन एन्ड बजट इजए रूल। इसलिये परम्परा यही रही है कि आप बजट को प्रस्तुत कर दीजिये, उस पर चर्चा होने दीजिये और बजट पर चर्चा होते समय अगर आप को यह मालूम हो कि यह बजट ऐसे समय से पास नहीं हो सकता राज्य का कार्यक्रम ठीक प्रकार से चलाया जा सके, उस समय आप वोट आन एकाउन्ट ले आइये ताकि आपका कार्य न रुकने पाये इसलिये आप को पहले बजट लाना होगा, पहले सामान्य चर्चा होगी और उस वक्त जब यह समझ में आये और आप भी सहमत हों कि अब ऐसा मालूम पड़ता है कि बजट समय से पूरा नहीं होगा और वही इस बात का प्रमाण होगा कि ऐसी जरूरत पड़ गयी है कि वोट आन अकाउन्ट समय से पास कराना चाहिये वर्ना काम नहीं चलेगा। इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है बजट तो पास होना ही चाहिये, चर्चा होनी चाहिये लेकिन अगर यह समझ में आये कि बजट समय से पास नहीं हो सकेगा और उस पर आवश्यक चर्चा नहीं हो सकेगी तब वह समय आयेगा, तभी आवश्यकता होगी और तभी उसकी सार्थकता होगी और वोट आन अकाउन्ट पास करने की बात होगी। अपने ही नियम में जो आधार-भूत सिद्धान्त है वह समझ लें तो सब असानी से समझ में आ जायगा। इसलिये निवेदन है कि माननीय त्रिपाठी जी ने जो आपत्ति उठाई है वह सही है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रश्न केवल इतना है कि क्या वोट आन अकाउन्ट उपस्थित किया जा सकता है या नहीं। अभी उसके ऊपर विचार होने या पास होने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है क्योंकि अगर विचार होगा भी तो वह बाद में होगा आज नहीं होगा, पास भी अगर होना है तो वह आज नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना है। यह आपत्ति इस पर है कि यह उपस्थित किया जा सकता है या नहीं इस समय बजट के बाद। संविधान में इसके बारे में कोई भी बाधा नहीं है। आपने एक रिवाज बताया कि जब मालूम हो जाय कि हम आम विचार पूरा नहीं कर सकते, आम बहस नहीं हो सकती, उसके बीच में अगर पता चले कि आम बहस जितनी होनी चाहिये, जितनी विस्तार से होनी चाहिये वह पूरी नहीं हो सकती उस समय के बीच में तो यह हो सकता है कि वोट आन अकाउन्ट उपस्थित किया जाय या आगे भी चलकर किसी स्टेज पर बजट प्रान्ट्स के समय में वे स्वीकृत समय के अन्दर नहीं कर सकते उस वक्त उपस्थित कर सकते हैं। यानी जब भी पता चले कि समय के अन्दर ३१ मार्च तक बजट पारित करने का काम पूरा नहीं हो सकेगा, आप का कहना है कि बहस करते करते जब पता चले तब कहीं लेखानुदान पेश हो सकता है परन्तु यह अन्दाजा तो पहले भी लग सकता है—कि बजट ३१ मार्च तक पास हो सकता है या नहीं। आज है २४ मार्च और ३१ मार्च तक यह पास होना है, अन्दाजा लगाने पर कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता पहले से इस बात को समझने के लिये कि ७ दिन में यह कार्य हो सकता है या नहीं। पहले से आप सोच सकते हैं, पहले से आपने अन्दाजा लगा लिया कि ७ दिन में सारी ग्रान्ट्स पर बहस और बजट पास नहीं हो सकता। तो यह साफ है कि ऐसी स्थिति में वोट आन अकाउन्ट या लेखानुदान उपस्थित किया जा सकता है। इतनी बात सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि ७ दिन में कोई बजट पास हीं हो सकता। ऐसी अवस्था में लेखानुदान उपस्थित करने में तो कोई बाधा होती नहीं। पहले बजट उपस्थित किया, फिर वोट आन अकाउन्ट की डिमान्ड उपस्थित कर दी लेकिन उसके ऊपर अब प्रश्न यह हुआ, एक राय यह है कि वोट आन अकाउन्ट के ऊपर विचार करना और पारित करना किस स्टेज पर होना चाहिये। उस पर चर्चा हुई है कि जब तक आम विचार बजट पर न हो जाय तब तक उस को पारित न किया जाये। इसमें दो रायें हो सकती हैं और उस को मुझे स्टडी करना होगा क्योंकि बहुत से लोगों का इससे भिन्न भी विचार है लेकिन आज लेखानुदान उपस्थित होने के लिये कोई बाधा न संविधान में है और न अन्दाजा लगाने में ही कोई दिक्कत है। ८–१० दिन पहले आप यह अन्दाजा लगा ही सकते हैं कि बजट समय के भीतर पास नहीं हो सकता क्योंकि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा समय नहीं मिल सकेगा इसका अन्दाजा आसानी से आप लगा सकते हैं। इसलिये मन्त्री जी वोट आन एकाउन्ट पेश कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, अनुच्छेद में यह लिखा है कि बजट प्रजेन्ट होने के बाद। संविधान की धारा २०६ में यह लिखा हुआ है "pending the completion of the procedure prescribed in Art. 203" तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इसमें कोई अन्तर है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें ये शब्द हैं :—

"To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant",

यानी एस्टीमेटेड एक्सपेंडीचर तो उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद प्रक्रीया का कम्पलीशन आगे होगा। जनरल डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा, उसके बाद एक विल पेश होगा जिसे ऐप्रीप्रिएशन बिल कहते हैं। इन सब के पहले चाहे वह जनरल डिस्कशन हो लेकिन आखीर तक सब प्रक्रियाएं खत्म न हों किसी स्टेज पर जब एस्टीमेटेड एक्सपेन्डिचर आपके सामने आ गया बजट का तो उसके बाद किसी स्टेज पर वोट आन अकाउन्ट पेश किया जा सकता हैं यह पहली स्टेज है। अब प्रश्न केवल यह है कि अगर कोई प्रथा डालनी है तो बजट पर जनरल डिस्कशन के बाद

[श्री अध्यक्ष---]

लेखानुदान विचार में लें या जनरल डिस्कशन के पहले, इसके बारे में मैं कल फैसला दूंगा। जहां तक पेश करने का सवाल है, मंत्री जी उसे पेश कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अब जो यह डिस्कशन का प्रश्न आ गया तो मैंने केवल सहारा लिया उस अनुच्छेद का जो मुझे पार्लियामेन्ट्री डिवेट से स्पष्ट हुआ। अब जब डिस्कशन का प्रश्न आयेगा तो कहेंगे कि यह तो परम्परा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष---

मैं अपने माइन्ड को ओपिन रख रहा हूं। मैं स्टडी करूंगा आप मुझे वह उद्धरण दे दीजिए जिस का लोक सभा में डिस्कशन हुआ। कल फैसला करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,५७,४५,३५,००० रुपये से अधिक न हो।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, जो ५ महीने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने यह लेखा अनुदान पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आज इस पर विचार नहीं होगा। आज केवल प्रस्तुत करने का प्रश्न है।

श्री धर्म सिंह---

श्रीमन्, मैं आपको नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इस पर कल विचार होगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नरेंद्र सिंह (जिला पिथौरागढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण में कह रहा था कि गवर्नर महोदय के शासन काल में एक ऐसा आदेश गया कि टनकपुर से पिथौरागढ़ में धारचूला तक जो अभी तक रोडवेज की बसेज चलती थी, उनको आखिर मार्च तक स्थगित कर दिया जाय। सुरक्षा के हित में और जनता के हित में भी एक बहुत अच्छा कदम होगा यदि वहां पर बसों को फिर से चलवा दिया जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं रोडवेज के अनुदान में जो अनुदान बढ़ाया गया है, उससे वहां का जो पुराना प्रबन्ध था इस रूट में फिर से रोडवेज बसों को निरन्तर चलने दिया जाय।

पर्वतीय विकास बोर्ड के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विकास बोर्ड हो वह केवल एडवाइजरी कैपेसिटी का न हो। इसको पावर मिलनी चाहिये। इसको प्लानिंग का काम दिया जाना चाहिये। बजट बनाने और खर्च करने के अधिकार भी इसको जैसे

कारपोरेशन को होते हैं मिलने चाहिये ताकि यह खर्च और आमदनी की अपने आप देखभाल करे। मैं चाहूंगा कि पर्वतीय प्रदेश के विकास बोर्ड के लिये एक धनराशि यहां पास कर दी जाय और इस धनराशि को अपनी इच्छा से विकास बोर्ड को खर्च करने का अधिकार हो। इस अभिभाषण में विद्युत योजनाओं के बारे में भी चर्चा है। पच्चेस्वर डैम की योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकार इसको कार्यान्वित करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये। उत्तराखंड जब बना था तो पिथौरागढ़ के लिये १७ स्कीमें बिजली की पास हुई थीं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चमोली तथा उत्तरकाशी में तो बिजली विभाग ने बहुत कार्य किया लेकिन पिथौरागढ़ में एक भी योजना कार्यान्वित नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि इस धनराशि को लैप्स करने के लिये जो कर्मचारी दोषी हो उसको दंडित किया जाय।

पिथौरागढ़ में कैन्टोनमेंट बन रहा है। वह इस बात के लिए खर्चा देने को तैयार है कि शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को अल्मोड़े से पिथौरागढ़ तक मिला दिया जाय। इसमें सरकार को किसी किस्म की अड़चन नहीं होनी चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान टूरिस्ट ट्रेड (अतिथि व्यवसाय) की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय प्रदेशों में टूरिस्ट ट्रेड ही ऐसी व्यवस्था है जिससे वहां की सामाजिक तथा आर्थिक हालत सुधर सकती है। मैं सारे यूरोपियन कांटिनेंट में घूमा। स्काटलैन्ड तथा स्वीटजरलैन्ड को देखा। जितना मनोहर पर्वतीय प्रदेश हमारे यहां है उतना रमणीय स्थान दुनिया में कहीं नहीं है। हिमालय की सुन्दरता को कोई भी देश नहीं पा सकता। कहा गया है "हिमालयो नाम नगाधिराज"। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में १७ ग्लेशियर्स हैं। मिल्लम ग्लेशियर दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। टूरिस्ट ट्रेड के लिए शिकारगाह खोले जायं। इसके अलावा कितने ही तीर्थ स्थान हमारे क्षेत्र में हैं। इसलिये अगर टूरिस्ट ट्रेड वहां चलाया जाय तो बड़ा लाभप्रद साबित हो सकता है। इस संबंध में केन्द्र के मंत्री डाक्टर करण सिंह ने माननीय गुप्ता जी से बातचीत भी की थी और कहा कि काफी सहायता केंद्र से इसमें मिल सकती है। २३ मार्च के नेशनल हेराल्ड अखबार में आपने पढ़ा होगा कि केन्द्र को टूरिस्ट ट्रेड के लिये १३ करोड़ की योजना बनी है इसमें से काश्मीर को ३.५ करोड़, महाराष्ट्र को १.८५ करोड़, वेस्ट बंगाल को १.६८ करोड़ और केरल को १.८४ करोड़ दिया गया लेकिन हमारा प्रदेश महरूम रहा। मैं चाहूंगा कि इसके लिए अलग से एक विशेष योजना बनाई जाय और इसका विभाग खोलकर अलग मिनिस्टर हो जिससे पर्वतीय प्रदेश टूरिस्ट ट्रेड के माध्यम से उन्नति कर सके।

हिमाचल प्रदेश की तरह हमारे पर्वतीय प्रदेश में हार्टिकल्चर की योजना भी चलाई जाय। उद्योग धंधों के सिलसिले में मुझे कहना है कि लीसा उद्योग वन सम्पत्ति है जिससे बहुत से उद्योग चलाये जा सकते हैं। डिगरी कालेज पिथौरागढ़ में जुलाई से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलने चाहिये। यह भी सुना है कि रेक्सलाइट मूवमेंट हिमालियन बोर्डर से इंटेंसिफाई किया जायगा और देहरादून को बेस बना कर यह मूवमेंट चलाया जायेगा जिस का ब्योरा २३ मार्च के नेशनल हेराल्ड में है। वहां काफी न्युसेंस भी पैदा हो रही है। इसकी ओर सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। माओ ने जो लिट्रेचर इस संबंध में बंटवाया है उसका असर समाप्त करने के लिए तथा पेकिंग रेडियो से जो गलत प्रचार होता है एक रेडियो स्टेशन पर्वतीय प्रदेश में खुलना चाहिये। लोगों के दिमाग में एक प्रथक हिल स्टेट की योजना भी है इसका हल चाहिये।

पहले दो डिवीजन उत्तराखंड तथा कुमायूं डिवीजन खोले गये थे अब गढ़वाल तथा कुमायूं बना दिये गये। मैं समझता हूं कि यह गलत कदम है। उत्तराखंड का डिवीजन नेफा पैटर्न पर बनाया गया था। बार्डर इलाके की सुरक्षा की दृष्टि से यह डिवीजन खोला गया था। यह एक पालिसी मैटर होने की वजह से मैं नहीं समझता कि गवर्नर को इतना अधिकार था कि कि इस डिवीजन को तोड़ दे। कहा जाता है कि यह हिल टेट के नारे को समाप्त करने के लिये किया गया। बहरहाल, जब यह हुआ तो मैं यह चाहता हूं कि जब डिवीजन का विभाजन हुआ तो जिले व तहसील भी इसी हिसाब से बननी चाहिये। खासकर के मझको चम्पावत तहसील के लिये कहना है कि इसे पिथौरागढ़ जिले के साथ अवश्य ले लेना चाहिये। ऐसे ही बागेश्वर की तहसील बनाने की नितांत आवश्यकता है। कैन्टोनमेंट जो पिथौरागढ़ में बन रहा है उसमें लोगों की बहुत सी भूमि ली गयी है। उनको तराई भावर में जमीन देने में प्रायोरिटी देनी चाहिये। कई लोग ऐसे हैं जिनको कम्पेन्सेशन भी नहीं मिल रहा है और जमीन

[श्री नरेन्द्रसिंह (जिला पिथौरागढ़)]

नौकरी या उद्योग धंधे भी नहीं मिल रहे हैं। इससे वहां आज बहुत उत्तेजना और निराशा का वातावरण हो गया है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री हबीबुर्रहमान का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न। जबसे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हुई है मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि मुझे भी बोलने का समय मिले लेकिन आप बाईं तरफ कम देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बाईं तरफ ही देखा है।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

स्पीकर साहब, मैं इस बात का मशकूर हूं कि मुझे आपने कुछ कहने का मौका दिया। मोहतरिम, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे इस बात पर दुख हुआ खास तरीके से कि पूर्वी जिले, जिनके बारे में पटेल कमीशन की भी चर्चा की गयी है, के बारे में जहां तक सम्भव होगा पटेल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में पूर्वी जिलों की तरक्की के लिये काम किया जायगा। मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि जहां तक मैंने अध्ययन किया है मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे बहुत से साथी भी इस बात से इत्तफाक करते होंगे कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बीस वर्षों का नहीं बल्कि उससे और ज्यादा का अन्तर है।

[इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री नरेन्द्रसिंह (पिथौरागढ़) पीठासीन हुये।]

मैं अपने जिले आजमगढ़ को लेता हूं जहां पर अब तक सिंचाई के साधन के सिलसिले में सिर्फ २१५ ट्यूबवेल बने हैं। आप किसी भी पश्चिमी जिले को ले लीजिये तो वहां दो हजार से लेकर ढाई हजार तक आपको स्टेट ट्यूबवेल्स मिलेंगे। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा था कि आप एक वक्त मुकर्रर कर दीजिये, मसलन चार साल का कि इसके अन्दर इन थोड़े से पूर्वी जिलों में ऐसी व्यवस्था सिंचाई की की जायगी कि उनको भी वे तमाम सहूलियतें सिंचाई के मामले में मिल सकें जो प्रदेश के और हिस्सों को मिली हुई हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस सिलसिले में एक कठिनाई जो हमारे जिले में है वह यह है कि वहां पर जो लोग निजी ट्यूबवेल बनाना चाहते हैं उनको बिजली के कनेक्शन में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। इस सिलसिले में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो यह पाबन्दी लगायी गयी है कि स्टेट ट्यूबवेल के ६०० मीटर के अन्दर कोई आदमी प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं बना सकता वह खत्म कर दी जाय। और पाबन्दी लगाना जरूरी हो तो ज्यादा से ज्यादा २०० मीटर की पाबन्दी लगायी जाय इसलिये कि यह बात हर आदमी जानता है कि स्टेट ट्यूबवेल ६०० मीटर के अन्दर पूरा-पूरा पानी सप्लाई नहीं कर पाता है।

मैं यह कहना चाहता था कि इस सिलसिले में एक और पोजीशन चल रही है कि किसानों को नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट नहीं मिल पाता है। जब यह सर्टीफिकेट मिल जाता है तभी ट्यूबवेल के लिये बिजली दी जाती है इसके मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं कि किसान साल भर से ट्यूबवेल बनाये पड़े हैं लेकिन ट्यूबवेल के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली की इजाजत नहीं मिल सकी क्योंकि नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट नहीं मिल पाता। इन सब चीजों की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रदेश की गरीबी की और उद्योग धंधों की बात की जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न तो गवर्नर के अभिभाषण में, न बजट में और न मोअज्जिज सदस्यों की तकरीरों में करघा सनअत का जिक्र आया। यह प्रदेश में एक ऐसी सनअत है जिससे २५–३० लाख आदमियों को रोजगार मिलता है और इसके अलावा और कोई ऐसी घरेलू सनअत नहीं है जिससे इतने आदमियों को रोजगार मिल सके। इस ऐवान में जो मोअज्जिज सदस्य बैठते हैं जब वे बुनकरों के बीच में जाते हैं तो उनका रोना रोते हैं और हमदर्दी जाहिर करते हैं लेकिन मैं यहां चार दिनों से देख रहा हूं कि कोई सदस्य उनके बारे में कुछ कहना पसन्द नहीं करता है।

हैंडलूम के जरिये जो कपड़ा बनाया जाय उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिये। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दरियों के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है और उसकी वजह से इस कारीगरी को नुकसान पहुंच रहा है। मऊनाथ भंजन हमारे यहां एक ऐसा कस्बा है कि जिसकी आबादी ६० हजार है जिसमें से तकरीबन ४० हजार बुनकर हैं। १९४७ में मुल्क के आजाद होने के बाद से अब उनकी हालत और भी बिगड़ गई है। यह बात अपनी जगह पर है कि इस करघा सनअत के ३-४ मील आस पास जिन किसानों के पास खेती नहीं है, रोजगार नहीं है वे हजारों की तादाद में यही काम करते हैं और अपनी गुजर-बसर करते हैं।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिरादरी के लड़के बहुत कम पढ़ते हैं। यही वजह है कि १९६२ ऐसा रहा कि बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को शिक्षा के लिये मदद दी जाती थी उसमें से ८० लाख रुपया केवल मोमिन अंसारों के लिये रखा जाता था। लेकिन अब यह खत्म कर दी गई है। इसका नतीजा यह है कि जो लड़के पढ़ते हैं उनको वजीफा नहीं मिल पाता है। अब २०–२५ लाख से ज्यादा रुपया नहीं रखा जाता है। अगर अलग से बांटकर रकम रखी जाय तो इससे कहीं ज्यादा धनराशि हो सकती है।

आज पूरे मुल्क में गांधी शताब्दी मनाई जा रही है। मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मुल्क के अन्दर कपड़ों की मिलें नहीं रहनी चाहिये। मुल्क में जितने कपड़े की जरूरत है उसको हैंडलूम के जरिये पूरा किया जाय। अगर इस पर अमल किया गया होता तो आज जो प्रदेश में बेकारी की समस्या है वह बड़ी हद तक हल हो चुकी होती। मैं यह चाहूंगा कि आज इस वर्ष में जिसको महात्मा गांधी की शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाय कि प्रदेश के अन्दर कोई भी कपड़े की नयी मिल नहीं खुलेगी और जो भी कपड़े की जरूरत होगी वह करघे से पूरी की जायगी। माननीय कमलापति त्रिपाठी ने यह कहा कि चौधरी साहब यह कहते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग धंधे कायम न किये जायं, यह बात गलत है। हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग कायम हों लेकिन जो चीजें छोटे पैमाने पर तैयार हो सकती हैं, घरों में तैयार हो सकती हैं उनको तैयार करने के लिए बड़ी-बड़ी सनतें न कायम की जायं। जो चीजें छोटी फैक्टरियों में न तैयार हो सकती हों उनको बड़ी फैक्टरियों में तैयार किया जाय। मैं आपसे इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूंकि इस तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिये मैं यह भी चाहूंगा कि आइंदा जब कभी भी कोई गवर्नर का अभिभाषण हो या बजट पेश किया जाय तो करघा सनत की तरफ खास तौर से ध्यान देते हुए अलग से कुछ बातें कही जायं।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे नियोजन मंत्री ने कहा कि भट्टाचार्य आर्डिनेंस जो संविद सरकार के जमाने में बना था इस लिये वापस ले लिया गया क्योंकि चार-पांच महीने में कोई भी शिकायत नहीं आयी। चूंकि कोई शिकायत उसकी तहत नहीं आयी इस बात का वह जवाब नहीं हो सकता कि उसको वापस ले लिया जाय। अगर हमारे

[श्री हबीबुर्रहमान]

प्रदेश के अन्दर चोरी-डकैती न हो तो क्या कानून मंत्री जी उसको वापस ले लेंगे और उसकी जरूरत नहीं समझेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं एक मिनट में खत्म करता हूं । वह एक बड़ा जरूरी आर्डिनेंस इसलिए था कि सही मानी में यहां के अवाम को इस बात का विश्वास रहता कि हमारे प्रतिनिधि जो जिम्मेदारी की पोस्ट पर हैं अगर कोई गलत काम करते हैं तो हमको मौका मिलेगा कि हम उनके खिलाफ शिकायत कर सकें । इसलिये इस तरह का जो कदम उठाया गया है वह गलत उठाया गया है । इन्हीं लफ्जों के साथ मैं जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, मैं उसकी ताईद करता हूं ।

*श्री चन्द्रमोहन (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आप का आभारी हूं । मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर माननीय गेंदा सिंह द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यों तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन तमाम प्रयत्नों की ओर संकेत किया गया है जो हमारे प्रदेश को उन्नति और विकास की ओर ले जाने वाले हैं और उनकी चर्चा इस सदन में काफी सदस्यों द्वारा हो चुकी है, मैं उनका स्वागत करता हूं । माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्षेत्रीय संतुलन तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए योजनाओं की ओर जो ध्यान दिलाया है उसका विशेष रूप से स्वागत करता हूं । विस्तार में न जाते हुए मैं आपके द्वारा अपने पर्वतीय प्रदेश के विकास के लिए सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले ब्रिटिश शासनकाल से सैनिक भरती के केंद्र रहे हैं । वहां के अधिकतर लोग सेना में ही भरती हो कर सेना का कार्य करते चले आ रहे हैं । उन्हें मार्शल रेस के रूप में भी कहा जाता रहा है । इसी कारण से अंग्रेजी शासन ने पर्वतीय प्रदेश का विकास नहीं किया । उनको पिछड़ा रखा ताकि यह सैनिक बनते रहें और सैनिकों के ही रूप में अंग्रेजी शासन को बचाते रहे । किन्तु किन्हीं कारणों से आजादी के बाद भी विशेष ध्यान इन पर्वतीय प्रदेश की ओर नहीं दिया गया । इसका मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभक्त है । एक पहाड़ी हिस्सा है और दूसरा मैदानी हिस्सा है । पहाड़ी हिस्सा चूंकि क्षेत्रफल तथा आबादी में बहुत कम है और मैदानी हिस्सा उसके अनुपात में कहीं ज्यादा है इस कारण पर्वतीय प्रदेश की आवाज बुलन्द भी नहीं हुई उसकी कोई पब्लिसिटी भी नहीं हुई । इन कारणों से तथा विशेष रूप से राजनीतिक कारणों से उसके उत्थान की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । माननीय पंत जी के जमाने में इन पर्वतीय प्रदेशों के विकास के लिए एक कुमायूं बोर्ड बनाने की बातचीत चली थी किन्तु वह फाइलों में दब कर रह गयी । मुझे आज प्रसन्नता है इस बात की कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया है कि पर्वतीय विकास बोर्ड को ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दिये जायेंगे । मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर आशाजनक कदम उठावेगी ताकि पहाड़ी प्रदेश के लोग जो असंतोष, उपेक्षा और हीन भावना महसूस करते हैं वह दूर हो सके । ऐसी हीन भावना महसूस करने का कारण ऐसा है कि हमारे साथ का जो हिमांचल प्रदेश है वह बहुत आगे बढ़ गया है उत्तर प्रदेश के पहाड़ों से और यह बात अभी-अभी पौड़ी गढ़वाल के कमिश्नर श्री सिंघा ने भी अपने भाषण में कही । जाहिर है कि जब वहां का व्यक्ति इस बात को सुनता है तो वह महसूस करता है कि आज भी हम उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। किन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं जिनसे हमारा सर ऊंचा उठता है। जसे कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना की बात।

मैं माननीय विष्ट जी के इस सुझाव से सहमत हूं और उनका इस बात में समर्थन करता हूं कि कुमायूं यूनिवर्सिटी की रूपरेखा के बारे में, उसके स्थान के बारे में, तथा क्या उसका नाम रखा जाय-क्योंकि उस पर्वतीय प्रदेश में कुमायूं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी और सरहद्दी हिसाब से एक उत्तराखंड डिवीजन बनाया गया है। इस तरह से तीन अलग-अलग डिवीजन उसमें हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से उत्तराखंड कहा जाता है। इसलिये अगर उसका नाम उत्तराखंड यूनिवर्सिटी रखा जाय तो अत्यन्त ही उत्तम होगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वह सिर्फ १९.३ प्रतिशत है जब कि हर पहाड़ी प्रदेश में वन क्षेत्र ४९.०० प्रतिशत है। जाहिर है कि कृषि के लिये वहां पर भूमि बहुत कम है। हमारे गढ़वाल जिले में वन क्षेत्र ५७ प्रतिशत है जब कि खेती के लिए केवल १४ प्रतिशत भूमि है। मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि वहां पर कृषि योग्य भूमि कम होने की वजह से वहां के लोग किस प्रकार से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं और आगे उनके लिए सरकार की तरफ से क्या करना चाहिये। जिस तरह से हिमांचल प्रदेश में हार्टिकल्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि वहां पर अधिक कल्टिवेशन करना प्रैक्टिकेबिल नहीं है। पहाड़ी प्रदेशों में खेती के लिए जितनी मेहनत करते हैं उसका लाभ उतना नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि पहाड़ी प्रदेश के लोगों को हार्टिकल्चर के लिए १० साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाय तथा उतने दिनों के लिए जब तक कि बगीचा लगाने वाले अपने बगीचे से फल न लेने लगें तब तक के लिये उनको तकावी लोन देने की व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही जब वे फल पैदा करें तो उनके लिये मार्केटिंग सोसाइटी हों और उनके यातायात के लिए सड़कों का जाल भी बिछा देने की जरूरत है जिससे रूरल क्रेडिटिंग बैंकिंग बोर्ड की तरह से वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

इन्डस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अपार वन सम्पदा है। इसलिये हमारे पहाड़ों के लिये फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री होनी चाहिये और उसकी स्थापना और विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां पर रूरल सर्वेक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है, इससे हमें नई संभावनाएं मिलेंगी। अभी-अभी साराभाई इंस्टीट्यूट आफ एटामिक एनर्जी ने वहां पर अपना सर्वेक्षण किया है और उसने अपने रिपोर्ट में बताया है कि वहां पर काफी मात्रा में यूरेनियम मिलने की सम्भावना है। सभी माननीय सदस्य इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के युग में यूरेनियम एक बेशकीमती पदार्थ है। वहां पर यदि बहुत बड़े पैमाने पर भूगर्भ अन्वेषण हो तो वहां पर तांबा, शीशा, अभ्रक आदि तमाम अन्य कीमती धातुवें प्राप्त हो सकती हैं। वहां पर धरती के गर्भ में बहुत कीमती-कीमती पदार्थ मिल सकते हैं, यदि वहां पर सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर सोना पैदा किया जा सकता है और वही पहाड़ फारेन एक्सचेंज भी हमारे लिये पैदा कर सकते हैं। कॉर्निग और फ्रूट से बनने वाले पदार्थों की इंडस्ट्री कायम करके और उन्हें विदेशों में भेजकर बहुत-साधन कमाया जा सकता है।

सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गढ़वाल जिले में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी सिंचाई स्कीमें गण्डक और राम गंगा जो बन रही हैं उनमें से एक मेरे जिले गढ़वाल में है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बांध गढ़वाल जिले में बनेगा, लेकिन सिंचाई गढ़वाल में नहीं होगी। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सरकार वहां की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नदियों से पानी ऊपर उठा कर लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था करे। तराई भावर के क्षेत्र में जहां पर छोटे-छोटे बांध और पथरीली जमीन है, वहां पर ट्यूववेल्स के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

[श्री चन्द्रमोहन]

हमारे पहाड़ों पर ४९ परसेन्ट फारेस्ट हैं, जिससे आबादी के लिये जमीन कम उपलब्ध है। इसलिये वहां पर भूमिहीनों की समस्या काफी जोर पर है इसलिये इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हमारे पहाड़ों पर विशेष तौर से एक बात यह है कि रेवेन्यू अधिकारी ही पुलिस अधिकारी का भी काम भी करते हैं। पटवारी रेवेन्यू विभाग के सुरक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट अलग से समुचित सुरक्षा के लिये खोला जाए और इस पुरानी परम्परा को शीघ्रातिशीघ्र तोड़ा जाना चाहिये।

विशेष तौर से हमारे पहाड़ी प्रदेशों में समस्या इस बात की है और इस पर संविद सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया कि पहाड़ों पर गन्ने का उत्पादन कतई नहीं होता है। फिर भी वहां पर २५ ग्राम प्रति यूनिट चीनी संविद सरकार के जमाने में दी गई। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं कि वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पर चाय का सेवन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से भी चीनी की जरूरत ज्यादा पड़ती है और वहां पर गुड़ भी नहीं बनता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ पर के लोगों के लिये चीनी का कोटा खास कर के बढ़ाया जाना चाहिये। वहां पर मिट्टी के तेल आदि की भी खास करके व्यवस्था होनी चाहिये।

वहां पर जंगलात की कुछ अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं। गढ़वाल जिले में जंगलात विभाग की बहुत सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं जिन पर रुपया व्यय हुआ है। किन्तु पूर्ण न होने के कारण बरसात में उन पर व्यय किया हुआ सारा रुपया बेकार हो जाएगा और वे सड़कें बह जाएंगी। इस तरह से मैं अब अधिक समय न लेते हुए श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मध्यावधि चुनाव के दरम्यान जनता को यह आशा थी कि अपने प्रदेश में कोई लोकप्रिय सरकार आएगी, तो हम लोगों की जितनी भी उलझी हुई समस्याएं हैं, उन सबका निराकरण करने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन मान्यवर, मुझे दुःख है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में वही पुरानी घिसी-पिटी शब्दावली जो अन्य वर्षों में भी कही जाती रही है, लाकर रख दिया है। प्रदेश की जितनी भी उलझी हुई समस्यायें हैं उनके निराकरण के लिये कोई ठोस कदम उठाने का उन्होंने सुझाव नहीं दिया है। अभी तीन-चार रोज पहले हमारे एक साथी ने मिर्जापुर की विकट सूखे की समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मान्यवर, मिर्जापुर ही नहीं, उसके निकटवर्ती जिले जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ आदि की सूखे की समस्या कम भयंकर नहीं है। मिर्जापुर और बनारस से सटे हुये जौनपुर का पूरा जिला सूखे की चपेट में आ गया है और विशेषतः केराकत डोभी ब्लाक जिसके लिये हमने लिखित रूप से संशोधन भी उपस्थित किया है उसके ८० फीसदी कुंओं में इस वक्त पानी सूख गया है और जिनमें पानी है भी वहां ४ बजे सुबह से लोग खड़े रहते हैं। कुछ को पानी मिलता है बहुत को नहीं मिल पाता और निराश हो कर चले जाते हैं। इसलिये सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। सूखे हुये कुओं में बोरिंग कराकर जनता के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ-साथ किसानों की फसलें सूख गयी हैं और उसके कारण आज वे भुखमरी के कगार पर खड़े हुये हैं। सरकार को नये ट्यूबवेल्स की बोरिंग कराकर और बिगड़े हुये ट्यूबवेल्स को ठीक कराकर किसानों के लिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे सामने उपमुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। इस समय मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं कि जहां पर उस जगह की हालत यह है वहीं पर सिंचाई में मदद के लिये जो रुपया जौनपुर

जिले में भेजा गया वहां पर उसे भी काम में नहीं लाया गया है। अभी-अभी हमें पता चला है कि वहां से जो रुपया गया था जौनपुर जिले के लिये उसमें से ९ लाख रुपया वहां के अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग ने सरकार को वापस कर दिया है। यह विषय ऐसा है जिसके लिये इस सदन में सरकार ने कहा है कि किसानों की सिंचाई की व्यवस्था में सुधार किया जायगा और माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है तो मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात का पता लगावें कि उस अधिशासी अभियन्ता ने जिस पर पूरे जिले की सिंचाई का कार्यभार है कि वह सब किसानों को राहत दे तब उसने ऐसा क्यों किया कि आज पूरा जिला पानी के लिये तरस रहा है और किसानों की फसल सूख रही है और उसने ९ लाख जो इसी काम के लिये दिया गया था क्यों वापस कर दिया। यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं आफिशियल रिपोर्ट में यह बतालाया गया है, वहां की जनता ने प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि वे कृपया उस पर विचार करके समुचित कार्यवाही करें।

भारतीय जनसंघ ही एक ऐसा दल है जिसने प्रारम्भ से लेकर अब तक अपने कृषि प्रधान प्रदेश की सिंचाई की ओर बराबर सरकार का ध्यान दिलाया है कि यदि किसानों की समस्या उलझ जायगी और यदि किसान ही कमजोर हो जायगा जो प्रदेश की रीढ़ है तो सारा प्रदेश चौराहे पर खड़ा हो जायगा। लेकिन दुख है कि इस सरकार ने विदेशों से कर्ज लिया है, जनता पर और किसानों पर कमरतोड़ टैक्स लगाया है और इसके बाद जहां कृषि प्राथमिकता देना उचित था वहां पर कृषि को प्राथमिकता न देकर सरकार ने इस तमाम रुपये को बड़े उद्योग धन्धों में लगा दिया। जहां पर लोहा और टीन की चद्दरें पैदा होती हैं वहां पर खाना और अन्न पैदा नहीं होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा प्रदेश भुखमरी के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। आज जिस प्रकार की प्रदेश की स्थिति है वह पूर्वी जिलों में घूमने के बाद आपको मालूम हो सकती है कि वहां पर ८० फीसदी परिवार आज बिलकुल भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही सरकार का रवैया रहा तो इस प्रदेश में एक मिर्जापुर नहीं बल्कि पूर्वी जिलों में अनेक मिर्जापुर पैदा हो जायेंगे। माननीय उप मुख्य मंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं। वे वहां की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी परसों राजस्व मंत्री जी की तरफ से यह पुस्तिका बांटी गई जिसमें लिखा गया है कि पूर्वी प्रदेश के ८ जिले सूखे के प्रभाव से पीड़ित हैं। इनके नाम भी दिये गये हैं लेकिन आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सूखे से प्रभावित जिलों का नाम लिया है उनमें दो जिलों को छोड़ दिया गया है। जौनपुर और गाजीपुर इन दो जिलों को छोड़ दिया गया है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री जी उन दो जिलों जौनपुर और गाजीपुर को हजम कर गये हैं। यदि उन दो जिलों की उपेक्षा की जायगी तो परिस्थिति वहां पर और गम्भीर हो जायगी। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन दोनों जिलों को जौनपुर और गाजीपुर को सूखे से पीड़ित घोषित नहीं किया गया तो वहां पर किसानों की जो समस्यायें हैं वे और उलझ जायगी।

वहां पर किसानों को जो बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं उनमें भी उनको बड़ी असुविधा और कठिनाई होती है। किसानों को जो लोड मन्जूर हो जाता है उसके लिये किसान बिजली इन्सपेक्टर के पास आता है और अपना कनेक्शन उससे मांगने की बात करता है लेकिन बिजली इन्सपेक्टर जिन किसानों से ४,५ सौ रुपया पाता जाता है उनको वह मन्जूरी दे देता है और जिनके पास पैसा नहीं रहता है उनको कोई वर्षों तक पूछने वाला नहीं है। जहां पर सूखे की इस प्रकार से स्थिति हो वहां पर बिजली का इन्सपेक्टर किसानों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करे यह ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त करने के लिये मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से उसको किसानों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिये। अगर इस प्रकार से रवैया रहा और उसका व्यवहार रहा तो सरकार लाख चिल्लाती रहे किसानों की कोई समस्या सुलझ नहीं सकती है।

[श्री रामसागर---]

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार हरिजनों के बारे में बहुत बड़ी लम्बी-चौड़ी स्पीच देती है और उनके उत्थान का बहुत बड़ा ढिढोरा पीटती है लेकिन अधिष्ठाता महोदय सही बात तो यह है कि सन् १९४७ से अब तक अपने प्रदेश में हरिजनों की स्थिति जो पहले थी वही अब भी है। हरिजनों को सहायता देने के शब्दों में हवाई किले खड़े किये जाते हैं लेकिन वे गरीब आज भी अपनी झोंपड़ी में भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाज में उनका स्तर ऊंचा नहीं उठ सका है जिससे वह समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकें। भूमिहीनों की बात जाने दीजिये। उनकी हालत तो और भी खराब है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति के लिये १८ फीसदी का रिजर्वेशन है और अभी तक २१, २२ वर्ष कांग्रेसी शासन के दौरान हरिजनों को १८ फीसदी का रिजर्वेशन कौन कहे २।।, ३ प्रतिशत से अधिक नहीं मिल पाया है। महकमों की छानबीन की जाय तो इससे अधिक कहीं आपको नहीं मिलेगा। केवल २।। प्रतिशत अभी तक पूरा किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व सरकारी सर्विसेज में मिले इसको जानने के लिये १९५९ में एक राधाकृष्णन कमीशन गठित हुआ था जिसने हरएक महकमे में जाकर पता लगाया। पता लगाने के बाद जो उसने रिपोर्ट दी है उसका ब्यौरा निम्नलिखित है— उस कमीशन ने सभी विभागों के अध्यक्षों को बुलाकर उनसे पूछा और विभिन्न कार्यालयों में जाकर स्वतः पता लगाया जिसका विवरण इस प्रकार है। उप आयोग कार्यालय, लखनऊ में लिपिक वर्ग की संख्या ३७८, हरिजन एक था और होने चाहिये थे ६९। अमीन ७२, हरिजन एक भी नहीं और होने चाहिये थे १४। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १७५, हरिजन ३१ और होने चाहिये ३३। अपर जिलाधीश नियोजन, इलाहाबाद के कार्यालय में लिपिक वर्ग की संख्या २२६ थी, जिसमें हरिजन थे ९ और होने चाहिये ४१। अमीनों की संख्या में हरिजन एक भी नहीं, होने चाहिये १३ पंचायत मंत्री में संख्या ३१६, हरिजन १६ और होने चाहिये ३९।

श्री अधिष्ठाता---

यह तो बहुत ब्योरा आप दे रहे हैं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामसागर---

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि सरकार जो हवाई किला खड़ा कर रही है उसके बजाय कोई ठोस कदम उठावे तो ज्यादा उचित होगा।

श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए श्री गेंदा सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगी कि पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु मैदानी इलाकों से भिन्न होने के नाते वहां की भौगोलिक स्थिति भी पृथक है। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयां हैं। पेय जल के लिये लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। कई मील दूरी से पानी पीने के लिये लाना पड़ता है जिसमें उनका पूरा समय व्यतीत हो जाता है। पहाड़ी इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। ऐसी ही सिचाई की भी कठिनाई है। वहां ट्यूबवेल से सिचाई नहीं हो सकती, पंपिंग सेटों द्वारा ही सिचाई संभव हो सकती है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि पहाड़ में बिजली हो। बिजली के अभाव में कोई उद्योग-धंधे भी नहीं चल सकते। पहाड़ों पर बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है जिसके द्वारा उद्योग-धंधे चलाये जा सकते हैं।

महोदय, मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ और सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां भूमिहीन और हरिजनों की पृथक-पृथक समस्याएं हैं। एक तो वहां बेरोजगारी है और दूसरे काफी मेहनत करने पर भी पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा नहीं हो सकता। वहां कई ऐसे खनिज

पदार्थ हैं जैसे कि मैग्नीसाइट, तांबा, लोहा, सीसा आदि। वहां इनके कारखाने खोले जायं जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है और पहाड़ों में हरिजन जनता जिन को शिल्पकार कहते हैं, उनके लिये औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र वहां खोलकर छोटे, लघु उद्योग चलाये जा सकते हैं। मेरे क्षेत्र में यातायात की भी कठिनाइयां हैं। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पुलों का होना आवश्यक है और मोटर रोड होना भी जरूरी है। एक वेली ऐसी है जहां मैग्नीसाइट आदि कई तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं और जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं जिनसे औषधि तैयार होती है। वहां पर बालीघाट चौरा, दाफाड़ और धरमघर होकर एक रोड की बहुत आवश्यकता है। श्रीमन्, मेरे ही क्षेत्र में पिंडारी ग्लैशियर आती है जहां बाहर से पर्यटक आते हैं और हमारे देश के लोग भी आते हैं पर रोड के अभाव में आने-जाने में असुविधा होती है। इसलिये पिंडारी ग्लैशियर रोड का निर्माण होना भी बहुत आवश्यकीय है। जिससे वहां काफी मात्रा में पर्यटक आ-जा सकें। बागेश्वर केन्द्र स्थान है मेरे क्षेत्र का। वहां नगरपालिका भी है, वहां एक तहसील का होना अनिवार्य है क्योंकि अल्मोड़ा आने-जाने में ही लोगों के ४–५ दिन लग जाते हैं।

महोदय, मेरे क्षेत्र में जर्मन सरकार की सहायता से तीन विकास खंडों में रासायनिक खाद द्वारा सघन खेती की योजना चल रही है जिससे किसान फायदा उठा रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि गरीब किसानों को खाद कम कीमत पर दी जानी चाहिये ताकि वे भी उसका पूरा फायदा उठा सकें।

श्रीमन्, पहाड़ी प्रदेश की समस्यायें वहां से बिलकुल भिन्न होने के कारण महामहिम राज्यपाल ने पर्वतीय विकास के लिये एक विकास परिषद के गठन करने की बात कही है। मुझे आशा है इससे वहां काफी विकास का कार्य हो सकेगा। इस परिषद् के गठन पर शीघ्र विचार किया जाय। कुमायूं विश्वविद्यालय की ओर भी शीघ्र ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देती हूं।

श्री नसीमउद्दीन (जिला कानपुर)—

मैं भी अपनी फेडरेशन का नुमाइन्दा हूं, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर समय की मांग करने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

मुझे आशा है आप यहां अव्यवस्था पैदा नहीं करेंगे। आप सब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नसीमउद्दीन (जिला कानपुर)—

मुझे बोलने का अवसर दिया जाय, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें (माननीय सदस्य बैठ गये—)

***श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—**

श्रीमान स्पीकर साहब, आज करीब-करीब ८ रोज से मैं इस असेम्बली में बैठ रहा हूं। इस दरम्यान में बहुत से कागजात भी मेरे सामने आये। बहुत सी स्पीचेज हुई, गवर्नर साहब का ऐड्रेस भी मैंने सुना। मगर मैं यह कहूं कि मैंने सब कुछ समझ लिया या समझ गया तो यह गलत होगा। बहुत कुछ स्पीचेज ऐसी हुई जिनको मैं नहीं समझ सका, जो कागजात मेरे सामने आये उनमें से तो एक को भी मैं नहीं पढ़ सका। मैं उन लोगों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]

नहीं हूं कि जिनको किसी खास जुबान से दुश्मनी हो। मुल्क की तरक्की के वास्ते यह जरूरी है कि मुल्क में कौमियत हो, और यह कौमियत उसी वक्त पैदा हो सकती है जब पूरे मुल्क में एक जबान हो और वह जबान वही होगी जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते हैं, पसन्द करते हैं। इन्डियन कान्सटीट्यूशन में यह प्रोवाइड कर दिया गया है कि वह हिन्दी जबान होगी। हिन्दी जबान को आप तरक्की दें, मैं आपके साथ हूं। हिन्दी जबान की जितनी ज्यादा से ज्यादा तरक्की होगी मेरे लिये वह उतनी ही खुशी की बात होगी, मगर उसी के साथ-साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और स्पीकर साहब से दरखवास्त करूंगा कि और किसी वजह से न सही करटेसी की वजह से ही आपको जरूर ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि जो हिन्दी जबान को अच्छी तरह से न समझ पाते हों आपके प्रोग्राम वगैरह को, उनके लिये कुछ इन्तजाम हो। इसके लिये मैं दरखवास्त करूंगा कि आप ऐसी जबान रायज करने की कोशिश करें जिसको सब लोग समझ सकें।

जुबान असेम्बली के अन्दर ही लिखी जाती है, वह बोली जाती है जिसको असेम्बली के लोग बहुत समझ भी नहीं पाते।

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा वह यह है कि इस जुबान को तरक्की देने के लिये यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरी जुबानों को खत्म कर दिया जाय। मुझे गुजिश्ता सत्रह साल में हिन्दुस्तान का अम्बेसेडर रहने का मौका मिला है। मैंने दूसरे मुल्क देखे हैं जिनमें आजादी के बाद उस मुल्क की जुबान में तरक्की देने की कोशिश की जा रही है और वह कोशिश बहुत हद तक कामयाब हुई है। मगर उनमें मैंने कहीं नहीं देखा कि जो वहां की मुखतलिफ जबानें हैं उनको किसी को नुकसान पहुंचा या किसी को खत्म कर देने की कोशिश की गई हो। अभी सन् १९६७ तक मैं मलाया में हाई कमिश्नर था। मलाया में चीनी जुबान है, तमिल जुबान है, मलाया जुबान है, इंगलिश जुबान है। उन्होंने मलाया जुबान को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया। मगर उसी के साथ हुकूमत पूरी मदद करती है ताकि दूसरी जुबान भी पूरी तरक्की करें जिस तरह से मलाया जुबान तरक्की कर रही थी। हुकूमत की तरफ से उनको मदद दी जाती है कि वे तरक्की करें और उनका प्रचार हो। मैं पहले स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहबान से दरखवास्त करूंगा कि जो तरक्की मलाया ने अख्तियार की है उससे सबक लें। इस तरीके से वह हिन्दी की ज्यादा मदद कर सकेंगे, हिन्दी की तरक्की कर सकेंगे और जो गलत किस्म की कंट्रोवर्सी जो यहां पैदा होती हैं वे यहां पैदा नहीं हों।

चेयरमैन साहब आप को यह मालूम है कि एक हलफ लेने के मामले में कितने किस्म के तरीके अख्तियार किये गये और उसमें क्या क्या हुआ। यह आपने हलफ तो दिलवा दी, मैंने भी ले ली हलफ मगर मैं आज सच्चाई के साथ आपसे कहता हूं कि मैंने जो हलफ ली है मुझे आज तक नहीं मालूम कि उसमें क्या था और उसके मानी क्या थे। मेरे वास्ते हलफ की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने बचपन से ही बल्कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद ही से हिन्दुस्तान की बेहतरी का हलफ ले रखा है। मैं हिन्दुस्तान का हमेशा से वफादार रहा हूं और रहूंगा मगर जरूरी यह है कि आप पूरा ख्याल इसका भी करें कि ऐसे मुतबर्रक और ऐसे सालम आकेजन जैसा कि हलफ लेने का होता है वह इस तरह न बना दिया जाय कि उससे एक दूसरों पर हंसने का मौका मिले जिस तरह से हलफ की रसम यहां हुई है और मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द न सिर्फ गवर्नमेन्ट के लोग बल्कि अपोजीशन के लोगों को समझना चाहिये कि हलफ का कम से कम आकेजन ऐसा न होना चाहिये जो सालम आकेजन रहे।

स्पीकर साहब, गवर्नर का एड्रेस मैंने पढ़ा तो उसको मैं नहीं समझ पाया। मगर दूसरे दिन नेशनल हेराल्ड और पायोनियर में कुछ उसके अल्फाज जिससे पता चला कि ये क्या एड्रेस था और गवर्नमेन्ट का प्रोग्राम क्या है। गवर्नमेन्ट का प्रोग्राम तो जाहिर अच्छा सा मालूम होता है मगर मुश्किल यह है कि जिन लोगों ने वह प्रोग्राम पेश किया है उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। २०७ की तादाद में वे जरूर आ गये हैं मगर कामन मैन का मैं सूबे में जो देख रहा हूं, उन पर भरोसा बिल्कुल बाकी नहीं रहा है। यही वह पार्टी थी जिसने

हिन्दुस्तान की आजादी का दम भरा था। हिन्दुस्तान की आजादी के वास्ते इन्होंने अपना जंग लड़ा था और वायदा किया था कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान में एक रामराज्य कायम होगा।

क्या यह वही रामराज्य है कि आज किसी भी दफ्तर में आप चले जाइये और पैसा खर्च कीजिये तब आपका काम हो। अगर आप शकर और तेल चाहते हैं तो वह आपको ब्लैक मार्केट से ही मिल सकता है आपको डीलर के जरिये से नहीं मिल सकता जिसको गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। काश्तकारों को पानी चाहिये लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है। अगर आप स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकते। नगरपालिका स्कूलों में जिस प्रकार की तालीम होती है वह ऐसी है कि समझदार लोग उनमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। वे बेहतर तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को शहरों में क्रिश्चियन और मिशनरी स्कूलों में तालीम के लिये भेजते हैं और जिला परिषद् के स्कूलों में नहीं भेजते। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि क्या यह वही रामराज्य है जिसका गांधीजी ने हमसे वायदा किया था, क्या यह वही रामराज्य है जिसका नाम लेकर कांग्रेसी नेता पुकारा करते हैं। यह निहायत शर्मनाक हुकूमत कायम हुई है। मैं समझता हूं उसको अपना यह रवैया जल्द से जल्द ठीक करना चाहिये।

श्रीमन्, ताहम मैं एक डैमोक्रेटिक आदमी की हैसियत से जनता की वर्डिक्ट के सामने अपना सिर झुकाता हूं जिसने कांग्रेस पार्टी को अपनी हुकूमत बनाने के बारे में दिया है परन्तु मैं इस हुकूमत से यह उम्मीद करता हूं कि सन् ६७ और ६९ में जो मारपीट हुई है, उससे उनके दिमाग ठीक हो गये होंगे और इस बार जनता के साथ वे बफा करने की कोशिश करेंगे। कल एक मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में खुश होकर कह रहे थे कि हमको पब्लिक ने स्वीकार कर लिया है और बी० के० डी० की तरफ इशारा था कि उनको रिजेक्ट कर दिया है। वे जब यह फरमा रहे थे तो मैं यह महसूस कर रहा था कि यह कांग्रेस एक मतलूका, तलाक दी हुई औरत की तरह से, जिसको उसके शौहर ने फिर रख दिया है, खुश हो रही है। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है। लेकिन आप ख्याल रखें कि इस मर्तबा आप वफा करें। अगर वफा करेंगे तो जरूर ही आप अपनी उस अजमत को हासिल करेंगे जो गांधीजी ने आपके लिये हासिल की थी। वह एक बार फिर आपको वापस हो जायगी। इसके लिये मैं इस हुकूमत से यह अर्ज करूंगा कि उसको चन्द बातों का खास तौर पर ख्याल करना चाहिये।

इस वक्त जनता की यह मांग है और सूबे की बहबूदी के लिये जरूरी है कि यहां एक स्टेबिल और स्ट्रांग गवर्नमेंट कायम हो लेकिन वह २०७ मेम्बरान से कायम नहीं होगी। बैलों के नुमाइन्दे तो ज्यादातर बैल ही हो सकते हैं उन के लिये किसी ऐसे हलदार किसान की भी जरूरत है जो उन बैलों को ठीक से चला सके। अगर आप वहां स्टेबिल और स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहते हैं तो उसकी यह सूरत हो सकती है कि कांग्रेस और बी० के० डी० कम्बाइन करे, मर्ज न हों बल्कि मेरा मतलब यह है कि एक दूसरे से कोलिशन करें और तभी सूबे के लिये एक स्टेबिल और स्ट्रांग गवर्नमेन्ट कायम की जा सकती है। मुमकिन है कि दोनों तरफ के लोग अपनी-अपनी पार्टीज से इतने एफीलियेटेड हों कि वह सीधे रास्ते पर न चल सकें लेकिन इस एवान में बहुत से मेम्बरान सच्चाई से सूबे की बहबूदी के लिये एक स्टेबिल और स्ट्रांग गवर्नमेन्ट की पूरी मदद करेंगे।

दूसरी चीज जिस की जनता तालिब है वह है सूबे के लिये एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन आज जो कुछ हालत है वह मैं कहां तक बयान करूं वक्त भी नहीं है कि कह सकूं। किसी मुकदमें में भी आप बिना पैसा दिये हुये रिश्वत दिये हुये कामयाब नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई होना बहुत ही जरूरी है लेकिन यह तभी हो सकता है जब पहले मिनिस्टर साहबान खुद अपने को साफ कर लें। मैं ने दूसरे मुमालिक की हुकूमतें देखी हैं वहां किस तरह से मिनिस्टर लोग काम करते हैं। हमारे यहां मिनिस्टर साहबान खुद नापाक हो रहे हैं और अक्सर उनके खिलाफ भी शिकायतें होती हैं। जरूरी है कि यहां एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

जिसमें ऊपर से सफाई हो, पहले वह अपनी सफाई करें और जिस वक्त वह अपने को पहले साफ कर लेंगे तो नीचे वाले खुदबखुद साफ हो जायेंगे। मैंने खुद बहैसियत हैड आफ दि डिपार्टमेंट इस बात का तजुर्बा किया है। अगर सचाई से चला जाय तो दिक्कत नहीं होती, मुझे अपनी ३० साल की सर्विस में कभी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ कि जब मेरे मातहतों में इस तरह की नापाकी और ब्राइबरी की शिकायतें मिली हों। तीसरी चीज जो आप से मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है कि हमने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिये जो फैसिलिटीज दी हैं वह काफी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया, एक मिनट में खत्म करें।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

मैं चाहता हूं कि आप ऐसा इंतजाम करें कि एग्रीकल्चर जिससे आप की दौलत बढ़ सकती है और तरक्की हो सकती है उसके लिये ज्यादा फैसिलिटीज दें लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जो कुछ फैसिलिटीज आप देते भी हैं उन का भी इस्तेमाल जिलों के आपके नेता लोग ही पहले कर लेते हैं और आम काश्तकार तक वह नहीं पहुंच पातीं। मैं उम्मीद करता हूं कि नये मिनिस्टर साहबान जो मुकर्रर हुये हैं वह इस बात का खयाल करेंगे कि यह एग्रीकल्चरल फेसिलिटीज पहले आम किसान के पास पहुंचे। केनाल्स के बढ़ाने के लिये भी कोशिश की जाय। सेलरी एन्क्रीज के बारे में भी मैं कहूंगा कि यह बहुत जरूरी चीज है लेकिन इस के साथ ही रेशनेलाइजेशन आफ स्केल्स बहुत ही जरूरी चीज है और जो रेशनेलाइजेशन किया गया है वह बहुत ही नाकाफी है। अब वक्त नहीं है इसलिये फिलहाल तो मैं इस गवर्नर के ऐड्रेस को सपोर्ट करूंगा और उस के बाद देखूंगा कि कहां तक यह गवर्नमेन्ट अपने इस इरादे पर कायम रहती है कि वह सूबे की जनता की बहबूदी और बेहतरी के लिये काम करती है, अगर वह नहीं करेगी तो मैं जरूर उस के खिलाफ अपनी राय रखूंगा।

(श्री महेश्वर दत्त सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

आप हमें और हमारी पार्टी के लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं और इस के विरोध में हम अब सदन का त्याग करेंगे और इसके बाद हम फिर आ जायेंगे और उसके बाद यदि आप ३ बजे तक हमें फिर भी समय न देंगे तब हमें सदन का बायकाट करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

(माननीय सदस्य ने सदन का त्याग किया।)

*श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो लेख दिए हुए हैं, वे बहुत आवश्यक थे। जहां तक हमारे विरोधी भाइयों की आलोचना करने का सम्बन्ध है मैं मानता हूं कि आलोचना करना विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का पुनीत कर्त्तव्य है परन्तु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह आलोचना ऐसी न हो कि हमारा जो विधान है, उस पर उसका कुछ असर न पड़े।

श्रीमन्, मैं गोंडा क्षेत्र का रहने वाला हूं। वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर गत बीस वर्ष से कोई नयी सड़क नहीं बनी है। बलरामपुर भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। वहां पर पहले रिया-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत थी। उस समय वहां पर कुछ सड़कें बनी थी लेकिन उन सड़कों की मरम्मत के बारे में आज कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस सरकार को उनके रख रखाव की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है हमारे यहां रियासत के जमाने में कुछ कुएं बने थे, जो अब बन्द हो गये हैं। न उनको अब खुदवाया जा रहा है और न नये कुओं का ही निर्माण हो रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, तराई का, जहां पर कुएं बन ही नहीं सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस क्षेत्र की ओर इस बारे में विशेष ध्यान दें। जो लोग हमारे यहां कुएं बनवाना भी चाहते हैं, तो बनवा नहीं सकते हैं क्योंकि ५०० या ६०० फुट बोरिंग करवानी पड़ती है। अतः श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर भी ध्यान दें।

श्रीमन्, गोंडा जिला कुछ दिन तो इसी चक्कर में पड़ा रहा कि न यह पश्चिमी जिलों में और न पूर्वी जिलों में माना जाता था। वह हर मरतबा बीच में ही रह जाता था लेकिन अब ऐसा पता चला है कि वह पूर्वी क्षेत्र में शामिल हो गया है। अगर हमारे प्रदेश के पिछड़े जिलों को देखा जाय तो जितने पिछड़े जिले हैं शायद उनमें यह जिला सबसे पिछड़ा है। इसके पिछड़ेपन का खास कारण यह है कि यह पहाड़ी इलाके से मिला हुआ है और वहां पर ट्यूबवेल नहीं बने हैं। जब तक सिंचाई का कोई उचित प्रबन्ध नहीं होगा वहां के काश्तकारों की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देने का विशेष अनुरोध करूंगा।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है हमारे जिले में राजकीय स्कूल नहीं खोले गये हैं। कोई नया स्कूल नहीं खुला है। चूंकि अभी तक इस जिले की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे शिक्षा की ओर भी तुरन्त ध्यान दें।

*श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया जब कि मैं लगातार ४–५ दिन से कोशिश कर रहा था। श्रीमन्, राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का जो इस सरकार से विश्वास उठ चुका है, वह दुबारा कायम हो। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता की जो आस्था और विश्वास है, वह प्रजातंत्र से उठ चुका है। इस २२ वर्ष की अवधि में हमारे प्रदेश में जब से कांग्रेसी शासन रहा है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है। अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजों से विरासत में शासन मिला था कांग्रेसी सरकार को और कांग्रेस सरकार ने विरासत लेने के बाद अंग्रेजों की वही नीति अपनाई डिवाइड एंड रूल वाली। लोग यहां चुन कर आते हैं लेकिन बजाय जनता की तथा अपने क्षेत्र की सेवा करने के वे पदों के लालच में पड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनके क्षेत्र में लोगों को क्या दिक्कतें हैं? आज प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस राज्य में अध्यापक, विद्यार्थी, काश्तकार और मजदूर सभी परेशान हैं। कांग्रेस दल के विधायक अपने दिल पर हाथ रखें और पूछें कि उनके क्षेत्र की क्या समस्यायें हैं? समस्या आज सभी के सामने यही है कि किस तरह से बच्चों की शिक्षा दी जाय, कैसे उनका पेट पाला जाय, पहनने को कपड़ा कैसे दिया जाय। अदालतों में आज काश्तकार परेशान हैं। वहां महात्मा गांधी की फोटो जजों के ऊपर लगी हुई है और उनका एक हाथ फैला हुआ है उसे दिखा कर जज का पेशकार कहता है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि कम से कम ५ रुपया लो तो तुम्हारा काम होगा। आखिर इन अदालतों में सुधार कैसे किया जाय? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनोहर लाल]

जहां तक शिक्षा का सवाल है जरूरत आज इस बात की है कि उसमें आमूल परिवर्तन किया जाय । स्कूलों की हालत बहुत बुरी है । २२ साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि स्कूलों की दशा सुधारी जाय । हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । ८० प्रतिशत जनता इस प्रदेश की गांवों में रहती है । वहां बच्चों की हालत यह है कि उनके लिये पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है । बहुत से स्कूल व पाठशालें ऐसे हैं जिनमें अध्यापक तथा अध्यापिकायें एक एक साल से सस्पेंड हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है । डी० आई० नहीं सुनता । मैनेजर लोग मालूम होता है डी० आई० के ऊपर हैं । मेरा सुझाव है कि स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । जिस प्रकार से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है उसी प्रकार से स्कूलों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । आज जनता बहकावे में आने वाली नहीं है । २२ साल तक आपने वायदे किये, आश्वासन दिये लेकिन अब धीरज का बांध टूट चुका है । आज आवश्यकता इस बात की है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम किया जाय ताकि जनता की भलाई हो सके । हमको अपना दिमाग बदलना होगा, कुछ सोचना व समझना होगा ।

हमारा प्रान्त बहुत बड़ा प्रान्त है और कानपुर एक औद्योगिक नगर है लेकिन २० साल से उसकी उपेक्षा की जा रही है । कानपुर में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है । पं० नेहरू कहा करते थे कि जो कारखाने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वे कोई उद्योग नहीं है । कानपुर में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जहां कि जो लाखों लोग बेकार हैं उसमें लग सकें और काम कर सकें । हम चाहते हैं कि हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो । हमारे नवयुवक आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके सामने ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे प्रदेश की भलाई के लिये वह कुछ सोच सकें । अगर हमारे राज्यपाल महोदय ने किसानों के बारे में कुछ कहा होता तो बड़ा अच्छा होता ।

जहां तक कुटीर उद्योगों की बात है राज्यपाल महोदय ने यह बात तो कही है कि हम चाहते है कि प्रदेश में उद्योग धन्धे बढ़ाये लेकिन लघु उद्योग-धन्धे हैं हवा में गायब होते जा रहे हैं । मिसाल के लिये जो दरियां बनाने का उद्योग है जब तक सेल्स टैक्स दरियों पर नहीं लगा था तबतक काफी दरियां इस प्रदेश में बनती थीं । लेकिन जब से हमारी सरकार ने दरियों पर बिक्री-कर लगाया उसका नतीजा यह हुआ कि मिल के मुकाबले में उनका मूल्य बढ़ गया और प्रदेश में जो करीब ३० लाख बुनकर यह काम करते थे वे बेकार हुये जा रहे हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि दरी उद्योग पर से बिक्री-कर हटा लिया जाय ।

जहां तक काश्तकारों की बात है राज्यपाल महोदय ने यह बात तो कही कि हम चाहते हैं कि काश्तकारों की दशा को सुधारा जाय लेकिन किस तरह से सुधारा जायगा यह बात समझ में नहीं आती । हम चाहते हैं कि विरोधी दल के नेता ने जो धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन दिये हैं उन पर विचार किया जाय । हमारे कानपुर में एक बात और है कि ४-५ मिलें बन्द पड़ी हैं जिसके कारण ५ हजार मजदूर परिवार बेकार हैं । राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में कोई बात नहीं कही । उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इस साल औद्योगिक शान्ति रही जब कि कानपुर में कोई शान्ति नहीं रही बल्कि अशान्ति रही । हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो मिलें बन्द पड़ी हैं उनको चलाया जाय जिससे पांच हजार मजदूर परिवार जो बेकार हो रहे हैं उनको रोजगार मिल सके । हम चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना हमारे सामने आये जिसके बारे में हम सब मिल कर अपने प्रदेश की तरक्की के लिये काम कर सकें । आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । राज्यपाल महोदय ने कोई ऐसी बात नहीं.....।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मनोहरलाल—

आप जब बोल रहे थे आप भी टाइम मांग रहे थे और समय समाप्त होने के बाद भी बोलते रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता—

यह चेयर पर लांछन है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून)—

मैं माननीय श्री गेंदा सिंह ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव महा माननीय राज्यपाल के लिए पेश किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हू । जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारा प्रदेश सारे प्रदेशों स पिछड़ा हुआ है और गरीब है । अगर हम देखें तो देश के ५८ जिले ऐसे हैं जो सारे भारत में सबसे पिछड़े और गरीब हैं । उनमें से २२ जिले हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और उनमें से भी ११ जिले हिन्दुस्तान के सबसे गरीब जिले हैं । कृषि पर निर्भर करने वालों का अगर सारे भारत का हिसाब लगाया जाय तो वह ५२.८२ है जबकि हमारे प्रदेश में ६३.८६ है । हमारे यहां प्रति व्यक्ति की औसत १.४६ हैक्टियर है जब कि सारे देश की औसत २.२० हैक्टियर है । तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के मामले में भी प्रति व्यक्ति हमारे पास जमीन कम है । यही हालत हमारे उद्योगों की है । उद्योगों से जो आमदनी हमारे प्रदेश की है वह १०.७ है जब कि देश में १७.८ है । इसी प्रकार खानों में काम करने वाले लोगों की तादाद हमारे यहां ९.६ है और इस देश में १३.६ है । इसी प्रकार बेरोजगारी में तीसरी पंच वर्षीय योजना के अंत में हमारे सारे देश में १ करोड़ लोग हैं जिसमें से २१ लाख हमारे प्रदेश के हैं । २१ प्रतिशत के हिसाब से हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है । चिकित्सा में भी हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है । शिक्षा में हमारे देश में २४ प्रतिशत है जब कि हमारे प्रदेश में १७.६ ह । इसी प्रकार से लड़कियों की शिक्षा के संबंध में हमारे देश में १७.१ है और हमारे प्रदेश में ९.१ हैं । इस प्रदेश की स्थिति को हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि इसका कैसे उत्थान हो और कैसे यह आगे बढ़े ।

मान्यवर, राज्यपाल ने कुछ मुख्य मुख्य बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । चौथी पंच-वर्षीय योजना में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि ३०५० करोड़ रुपया व्यय करने के बाद चौथी योजना के अन्त तक (१९७३–७४) हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के तृतीय पंचवर्षीय योजना के (मार्च, १९६९) बराबर पहुंच सकेगा । हमारे प्रदेश की बड़ी दयनीय दशा है । इसके लिये कुछ करना पड़ेगा । हमें खेती के ऊपर अधिभार कम करना होगा । नेता विरोधी दल ने भी कहा है कि अगर कृषि के ऊपर से भार कम नहीं करेंगे तो हमारी समस्या सुलझ नहीं सकती है ।

कृषि के मामले में हमारे प्रदेश का कुल खर्चा उत्पादन पर १९.३ है जब कि देश के अन्य प्रदेशों का १६.१ है । हमें खेती के ऊपर से लोगों का रूझान हटाना पड़ेगा और उद्योगों की तरक्की करनी होगी । कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के संबंध में हमें अपनी नीति निर्धारित करनी होगी तभी हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । चिकित्सा में भी आप देखेंगे कि एक लाख के ऊपर १३.७ डाक्टर ह जब कि देश में १७.२ है । इसी तरह से २०,७०० के ऊपर एक नर्स है जब कि देश में ९५५५ कुछ के ऊपर एक नर्स है । हमें चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान देना होगा । पहाड़ी जिलों के संबंध में हमने पहले भी निवेदन किया था कि देहरा-दून में एक मेडिकल कालेज होना चाहिए ।

आपने देखा होगा कि जिस समय अस्पतालों में जाने की बात होती है तो सबसे ज्यादा डाक्टर पहाड़ों में जाने से घबराता है । अगर देहरादून में मेडिकल कालेज हो जाय तो पहाड़ के लोग आएंगे और डाक्टर बनेंगे और वे प्रदेश की सेवा कर सकेंगे । अब मैं कुछ थोड़ी सी बातें पहाड़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय, आपने भी कहा, सरकार का ध्यान भी गया है कि एक हिल बोर्ड बनाया जाय । केवल अगर बोर्ड बनाने की बात है, वह बनाया जाय या न बनाया जाय कोई फायदा नहीं है । जब तक उसको वित्तीय अधिकार न दिये जायं ।

[श्री गुलाब सिंह]
इस किस्म की स्कीम बनायी जाय जिससे बोर्ड स्वयं निर्णय ले सके और उनको कार्यान्वित कराये। तभी वहां की समस्या का हल हो सकता है। वरना बेकार का बोर्ड बनाने से कोई फायदा नहीं है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा पहाड़ों का उत्थान फल पट्टी योजना से हो सकता है, जिससे अधिक से अधिक पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। वन विभाग की ओर से जहां पर बांझ के वन हैं, या नंगे हैं, या जल गये हैं वहां पर लोगों को बाग लगाने के लिए जमीन दी जाय ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने पहली बका उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन जातियां घोषित की हैं। उनके लिए बहुत चीजों की व्यवस्था करने की बात कही गयी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि जब जन जातियां घोषित हो गयी तो उनको केन्द्र की ओर से सरकारी नौकरियों में संरक्षण मिल रहा है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया। मैं निवेदन करूंगा कि इन जन जातियों के लोगों के लिए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में संरक्षण होना चाहिए जिस प्रकार और लोगों के लिए है।

मसूरी पहाड़ों की रानी कहलाती है लेकिन पर्यटन की लिस्टों में मसूरी का नाम ही नहीं है। मसूरी को उस लिस्ट में आना चाहिए और वहां सुन्दरता को देखते हुए टूरिस्ट के लिए होस्टल आदि की विशेष सुविधा देनी चाहिए।

पहाड़ों में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है कि हाल ही में मसूरी में फास्फेटिक उर्वरक के लिए परीक्षण हो रहे हैं। सरकार इधर ध्यान दे। वहां पर खनिज पदार्थों की खोज से वहां के लोगों की आर्थिक दशा अच्छी हो सकती है और उनका स्तर ऊंचा हो सकता है। आप देखेंगे कि देहरादून के पास चूना का पत्थर सब से ज्यादा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से वहां पर एक सीमेंट फैक्टरी खोली जाय ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश की समस्या भी हल हो सके।

श्री अधिष्ठाता—
मैं देख रहा हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलने को इच्छुक हैं। अगर हम माननीय सदस्य १०-१० मिनट बोलेंगे तो ज्यादा सदस्य नहीं बोल सकेंगे। आपको मालूम है कि विरोधी दल के नेता बोलेंगे, फिर नेता सदन भी बोलेंगे। अब समय बहुत कम है। मैं कितना भी कोशिश करूं, इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि सदन की इच्छा हो तो ७ मिनट का समय मैं हर एक वक्ता के लिये रख दूं। तो अब ७ मिनट का समय हर वक्ता को मिलेगा।

*श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—
अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह द्वारा उपस्थित किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। श्रीमान्, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का सरकार की नीतियों से बहुत गहरा सम्बन्ध होता है। प्रदेश की गरीब जनता को, विशेष कर मेहनतकश जनता को यह उम्मीद थी कि करीब एक साल के बाद राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस नीतियों पर गठित यह सरकार ऐसी कोई नीति अपनायेगी जिससे इस प्रदेश और देश के अन्दर की भूखमरी और गरीबी दूर हो सकेगी तथा प्रदेश की गरीब और मेहनत करने वाली जनता की आर्थिक व सामाजिक हालतों में सुधार होगा। प्रदेश में बढ़ती हुई अमीरी-गरीबी का भेद दूर होगा लेकिन श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण से यह जाहिर होता है कि सरकार की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक नीति खोखली हो गयी है, बिलकुल फेल हो चुकी है। प्रदेश के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में केवल यह कह देना कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में केन्द्र से सहायता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मिली, मैं समझता हूं कि यह गैर जिम्मेदारी की बात है । जब लगातार २२ वर्ष तक केन्द्र में और इस सूबे में एक ही दल का शासन रहा---केवल दस महीने को छोड़ कर---तो मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्र से इस सूबे को सहायता क्यों नहीं मिली ? केन्द्र से अन्य सूबों को अधिक सहायता क्यों मिली और इसके लिये जिम्मेदारी कौन है ? मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये अधिक जिम्मेदार हमारी यह सरकार है यानी राज्य की सरकार ।

श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि प्रदेश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण सरकार की पूंजीवादी नीति है । इसलिये कि हम देखते हैं कि केन्द्र की सरकार टाटा, बिड़ला के नियन्त्रण में ही चलती है । जहां उनकी अधिक पूंजी लगी हुई है उसी सूबे में वह अधिक सहायता देती है । जहां पर इजारेदारों की अधिक पूंजी लगी हुई है उन्हीं सूबों में सरकार अधिक मदद देती है । जहां इजारेदार लोगों की अधिक पूंजी लगी हुई है, वहीं पर उनको अधिक फायदा होता है । विकास के नाम पर जो भी योजना बनायी जाती है वह देश की गरीब व मेहनतकश जनता के हितों का ख्याल न करके---ऐसा मालूम होता है कि उनके द्वारा प्रदेश के बड़े बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों को ही आगे बढ़ाया गया है । राज्य के सूती मिल मालिक जब सरकार से कहते हैं कि उनकी मशीनरी पुरानी पड़ गयी है और उन्हें मुनाफा कम होता है तो सरकार उन मिल मालिकों को उनकी मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये करोड़ों करोड़ों रुपये देती है लेकिन दूसरी तरफ जब कानपुर के सूती मिल मालिक मजदूरों के ऊपर काम का बोझ लादते हैं, उनकी छंटनी करते हैं, सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू नहीं करते हैं तो सरकार उधर ध्यान नहीं देती है । अगर शुगर मिल मालिक गन्ने के उत्पादकों का पैसा न दें, उनके कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता न बढ़ावें तो सरकार उधर ध्यान नहीं देती है । कोई भी मिल मालिक जब चाहे यह कह कर मिल बन्द कर देता है कि हमारी मशीनें पुरानी पड़ गयी हैं, मुनाफा कम होता है---जिससे हजारों लाखों मजदूर बेकार हो जाते हैं, उनके परिवार वाले भूखों मरने लगते हैं लेकिन सरकार ने आज तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं अपनायी जिससे पूंजीपतियों के ऐसे गलत कामों पर रोक लगे और देश व प्रदेश में मेहनत करने वाले मजदूरों की जिन्दगी खुशहाल हो सके । यहीं नहीं इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने अभी का रखता हूं कि कानपुर न्यू विक्टोरिया मिल १७ महीने से बन्द है जिसके ५ हजार मजदूर आज भी बेकार हैं, उनके परिवार भूखों मर रहे हैं, उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है मगर सरकार का उधर क्यों ध्यान नहीं है । यह तो मिलों की बात है ।

अगर शहरों की गरीबी का चित्रण किया जाय तो आपको मालूम हो जाय कि २२ साल की आजादी के बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ है और उनकी गरीबी देख कर ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार का कोई भी काम उनके लायक नहीं होता है । प्रदेश के अन्दर आज भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने हाथों सब की गन्दगी फेंकता है । गंदगी यदि वह न फेंकता तो समाज की क्या हालत होती । आदमी का जो पाखाना होता है वही उसकी एक मात्र मजबूरी होती है और वही वह फेंक कर अपना जीवन यापन करता है । लेकिन सरकार उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकी है । मैं जिला आजमगढ़ से आया हूं और मैं एक बड़ी करुण कहानी आपके सामने बताना चाहता हूं । आजमगढ़ से बनारस एक सड़क जाती है । उस पर मैंने सन् ६६ के समय देखा कि वहां पर 'बोटा' गिरा हुआ है । श्रीमन्, "बोटा" एक ऐसी खराब चीज होती है, ऐसा खराब गुड़ होता है जिसको यदि कोई खाता है तो एक तरफ मुंह से खाता है और दूसरी तरफ वह नीचे के रास्ते निकल जाता है । तो मैंने देखा कि उस गिरे हुये बोटे को एक तरफ कुछ जानवर चाट रहे हैं और दूसरी तरफ इंसान के बच्चे भी उसे चाट रहे हैं । तो भुखमरी और गरीबी के कारण लोगों की ऐसी दयनीय दशा उस कांग्रेसी सरकार में बनी हुई है । लेकिन सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकी है । हमारे साथी जो आजमगढ़ के थे उन्होंने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो गोबरहा खाते हैं । यह गोबरहा वह चीज होती है जो भूसे के साथ में अन्न पशुओं के पेट में चला जाता है वही अन्न जब गोबर के साथ उसके पेट से निकलता है तो वह गोबरहा कहलाता है । तो उसी अन्न को धो धो कर वहां के लोग खाते हैं ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। माननीय नेता विरोधी दल का भाषण मैंने बड़े स्नेह से सुना। उनकी बातों को समझने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में ५ बातें मुख्य रूप से ली, जिसमें उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, आय में छोटे बड़े के बीच का अन्तर, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और प्रशासन में सुधार की बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है, इसमें उन्होंने आंकड़े भी पेश किये। लेकिन मैं इस समय सम्याभाव के कारण आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपके द्वारा उन चीजों पर विशेषरूप से उन से जानना चाहता था कि उन चीजों में सुधार किस तरह से हो। क्योंकि वह भी हमारे सदन के माननीय नेता रह चुके हैं, उस वक्त उन्होंने जो काम किये हैं उनसे उसमें तनिक भी सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं थी। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी संविद सरकार ने जब वे इधर की कुर्सी पर बैठे थे, तो जो किसानों के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, ऐसा चौधरी साहब स्वयं भी समझते हैं और कुछ लोग भी समझने लगे हैं, तो उसने किसानों के लिए क्या किया? उस पर जरा रोशनी डाल कर मैं मैं आज की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह किसानों की दशा में आवश्यक सुधार करे। संविद की सरकार के समय में बिजली की लाईन खींचने में और सब्सिडी के बारे में उनकी जो किसानों के प्रति व्यवस्था रही है, वह तो किसानों के लिए कतई हितकर नहीं कही जा सकती है। किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के लिए यह चीज कतई शोभा नहीं देती थी। बिजली का रेट जो १२ नये पैसे था उसे संविद की सरकार के समय में बढ़ाकर १४ पैसे यूनिट से लेकर १९ पैसे तक कर दिया गया था। इससे किसानों का हित नहीं हो सकता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं--- (व्यवधान)

मैं असरार अहमद साहब से कहना चाहता हूं कि वह मेरी बातों को सावधानी से सुने, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि उनके रेजीम में, असरार अहमद की सरकार के समय में उन्होंने ट्यूब वेल का पानी को टू-टायर सिस्टम में बदल दिया। किसानों के अन्दर विभिन्न प्रकार की जातियां पैदा करने का श्रेय संविद् सरकार को है। दो जातियां अमीर किसान और किसान नाम से संविद सरकार ने बनाई है। मान्यवर, इन्होंने क्या किया। कांग्रेस के समय में जहां एक रुपये का २४ हजार गैलन पानी मिलता था वहां संविद् के राज्य में उसने एक रुपये का १२ हजार गैलन रखा। इस तरह से कांग्रेस से भी बदतर बात की। मैं कांग्रेस की हर बात की दाद नहीं देता, लेकिन कांग्रेस से बहुत बेहतर बातें संविद् ने अपने राज्य में की और चौधरी साहब जैसे रहनुमा के नेतृत्व में यह हुआ।

श्रीमन्, चौधरी साहब और उनकी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को साढ़े तीन रुपये मन का भाव लिख कर भेजा था। कांग्रेस सरकार ने अपने जमाने में १० रुपये क्विंटल रखा था। लेकिन चौधरी साहब ने अपने रिजीम में भिन्न-भिन्न फैक्टरियों के लिये भिन्न भिन्न दाम फिक्स कराये और वह इस दृष्टि से रखे गये थे कि जहां जहां उनके दल के मजबूत होने की उम्मीद थी वहां दाम ज्यादा रखे गये और दूसरे जगहों में कम रखे गये थे। मेरठ में १७ रुपये, मुरादाबाद में १५ रुपये और ज्यों ज्यों पूरब को बढ़ते जाते थे दाम कम होते जाते थे देवरिया में १२ ७२ पैसे तक था। जहां तक कि मेरे जिले में रोजा गुर फैक्टरी जो शाहजहांपुर में है जहां से मैं आता हूं ११ रुपये क्विन्टल का रेट था। सब मे एक सी मिठास, कोई नमकीन और कड़ुवा गन्ना वहां का नहीं होता लेकिन सब के भिन्न भिन्न दाम पैदा कर के संविद् सरकार ने बता दिया कि वह किस तरह से किसानों के हिमायती हैं और यह सब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार ने किया। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से चार्ज नहीं करता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे जो भी हो वह इन भूलों को न दुहराये। मैं एक बात और कह दूं। माननीय चौधरी साहब किसानों के हित करने वाले हैं लेकिन गंडक और रामगंगा नदी जिससे सिंचाई होती थी उसको बन्द करवा दिया। राज्यपाल जी के कार्यकाल में

वह फिर से चालू की गयी। मैं आप के द्वारा कांग्रेस से यह कहना चाहता हूं कि संविद सरकार के निकम्मेपन के कारण जो बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी थी और उनके कार्यकाल में सब्सीडी और छूट वगैरह जो थी वह बन्द कर दी गयी थी उसके लिये कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि वे उसे ठीक करेंगे और वह सब राहत किसानों को देंगे जो संविद सरकार द्वारा बंद कर दी गयी थी। कांग्रेस घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली और सिंचाई सम्बन्धी वे सभी छूटें और सब्सीडी जो बन्द कर दी गयी थीं वह फिर से लागू की जायगी लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी, जो प्रान्तीय कांग्रेस के मंत्री भी हैं और जो इस समय बैठे हुये हैं, से कहना चाहता हूं कि वे उन चीजों को पुनः लावें ताकि हमारे किसानों को किसी प्रकार से चोट न पहुंचे।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

चूंकि अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र के मुताबिक सरकार के बनने के बाद कदम नहीं उठाये इसलिये मैं आप के जरिये से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो फिर आप कांग्रेस से इस्तीफा दें क्योंकि उनको अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिये। इससे अच्छी परम्परा पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राममूर्ति 'अंचल'--

मेरे दोस्त अगर सदन के बाहर यह राय दें तो मैं उनकी राय सुन सकता हूं और उसके बाद उसका कुछ उत्तर दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज की स्थापना हुये काफी समय हो चुका। १५ साल में हमारे पंचायती राज ने विभिन्न रूपों को दिखलाया है, उसको हमने फलते फूलते देखा है लेकिन अब समय आ गया है जब मा नीय मुख्य मन्त्री जी उसके स्वरूप को बदलें। इसके लिये बलवन्तराय मेहता कमेटी ने जो राय दी आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ जिसे क्रान्तिकारी कहा जा सके। देहातों में जो मंत्री लोग होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वे डाक नहीं बंटवाते हैं कोई भी प्रचार नहीं करते हैं। किसानों की जमीन बटाई पर दे दी जाती है, फर्जी बटाई होती है। इसलिये पंचायती राज्य ऐक्ट में ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे कोई कदम उठ सके।

थोड़ी सी बात मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तब इस तरह से माननीय सदस्यों को खड़े नहीं होना चाहिये।

श्री राममूर्ति 'अंचल'--

हमारे हरिजनों की समस्या है। गांवों के बाहर बगीचों में उनके रहने के स्थानों को किसानों की जमीन दर्ज करा देंगे लेकिन हमें खेद है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में वह बात नहीं आयी। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण में कृपया जिक्र करें, कि एक साल के अन्दर हरिजनों के मकानों की व्यवस्था ठीक तरह से दर्ज कर दी जाय ताकि वहां के जमींदार या कोई गांव प्रधान उनको सताकर निकाल न सकें।

अन्त में मैं शाहजहांपुर की बात और निवेदन करना चाहता हूं। शाहजहांपुर में यदि आप कभी तशरीफ ले जांय तो देखेंगे कि वहां की जो दशा ५० वर्ष पहले थी वही आज भी है। शाहजहांपुर में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो एक दूसरी सड़क को जोड़ सके और जिससे आप किसी गांव तक

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

जा सकें। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कांठ से मदनापुर और कांठ से बुरिया कलां तक सड़क बना दी जाय तो यह शाहाबाद तक चली जाती है। इसी तरह से अजीजगंज से चौहनापुर होती हुई शाहाबाद तक बन जाय तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। कोरों कुइयां से कैनाल रोड शारदा कैनाल पर बना दी जाय तो यह बनबसा और लोहियाहैड तक चली जायगी और सुरक्षा की दृष्टि से यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत लाभ होगा। वे इस प्रकार की सड़कें हैं जिनसे रोडवेज विभाग को काफी आय हो सकती है।

इंडस्ट्रीज की तादाद भी शाहजहांपुर में शून्य है। हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो भी रहे हैं उन्होंने शाहजहांपुर की तरफ से आंख मूंद ली है। मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इन्डस्ट्रीज की दिशा में उधर जाना चाहिये। मैं इस सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आप के प्रति पुनः कृज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस गाजियाबाद के इलाके से आता हूं उस इलाके में हजारों एकड़ कल्लर और बंजर पड़ा हुआ है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कृषि पैदावार बढ़ाने की बात तो कही है लेकिन सरकार की ओर से आज तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई जिससे कल्लर और बंजर, परती को उपजाऊ बनाया जा सके। उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये अनाज पैदा करने के लिये यदि भूमिहीन मजदूरों में १० एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से दे दी जाती तो उससे पैदावार बढ़ सकती है। उन भूमिहीन मजदूरों किसानों को यदि ३ साल तक बीज, खाद और पानी की सुविधा सरकार मुफ्त दे और कुछ पारिश्रमिक भी भूमीहीन मजदूरों व किसानों को दें तो हजारों एकड़ जमीन में, जो आज कल्लर के रूप में पड़ी हुई है उस कल्लर भूमि में हजारों मन गल्ला पैदा हो सकता है। इस सूबे में बहुत ऐसी जमीन पड़ी हुई है लेकिन सरकार ऐसी जमीन को नहीं निकाल पाती है। ऐसी योजना बनाई जाय तो उससे बहुत पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन अभी कृषि पैदावार बढ़ाने का सरकार का मन नहीं बना है। मेरे क्षेत्र धौलाना ब्लाक में ८७ गांव ऐसे हैं जहां पर एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है। उस क्षेत्र में १२ बसें चलती हैं १९४२ से निरन्तर चल रही हैं। पांच इन्टर कालेज भी हैं और एक डिग्री कालेज है। एक कृषि डिप्लोमा कालेज है अनेक हाई स्कूल व जूनियर हाई स्कूल हैं दो थाने तथा एक ब्लाक का कार्यालय भी है। लेकिन कहीं पर पक्की सड़क कोई भी नहीं है। उस क्षेत्र में एक गांव में भी बिजली नहीं है कोई अच्छे अस्पताल नहीं है। जहां पर इस प्रकार की सहूलियत नहीं तो फिर वहां पर जनता किस प्रकार से उन्नति कर सकती है? उस इलाके की आर्थिक स्थिति गई गुजरी हो गई है।

किसी गांव को जोड़ने के लिये कोई सड़क वहां पर बन नहीं सकी है। उस इलाके के लोगों के शादी विवाह भी बन्द हो गये हैं। क्योंकि जहां इलाके में आने जाने की सुविधा न हो तथा अस्पताल नहीं हों वहां उनके जैसे स्थान से कोई अपना सम्बन्ध क्यों जोड़े उस इलाके में शादी विवाह के लिये रिस्तेदारों की सिफारिश की जरूरत होती है। मोटी धनराशि हो तब जा कर वहां किसी का विवाह होता है। उस इलाके में गाजियाबाद की नगरपालिका सन् १९६० से जब्त है। उस इलाके की रहने वाली जनता आज तक पौने दो लाख अपने नागरिक अधिकारों से वंचित है। प्रदेश के सब नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त है लेकिन वहां पौने दो लाख जनता के नागरिक अधिकार जब्त हैं। नगरपालिका जब्ती के कारण वह गाजियाबाद जो सफाई और सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध था आज कूड़े और कचरे का ढेर बनकर रह गया है। उस क्षेत्र के सेनीटरी इन्सपेक्टर रात दिन परचून, पन्सारी वाले मिठाई वाले और दूध वालों से अपने बन्धे पैसे को वसूल करने में लगे रहते हैं। वे सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो भी ऊपर का जमादार है वह अपने नीचे वाले बाल्मीकियों से ३, ४ रुपया सप्ताह वसूल करता है। सफाई की तरफ उसका भी ध्यान नहीं रहता है।

नगरपालिका का हजारों रुपया चुंगी की आमदनी का चोरी हो जाता है। गाजियाबाद के तीन तरफ तीन मील से छः मील नगरपालिका की हद को बढ़ाया गया लेकिन चौथी और एक सड़क या रेलवे लाईन के पार नगरपालिका की हद नहीं बढ़ाई गई---राज्य पाल महोदय ने गाजियाबाद नगरपालिका को बहाल करने तथा ११ मई, १९६९ को नगरपालिका के चुनाव की घोषणा की है क्या वर्तमान सरकार राज्यपाल महोदय के उस आदेश का पालन करते हुये मई, १९६९ में नगर पालिका के चुनाव करायेगी ? दूसरे बार्डर की तरफ छः मील तक हद बढ़ी लेकिन टोल टैक्स की चुंगी एक मील बरेली तरफ रखी गयी। क्योंकि पांचवें-छठे मील के बीच में गाजियाबाद की सारी ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां आती थीं, उन कम्पनियों पर हजारों मन सामान रोज पंजाब, दिल्ली, राजस्थान व देश के अन्य भागों से आ कर उतरता है। उन ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों ने नगरपालिका के कर्मचारियों को हजारों रुपयों की रिश्वत दी। उसके बदले में अपनी टोल टैक्स सीमा एक मील इधर रखी गयी और इस तरफ डेढ़ साल तक कम्पनियों को टोल टैक्स को चुंगी से मुक्त रखा जिससे नगरपालिका को लाखों रु० की हानि हुई। इसी नगरपालिका की जब्ती की वजह से गाजियाबाद में लालफीतेशाही और अफसरशाही चल रही है। इस नगरपालिका की जब्ती की वजह से तीन तरफ नगरपालिका की हद बढ़ायी गयी तीन से ६ मील तक, लेकिन चौथी तरफ जहां सिर्फ एक सड़क ही बीच में आती है जिसके राशन कार्ड भी गाजियाबाद में हैं तथा जिनका चोली दामन का साथ है उस ४०-४५ हजार की आबादी को आज तक गाजियाबाद की नगरपालिका में शामिल नहीं किया गया। पंजाब लाइन, मूड़ धोबी, घाट अमृत बनस्पति का डूडा हेड़ा, सुन्दरपुरी, विजयनगर, माधोपुरा, गौपुरी, विजयनगर, आदि की ४५ हजार की आबादी है जिसको शामिल नहीं किया गया।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं गाजियाबाद क्षेत्र दिल्ली से मिला है और वह तस्कर व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पुलिस की बड़ी बड़ाई की गयी है। वही पुलिस गाजियाबाद दिल्ली के बीच तस्करी व्यापार कराती है। सारे दिन मंडियों में घूम-घूमकर पुलिस वाले व्यापारियों से मालूम करते हैं कि आप के कितने ट्रक कहां जाने हैं और उनका फी ट्रक तय है कि इतने सौ रुपया एक ट्रक पर मिलेगा, वह बंधा हुआ है। सारे दिन वसूली होती है और रात को वह ट्रक निकाल दिये जाते हैं। वही पुलिस गाजियाबाद में खुले आम कच्ची शराब सुलफा, गांजा व अफीम की बिक्री कराती है। दिन छिपने के बाद पुलिस वाले खुद शराब पीकर, मदहोश हो कर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। उसका एक ताजा नमूना १३ व १४ मार्च, १९६९ के रात के एक बजे चन्द्रभान शर्मा के मकान पर देखने को मिला। एक सब-इन्सपेक्ट, एक हेड कान्सटेबिल, और ४ कान्सटेबिल शराब पीकर बिना वर्दी उनके मकान में घुस आये और भैंस खोलने लगे। उनका नौकर सोया हुआ था उसने उठ कर शोर मचाया तो उस नई बस्ती के आबादी के आदमी जागे और इकट्ठा हुये तो सब भाग गये। एक हेडकांस्टेबिल सरदार पीतम सिह पकड़ा गया और उसकी पिटाई हुई। उसको बाद में वहां के थाना इंचार्ज चौहान छुटा कर ले गये। यह हालत है उस पुलिस की जिसकी तारीफ के पुल राज्यपाल महोदय के भाषण में बांधे गये हैं।

श्रीमन, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि ग्यारह लाख १८ हजार नये विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाया जायगा जो कि आज शिक्षा नहीं पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गाजियाबाद में बच्चों को पढ़ने के लिये बैठने की इमारत न हो तथा जहां दाखिला न मिलता हो और दाखिला मिलता भी हो तो बड़ी बड़ी सिफारिश हों या रिश्वत के आधार पर तो फिर मैं राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को रद्दी का बंडल कहूंगा और झूठा गोल मोल हवाई नारे वाला ही भाषण कहूंगा जिसकी कोई जड़ बुनियाद है नहीं। गाजियाबाद में आबकारी कर की बहुत चोरी होती है। आबकारी का बड़ा अड्डा मोहन नगर में है। मोहन नगर में हजारों रुपये की रोज की चोरी होती है आबकारी के इन्सपेक्टर व सिपाही खुद मिल से शराब की बोतल लाकर बाजार में बेचते हैं और मिल के अधिकारियों से मिल कर हजारों रुपये की प्रति दिन चोरी करते हैं। यही नहीं मोहन नगर के अलावा अमृत

[श्री प्यारे लाल]

वनस्पति में चीनी की मिलों में तथा अन्य दूसरी प्रकार की मिलों में भी वह आबकारी कर की चोरी का काम होता है। आबकारी इन्सपेक्टर को सरकार सौ डेढ़ या दो सौ रुपया देती है और मिल वाले उन्हीं इंसपैक्टरों को पांच-पांच सौ रुपया देते हैं।

उसी गाजियाबाद म एक फिल्म स्टूडियो बन रहा है जिससे गाजियाबाद का क्या सारे देश का बहुत बड़ा अहित होगा। उसी स्टूडियो के पास एशिया का सब से बड़ा हवाई अड्डा हिंडन हवाई अड्डा है। अगर वहां स्टूडियो बन गया तो भ्रष्टाचार का केन्द्र तो बनेगा ही साथ ही जासूसी का भी बहुत बड़ा अड्डा बनेगा जिससे देश की सुरक्षा बहुत खतरे में पड़ जायगी। हो सकता है कि उक्त स्टूडियो बनने में मोहन बन्धुओ के स्वार्थ सधें परन्तु देश अवश्य रसातल को चला जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गाजियाबाद में स्टूडियो न खोला जाय, उससे हवाई अड्डे को बहुत क्षति होगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तर काशी)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है वह सराहनीय है और समर्थन योग्य है। मैं, समय कम है, इसलिये पहाड़ों की समस्याओं के बारे में ही कहूंगा। आप जानते हैं कि इस अभिभाषण में जौनसार और भोटियों को अनुसूचित आदिम जातियां घोषित किया गया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें जौनपुर और खाई वालों को छोड़ दिया गया है जब कि उनके रीति रिवाज, खानपान आदि उन्हीं जैसा है। इनको अनुसूचित आदिम जाति में सम्मिलित करने के लिये मैंने केन्द्रीय सरकार को भी लिखा था। अतिरिक्त डेवलपमेंट कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके लिये सिफारिश की थी, लेकिन उनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। मैं नहीं जानता कि सरकार भोटिया किसको समझती हैं? क्या उसमें उत्तर काशी के वह जाड लोग भी आ जाते हैं या नहीं? यह जाड वे लोग है जिनकी तिब्बत में तिजारत थी, वह तिजारत बन्द होने के बाद उनकी जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है, सारे श्रोत जीविका के बन्द हो गये है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन लोगों को क्यों महरूम रखा गया है। मेरा निवेदन है कि उन जाड लोगों को भी आदिम जाति में घोषित किया जाय।

इसके अलावा श्रीमन्, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी के जो दो जिले हैं वे पहले महाराजा टहरी के अधीन थे। वहां महाराज का शासन था। उनके समय से वहां की जो समस्यायें थीं वही आज भी चली आ रही हैं। वहां की मालगुजारी की समस्या भी वैसी ही चली आ रही है। मुख्य मन्त्री जी से इस विषय में शिष्ट मंडल मिला था उन्होंने इस ओर शीघ्र ही ध्यान देने का आश्वासन दिया है।

वन की समस्यें भी वैसी ही चली आ रही है। पिछली सरकार के जो वन मन्त्री रहे उन्होंने भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पर मूनारों को हटाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, वे बैसे ही कायम हैं। कोई काम वहां पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जिससे वनों की समस्यायें हल हो सके। हमारे यहां वन पंचायतें कायम होने निमित्त नियम आदि आज तक नहीं बनाये गये हैं। कई साल से नियम शीघ्र ही बनाने का कार्य हो रहा है।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने पुनः सभापति का आसन ग्रहण किया।)

सुना है कि वे नियम बन गये हैं अगर यह सच है तो वे नियम शीघ्र ही लागू कर दिये जायं। जो पंचायती वनों की आमदनी जमा है उसको पंचायतों को दे दिया जाय ताकि गांव सभाओं की उन्नति हो सके।

मान्यवर, मुझे एक और बात कहनी है। कुमायूं यूनिवर्सिटी के बारे में जो घोषणा राज्यपाल महोदय ने की है उसके लिये हमें बहुत खुशी है। हमारे माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह बिष्ट ने

जो सुझाव दिया है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम उत्तराखंड यूनिवर्सिटी रख दिया जाय यह बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी निवेदन करना है कि उत्तराखंड या कुमायूं यूनिव्- सिटी जो भी नाम रखा जाय उसके अन्तर्गत जितने कालेजेज हों वे हर एक जिले में बांट दिये जायं। जैसे उत्तर काशी, टेहरी जिलों में मेडिकल कालेज, इन्जिनियरिंग कालेज गढ़वाल में चले जांय और साइन्स कालेज कुछ जिले में चले जांय यानी अलग-अलग कालेजेज अलग-अलग जिलों में रखे जाय। फैमिली प्लानिंग के बारे में मुझे निवेदन करना है कि इस योजना के अन्तर्गत दो साल में बहुत कुछ गलत बातें हुई हैं। करीब दो साल हुये एस० बी० डी० सरकार ने कोटा बांध दिया था कि फैमिली प्लानिंग के व अन्य कुछ विभागों के अफसरों को कम से कम इतना-इतना आपरेशन कराना होगा। इसी से उनकी तरक्की होगी या उनके कैरेक्टर रोल में अच्छा बुरी इन्टरादर्ज होगा। अधिकारियों ने अपना कोटा पूरा करने के लिये तरह-तरह के झूठे आश्वासन देकर जो बुड्ढे लोग हैं उनको भी आपरेशन के लिये ले आये, जिनके बच्चे नहीं थे, या जिनके केवल एक-दो बच्चे थे उनको भी आपरेशन के लिये ले आये। और उनका आप्रेशन करवाया। यह बहुत गलत बात हुई है। इसको जरूर सरकार को देखना पड़ेगा कि गलत तरीकों से फेमिली प्लानिंग का काम न हो।

गढ़वाल डिवीजन के बारे में एक माननीय सदस्य ने जो कहा है कि गढ़वाल डिवीजन का अलग होने से कोई फायदा नहीं होगा, अलग कमिश्नरी होने से कोई फायदा नहीं होगा, यह कुछ हद तक ठीक है अगर शिक्षा विभाग या अन्य विभाग जो कुमायूं डिवीजन में हैं वे गढ़वाल डिवीजन के लिये अलग न हों। चूंकि गढ़वाल डिवीजन अलग हो गया है इस कमिश्नरी के लिए जितने दफ्तर शिक्षा विभाग के या अन्य विभागों के हैं वे इस कमिश्नरी के लिये अलग कर दिये जांय। उन्हें मध्य स्थल श्रीनगर में कर दिया जाय, तो अच्छा होगा। शायद टिहरी का भविष्य अन्धेरे में है। वहां एक डैम बनाने की योजना है। अगर डैम बनने जा रहा है तो उसकी शीघ्र घोषणा होनी चाहिए और उस पर कार्य शुरू होना चाहिये अन्यथा वहां पर सरकारी व अन्य इमारतें बननी चाहिये, वहां जिले हेड क्वार्टर के दफ्तरों की बिल्डिंग बननी चाहिये।

मान्यवर, टेहरी और उत्तर काशी के टीचर्स की समस्यायें कई सालों से चल रही हैं। हमें खुशी है कि इन टीचर्स के मुताल्लिक मुख्य मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिये सरकार शीघ्र कदम उठा रही है। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि मुनेरी माली विद्युत योजना जो उत्तर काशी के जिले में होने जा रहा है जिसका सर्वे हो रहा है और वहां इस काम के लिये कुछ अफसर भी आये हुये हैं मुझे उसका बजट नहीं मालूम हो पाया, न केन्द्रीय सरकार की तरफ से और न हीं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। मान्यवर, आप के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसके लिए कुछ बजट स्वीकार करके उसका काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाय।

*श्री नसीमउद्दीन—

मोहतरम सदर, मैं आज चार पांच रोज से बराबर कोशिश करता रहा हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें, लेकिन आज चार पांच रोज के बाद मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। मैं आप का शुक्रगुजार हूं। कब्ल इसके मैं अपनी बात रखूं मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो यक कतराये खून निकला।" मैंने गवर्नर साहब का एड्रेस बजाते-खुद न समझ सका इसलिये कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गयी वह मेरी समझ के बाहर है। लेकिन मैंने उस को दूसरे लोगों से समझने की कोशिश की। सफा १८ में अक्लीयतों के बारे में जो बात पेश की गई है वह एक कागजी कार्यवाही मालूम होती है, उसमें यह भी तजकिरा है कि अक्लियतों के लिये एक कमेटी मुकर्रिर की जायगी। लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी कागजी कार्यवाही करने से कोई फायदा हीं होता। इससे तो और भी बददिली अक्लियतों में पैदा होती है। इसलिये इस सिलसिले में जो भी कमेटी आप कायम करें उसका बाअसर होना लाजिमी है। उसमें जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नसीमउद्दीन]

अक्लियतों के हिफाजत की बात कही गयी है उसके सिलसिले में अर्ज करता हूं। १५ मार्च को यहां हलफ ली गयी। उसके मातहत हमको अपनी जबान में हलफ लेने की सहूलियत मिलनी चाहिये। क्योंकि वह एक बहुत ही अहमियत की चीज है। दरअसल उसमें ऐसी जबान का इस्तेमाल होना चाहिये जिसको मेम्बर पूरी तरह से समझ सके और उसकी पूरी तकमील कर सके। लेकिन उसमें ऐसे अल्फाज दिये हुए हैं जिनको मैं आज तक नहीं समझ सका। ऐसी कोई तरकीब करने से कोई फायदा नहीं होता। हर मेम्बर को सहूलियत बोलने वगैरह की हर किस्म की मिलनी चाहिये। इसी सिलसिले में एक लेटर मुझ गुप्ता जी ने लिखा जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मैं उर्दू का हामी हूं और उर्दू को फलते फूलते देखना चाहता हूं लेकिन उनकी कथनी और करनी बिलकुल उल्टी है।

आगे मैं अक्लियत कमीशन के सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें ऐसे लोग होने चाहिये जो गैरजानिबदार हों उसमें ऐसे लोग भी हों जिनको अपनी जेबें और अपने खानदान की परवरिश ही करने की फिक्र न हो। इसके अलावा, गवर्नर साहब के खुतबे में ईसाइयों अछूतों और मुसलमानों के लिए कुछ भी बताया नहीं गया कि क्या कदम उठाये गये हैं। कमीशन में ऐसे लोग न हों जो-अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे। उसमें ऐसे लोगों को ही जगह मिलनी चाहिये जिससे अक्लियतों की पूरे तौर पर मुहाफिजत हो सके।

इसके अलावा कानपुर की विक्टोरिया मिल अर्से से बन्द पड़ी हुई है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। इसी तरह से कानपुर में हिन्दोस्थान एरोनोटीकल के मजदूर बाहर पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं किया गया है, यह बड़े अफसोस की बात है। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों का तथा, मेरे पीछे बैठने वाले माननीय सदस्यों, सभी का आभारी हूं, जिन्होंने राज्यपाल के संबोधन के ऊपर अपने-अपने दृष्टिकोणों से बहुत से विषयों पर अपने सुझावों को प्रस्तुत किया। कुछ आलोचनायें भी की हैं, कुछ त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है।

जहां तक विरोधी पक्ष द्वारा आलोचना करने और उनके द्वारा शासन की त्रुटियां निकालने का संबंध है, यह तो उनका अधिकार है। गणतंत्र में विरोधी पक्ष शासनारूढ़ दल की गलतियों को बता कर, ढूंढ कर शासन में सुधार लाता है और सुधार लाकर शासन को मजबूत करने में सहायता करता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानते हैं कि इस देश में यदि गणतंत्र को जीवित और जाग्रत रखना है तो विरोधी पक्ष को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए शासन की खराबियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिये और उनको दूर करके ही शासन जनता की अधिक मात्रा में सेवा कर सकता है। इन कारणों से मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारी त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है लेकिन त्रुटियां जब वे सदन के समक्ष लाई जाती हैं और जनता के बीच में रखी जाती हैं तो उससे कार्य सम्भलता है, सुधार होता है और जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है उन की भी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता है। परन्तु यदि वे त्रुटियां या आलोचनायें बेबुनियाद होती हैं तो वह जिनके द्वारा हम शासन चलाते हैं जो शासन के अंग होते हैं उनको निरुत्साहित करती हैं और उन्हें उस मार्ग को पकड़ने में अड़चनें डालती हैं जिसको पकड़ कर वह गणतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इसलिये इस सदन में भी जो त्रुटियां बताई गईं और जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचनायें की गईं वे बेबुनियाद थीं, उनकी असलियत नहीं थी परन्तु विपक्ष के नाते वह सदन के समक्ष लाई गईं इसका मुझे भारी दुखः है।

चौधरी चरण सिंह जी जो कि इस समय विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्होंने कुछ बातें अपने आलोचनात्मक भाषण में ऐसी कहीं थीं जिनमें मेरे बीच और मेरे पीछे बैठने वाले साथियों में कोई भारी अन्तर हो यह जाहिर होता था, वह इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग से संबंध रखती थीं। यह सही है कि हमारे देश का यह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और हर नागरिक की आय यहां इतनी नहीं है जितनी आय यहां के नागरिकों की होनी चाहिये और जब कि इस समय में अन्य प्रदेशों की आय बढ़ी है। लेकिन चौधरी साहब और हम सब जानते हैं कि ऐसा किन कारणों से हुआ है। इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में काफी दिन तक रहा हूं। लेकिन चौधरी साहब भी मेरे से ज्यादा दिन सरकार में रहे हैं और इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी यदि सरकार के माथे रखी जाती है तो वह उन की भी बहुत भारी मात्रा में रहती हैं क्योंकि अधिकांशतः वह उन विभागों के अगुआ रहे हैं जिनके द्वारा प्रदेश की आय अधिक मात्रा में बढ़ सकती थी और जिन विभागों की आय को बढ़ाने के लिये आज सबका जोर है, सब जिसके ऊपर जोर देते हैं और सही जोर देते हैं। सही बात यह है कि इस प्रदेश में पिछले २० वर्षों में केंद्र ने हमारे साथ हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए वह बरताव नहीं किया, न वह दृष्टिकोण ही अपनाया जिसको अपना कर हम अपने पिछड़पन को दूर कर सकते थे। जो ३ योजनायें प्लानिंग कमीशन की ओर से यहां के लिये बनी उनमें भी यह दृष्टिकोण नहीं रखा गया कि जो धनराशियां केंद्रीय सरकार की तरफ से सूबों के लिये वितरित की जायं, सूबे की प्रगति के लिए, उसके विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के लिये वे आबादी के लिहाज से वितरित की जाय या उसके पिछड़ेपन को सामने रखकर वितरित की जायं।

पहली योजना तो एक एडहाक सी योजना थी, लेकिन दूसरी और तीसरी योजनाओं में भी वह दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया जिसको अपनाने की आज चेष्टा की जा रही है और जिसकी घोषणा अब हुई है। उसका नतीजा ही यह रहा कि हमारे प्रदेश में न तो पब्लिक सेक्टर में और न केंद्र की ओर से कुछ अधिक व्यय हुआ अन्य प्रदेशों के मुकाबले में जिनकी हमसे आबादी भी कम थी और जो पहले से ही हम से बढ़े थे और जिन के यहां ज्यादा कारपोरेट सेक्टर था जो धन एकत्र करके वितरित कर सकता है। मेरा मतलब उन मैट्रोपोलिटन सिटीज से है या उन प्रदेशों से है जहां ये मैट्रोपोलियन सिटीज हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास आदि हैं। वहां उद्योग धंधे भी पहले से चल रहे थे, अंग्रेजों के जमाने से चल रहे थे। देश के उद्योगपति भी वहां पर बस गये थे और उद्योग धंधों को वहां लगाया था। न तो इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राइवेट सेक्टर ने वह कदम उठाया जो कि हमारे प्रदेश में उठाना चाहिये था और न केंद्र की तरफ से वह कदम उठाया गया जो उठना चाहिये था और जिसके उठाने के लिए हमारा हक था। यह हमारी गल्ती समझी जा सकती है और चौधरी साहब भी जो हमारे साथ बहुत जमाने तक रहे, उनकी भी गलती समझी जा सकती थी। इसका दोषी हम अपने को मानने को तैयार हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं और वह पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब कि हमारी पैदावार बढ़े और पैदावार के जरिये से हमारी आमदनी बढे और सबसे पहले हमारी पैदावार खेत की बढे क्योंकि हम खेतिहर प्रधान प्रदेश के हैं। हमारा रोजगार भी मुख्यतया खेती ही रहा है। सौभाग्य से, विज्ञान ने अब बहुत सी देन हमें ऐसी दी हैं जिनके माध्यम से हम अपनी खेती में प्रगतिशीलता ला सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।

पिछली योजनाओं में भी यद्यपि हमने खेती के ऊपर, उपज बढ़ाने के लिए, साधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत से कार्य किए, नलकूप बनवाये, नहरें भी बनवायीं, बंध भी बनवाये और बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया परन्तु जितनी संख्या में इन तमाम चीजों की आवश्यकता थी, उतनी संख्या में हम नहीं बढ़ा पाये। जो कुछ थोड़ी बहुत प्रगति हम कर भी सके वह हमारी बढ़ती हुयी आबादी में खप गयी। आबादी के मामले में हम सारे प्रदेशों के मुकाबले

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में आगे बढ़े जा रहे हैं और इस कार्य में हम सब, जितने यहां बैठे हैं, दोषी रहे हैं। चौधरी साहब भी दोषी रहे हैं क्योंकि जब आबादी बढ़ती जायगी और ताज्जुब की बात यह है कि आबादी बढ़ाने में जो गरीब लोग हैं, वे आगे रहते हैं और जो कुछ रक्की होगी वह प्रगति उस बढ़ती हुयी आबादी में खप जायगी। वह पूरी दिखायी नहीं देगी कि हमने कोई तरक्की की है सारी जनसंख्या के लिए। तो वह कार्य भी अब रोकना आरम्भ हुआ है और हमारे जो पुराने साथी हैं, उनको अनुभव हुआ होगा कि यह कार्य ऐसा है, जिसको बढ़ना चाहिये। अपनी गल्तियों को अपने नजरिये को सामने रखकर उन बच्चों को वह गलती दुहराने नहीं देना चाहिये जो कल देश के नागरिक बनेंगे, जिनके कंधों पर बोझ पड़ेगा। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह कार्य हमें कुछ सहायता और सहयोग देने वाला है परन्तु वह भी तभी पूरा हो सकता है जब प्रदेश की जनता पूरी मात्रा में इस बात का अनुभव करे कि गुरबत में आबादी को बराबर बढ़ाते चलना गुर्बत को दूर करने का साधन नहीं बन सकती। यदि गरीबी को दूर करना है तो आबादी की वृद्धि को रोकने के सिलसिले में कुछ न कुछ प्रबन्ध करना है।

मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तरोत्तर वह भावना पैदा होती जा रही है हमारे प्रदेश में और सारे देश में कि जब तक यह नहीं होगा तब तक जितनी योजनायें आप बनाते जायेंगे आबादी दुगुनी अथवा तिगुनी हो जायगी और उस अनुपात से पैदावार बढ़ेगी नहीं चाहे वह खेती की पैदावार हो अथवा उद्योग धंधों के द्वारा पैदावार हो, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिये जिस पिछड़ेपन का जिक्र चौधरी साहब ने किया और जो विचार उन्होंने व्यक्त किये उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हुआ और उन सब साथियों से भी जो उनके बिचारों के हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पिछड़ेपन को दूर करना है चाहे इधर के साथी हों अथवा उधर के, चाहे सरकार की बागडोर हमारे हाथ में हो या उनके हाथ में हों, सबको उसमें सहयोग देना पड़ेगा। सरकारें आयेंगी और जायगी परन्तु जो प्रश्न है पिछड़ेपन के दूर होने का वह हम सभी को हल करना है। वह मिल कर ही, आपस के सहयोग से ही दूर हो सकता है और उन नीतियों को अपनाकर ही दूर हो सकता है जिनके द्वारा हम आधुनिकता की मांग को पूरा कर सकते हैं।

चौधरी साहब ने अपने भाषण में कई बातें कहीं जिनका उत्तर उप मुख्य मंत्री जी ने दे दिया था। मैं उप मुख्य मंत्री जी के जवाब से सहमत हूं। आज के युग का मुकाबला किया जाय और चाहो कि बैलगाड़ी हमारे साथ रहे और उस पर चढ़ कर चलने की चेष्टा हम करें तो न हम तरक्की कर सकते हैं और न हम उन सब अभिलाषाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा कर सकते जिन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की है और जो आधुनिक शिक्षा संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं। गोबर अच्छी चीज है, खेती को बढ़ाता है, मदद पहुंचाता है लेकिन आज हम केवल गोबर से अपनी उपज की समस्या को पूरा कर लें तो वह हो नहीं सकता। आधुनिक विज्ञान की आज जो देन है, जिसने दुनिया के देशों को प्रगतिशील बनाया है उसे भी हमको अपनाना होगा। इसलिये हमको कुछ इस ढंग से चलना होगा और कुछ ऐसा संतुलन करना होगा जिससे आधुनिक देनों के सहयोग भी रहे और पिछली जो चीजें हैं उनका भी सहयोग लें। खेती के लिये अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है, अच्छे बीज, उर्वरक की भी आवश्यकता है। जब तक इन चीजों को हम किसान को उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तक खेती बढ़ भी नहीं सकती है और जब तक सारा प्रदेश पानी की व्यवस्था से सेचुरेट नहीं होता है तब तक खेती की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो भी नहीं सकती। गेम्बलिंग इन रेंस से काम नहीं चलेगा कि रेंस नहीं हुए तो हाहाकार मच गया। बावजूद इसके कि नहरें बना दी हैं, बावजूद इसके कि हमने बहुत से नलकूप बना दिये हैं और प्राइवेट नलकूप भी लग गये हैं फिर भी हम उस मात्रा में खेती को पानी नहीं दे पाते हैं और ऐसे समय में नहीं दे पाते हैं जब कि आधुनिक ढंग के बीज हैं जो अधिक पानी चाहते हैं। तो आज

पानी कहां से आये ? नलकूप से ही तो आयेगा, दरिया से ही आयेगा, और दरिया के पानी को अरेंज करना पड़ेगा। नलकूप के लिये बिजली चाहिये, लिफ्ट स्कीम के लियेबिजली चाहिये । इसलिये बिजली के लिए और इर्रीगेशन की स्कीमों के लिये हमें अधिक रुपया चाहिये । इसीलिये हम अधिकारियों को, राज्यपाल महोदय को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो योजना बनाई थी वह १३५० करोड़ की थी । वह वास्तविकता के नजदीक थी जिसको सामने रखकर समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इससे भिड़ना चाहते हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत हुई है, उसमें ६००-६५० करोड़ रुपया केवल बिजली और इर्रीगेशन की स्कीमों पर ही खर्च होने वाला है और कंटीन्युइंग स्कीमों पर होने वाला है। यदि हमें इन स्थानों पर पानी की व्यवस्था करनी है तो इस योजना को पूरा करना है और यह तभी पूरी हो सकेगी जब अधिक मात्रा में हमको रुपया मिले । जहां रुपया है और सारे देश को मिलता है। अब यह दृष्टिकोण रुपया बांटने के लिए अपनाया गया है कि ६० फीसदी धनराशि आबादी के हिसाब से मिलेगी; दस प्रतिशत पिछड़ेपन के हिसाब से; १० प्रतिशत इस हिसाब से कि कोई प्रदेश कितना टैक्स देता है और १० प्रतिशत इस कि क्या योजनायें चलती हैं। टैक्स देने की बुनियाद पर ३००-३५० करोड़ रुपया में से हमें केवल २५ करोड़ रुपया मिलने वाला है क्योंकि यह कहा जाता है कि हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे कम टैक्स देता है। यह भी एक समस्या है। जो पद्धति धनराशि बांटने के लिये केंद्रीय सरकार ने अपनाई है, उसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस पर भी हम चाहते हैं कि पिछड़ेपन के हिसाब से हमें अधिक रुपया मिले तो सदन के प्रत्येक सदस्य को एक आवाज से कहना पड़ेगा और उन साथियों को भी जो यहां से चुनकर पार्लियामेंट या कौंसिल आफ स्टेट में सब पार्टियों की तरफ से गये हैं, एक आवाज उठानी पड़ेगी कि जो योजनायें हमने बनाई हैं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उनके लिये धनराशि प्रदान की जाय । जहां तक कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है, मैं आप से मांग करता हूं प्रार्थना करता हूं कि उनके सिलसिले में आप सबका सहयोग होना चाहिये आप सबका योगदान होना चाहिये जिससे प्रदेश अपनी कमियों को पूरा करने में समर्थ हो सके ।

इस वर्ष हमें १०-१२ दिन का समय विचार करने के लिए मिला है। हमने कुछ ऐसी बातों पर विचार किया है जिससे हम किसानों को अधिक सुविधा दे सकें पहली बात हमने यह तय की है और विचार कर लिया है कि जो सुविधा संविद सरकार के आने से पहले दी हुई थी कि ४ फरलांग तक दस हार्स पावर बिजली लेने के लिए फ्री ट्रांसफिशन लाइन देने की बात कर रखी थी, उसको चालू रखें । इसका भी फैसला किया है कि जो ट्यूववेल्स बने हुए हैं एक दायरे के अन्दर वहां प्राइवेट ट्यूबवेल्स नहीं लगाने देते हैं वह काफी दूर का दायरा है। वह ३-४ फरलांग का रहता था। हमने यह फैसला किया है, और इसमें हमारे उप मुख्य मंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है कि एक फर्लांग के नजदीक जहां हमारा नलकूप होगा, उसकी दूरी पर अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति नलकूप लगाना चाहता है तो वह नलकूप लगा सके । इससे जिनको पानी की अधिक आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों को अधिक सुभीता मिलेगा और अब अपनी खेती की उपज बढ़ाने में कुछ आगे कदम बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से यह भी मेरा फैसला है कि जो किसान को आज उधार रुपया नहीं मिलता है उसको दिलाने के लिए वैसे तो कई संस्थाएं लोन इत्यादि देने के लिए स्थापित हुई हैं, हम यह चाहते हैं, देहात में सोशल कंट्रोल की तहत में प्राइवेट बैंक्स कहा गया है, उनसे आग्रह किया गया है कि देहात के क्षेत्रों में मुख्य मुख्य स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोलें। उनके द्वारा किसान को, छोटे किसान को रुपया देने का वे कार्य करें जिससे किसान को कर्जा लेने के लिए ऐसे स्थानों पर जाना न पड़े जहां उसको अधिक सूद देना पड़े। इन दिशाओं में हम काम करना चाहते हैं, आगे प्रदेश की उपज बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चौधरी साहब ने कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन के विषय में आपत्तियां कीं और कुछ ऐसी आपत्ति की जो जा नहीं थी। एक आपत्ति तो यह उठायी कि हमारी तरफ से आदेश जारी हो गये हैं, बी० के० डी० के दल को कुचलने के लिए सब अधिकारियों को कि उनके कार्यकर्ताओं और उनके सदस्यों के प्रति ऐसे व्यवहार करें जिससे बीकेडी के सदस्य भयभीत हो जायं और उनके ऊपर मुकदमें चलाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक चौधरी साहब से और सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चौधरी साहब की भ्रान्ति है। यह चौधरी साहब की भूल है। इसलिये है कि हमने दो स्थानों पर कलेक्टर को स्थानान्तरित किया। दो जगह तो दो अधिकारी छुट्टी पर गये हैं। और दो जगह हमने उनको स्थानान्तरित किया है। एक तो स्थानान्तरण इसलिये किया कि लखनऊ में जो हमारे एस० एस० पी० हैं हिमाचल के आई० जी बन रहें हैं, पहले मनीपुर के डी० आई० जी० बन रहे थे अब आई०जी० बन रहें हैं, यह मेरे काल के पूर्व की बात है। यहां एक स्थान खाली होने को था। वहां के एस ०एस पी० का ट्रांसफर लखनऊ कर दिया। एक व्यक्ति जो यहां बहुत दिनों तक कार्य करते रहे हैं सचिवालय में, वटल, वह मेरे प्राईवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। दो तबादले मैंने किये है। एक व्यक्ति जिन्होंने छुट्टी ली है, जिनके विषय में मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, सिर्फ वह छुट्टी पर चले गये हैं, सी०आई०डी० की इन्क्वायरी चल रही है। यदि उनकी इनक्वायरी में कोई कमी या कमजोरी नहीं दिखायी पड़ी तो न मैं उन व्यक्तियों में हूं और न यह सरकार इसमें विश्वास करती है। आखिर में सारे शासन को अधिकारियों के जरिये चलाना है, हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि अधिकारियों को डरा धमका कर गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। यदि मेरी धृष्टता न मानी जाय, चौधरी साहब जब शासनारूढ़ हुए थे उन्होंने अप्रैल के महीने में कितने अधिकारियों का तबादला किया था। आई० जी० पुलिस को दूसरे या तीसरे दिन बदल दिया और दूसरे आई० जी० रख लिया। उनको अधिकार था, उसको बरता। मैं कोई मोटिव नहीं लगाता। हमने जो भी किया वह किसी गलत मोटिव से नहीं किया, हमने कोई चीज उस दृष्टिकोण से नहीं किया, तो यह तो गलत बात है, यह सही बात नहीं है और उन परम्पराओं के अनुकुल नहीं है जो विरोधी पक्ष के नेता को एक जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये। यह सही है कि प्रदेश के कई स्थानों से शिकायतें आयी हैं। सरकार के पास ऐसी शिकायतें हैं कि इस चुनाव में बहुत सी जगहों में अनियमिततायें हुई, बहुत-सी जगहों पर लोग वोट देने से रोक दिये गये। खास कर हरिजन, पददलित तथा समाज के कमजोर अंग है।

बहुत से स्थानों से इस प्रकार की खबरें आयीं और अधिकारियों ने बतलाया और वे सत्य हैं। तो अगर गणतंत्र की रक्षा करनी है तो लोगों के अन्दर यह भय नहीं रहना चाहिये कि कोई ब्राम्हण है, बनिया है, ठाकुर है या जाट है और वह हरिजनों को दबा लेगा, पददलितों और कमजोरों को दबा लेगा। हम इस बात की इजाजत किसी को नहीं दे सकते, चाहे वह ब्राम्हण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, यदि कोई इस प्रकार की कार्यवाही गरीब जनता के साथ करता है, गरीब हरिजनों के साथ करता है तो हमारे अधिकारी वह स्टेप लेंगे जो उन्हें लेने चाहिये। क्योंकि अपने संविधान के अन्दर हमने प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया है, सबको समान अवसर दिया है। यदि कोई किसी के अधिकारों को छीनेगा, और अपने जोर जबरिया ढंग से किसी को मत नहीं डालने देगा और यदि किसी ने अपने मन के आदमी को वोट दिया, उसके बाद कोई उसके खेत पर उसे नहीं जाने देगा या उसके खेत को काट डालेगा, या उसका घर जला देगा, जानवरों को जला देगा---यदि इस तरह की शिकायतें सरकार के पास आयेंगीं तो हमारे अधिकारी उनकी जांच करेंगे और यदि उन्हें सत्य पायेंगे तो चाहे ५०० आदमी हों, चाहे ६०० आदमी हों, चाहे ६ हजार आदमी हों, उन सब के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करेगी और ऐसे व्यक्तियों को कानून के अन्तर्गत सख्त से सख्त सजा दिलाने की चेष्टा करेगी, मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं।

यदि कांग्रेस के किसी आदमी ने ऐसा कार्य किया है, जबरदस्ती वोट डलवाया है और जिसने वोट नहीं डाला है उसके बाद उसे खेत पर नहीं जाने देता है, उसे कार्य के नहीं करने देता है, उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है तो क्या हम यहां इसलिये आये हैं कि जनता को जो राहत संविधान ने दे रखी है उससे हम जनता को वंचित करें हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, चाहे एक दिन यहां रहें, चाहे १० दिन रहें, चाहे ५ साल रहें, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं और उस बात का मुकाबला भी हम करेंगे उन ढंगों और तौर तरीकों से जो संविधान ने हमें प्रदान कर रखे हैं। क्या यह वाकया नहीं है कि सभी पक्षों की तरफ से यह मांग आयी है कि मध्यावधि चुनाव में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जुडिशियल इनक्वायरी कराई जाय ? यह कांग्रेस वालों की ही शिकायत नहीं है, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है, कहीं कहीं जनसंघ ने प्रस्ताव पास किया है, ऐसे-ऐसे दल जब शिकायत करते हैं कि वहां के अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो इसके लिये दूसरा रास्ता ही क्या है। हमने कोई आदेश नहीं दिया है, हमने यही कहा है कि किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिये। जो कानून के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं उस अधिकार को बरतने का उसे पूरा अधिकार होना चाहिये। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे जाट हो, चाहे अहीर हो, सब के साथ कानून के अनुसार एक तरह का ट्रीटमेंट किया जायगा, यह हमारी आज की घोषणा है और यही हमारा उद्देश्य भी है। इसी तरह से हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

इस बात को भी चर्चा हुई कि इंडस्ट्री के बिना प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती और वह उतना आगे नहीं बढ़ी है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आज प्रदेश की समस्याओं को हल करना है, यदि प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करना है तो उसका हल तभी हो सकता है जब कि अधिक से अधिक संख्या में लोग खेती में जाकर लगें और उसके बाद उद्योग धंधों में लगें। उद्योग धंधे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं सकते। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बिजली की पैदावार को बढावें और जगह-जगह गांव-गांव में बिजली को ले जायं। क्या आज यह वस्तविकता नहीं है कि देहात के रहने वाले लोग तथा देहात में रहने वाले बच्चे देहातों में रहना नहीं चाहते हैं ? खेती में जाना नहीं चाहते। अधिक संख्या में युवक या तो नौकरी चाहते हैं या शहरों में रहना चाहते हैं, कस्बों में रहना चाहते हैं। आज इस प्रवृत्ति में भी हमें परिवर्तन लाना है। यह प्रवृत्ति जब बदलेगी जब शहर के रहने वालों को सुविधायें और सुभीते खेती में काम करने वाले, गांव में रहने वाले लोगों को भी दें। क्योंकि उसे भी अपने बच्चों को शिक्षित करना है। उसे भी स्कूटर और मोटर खरीदना है। और इनके लिए उसे बढ़या पक्की सड़क चाहिए वह आज अच्छे कपड़े भी चाहता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ बड़ी मात्रा में चल सकती है। यदि कोई बड़ी इंडस्ट्री खोली जाती है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे भी खोले जा सकते हैं।

दुर्भाग्य से हम इसके लिए बिजली नहीं दे पाये हैं। पहाड़ी इलाकों में भी हम छोटे छोट उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए बिजली नहीं दे पाये हैं। पहाड़ों के लोगों में शिक्षा बढ़ती गयी है वहां के किसी परिवार का कोई लड़का क्लर्क बनता है तो कोई दिल्ली आदि में जाकर इंजीनियर ओवरसियर बनता है। आज पहाड़ में ऊन उद्योग बढ़ सकता है या आर्चर्ड्स लग सकते हैं और इसके अलावा दूसरे धंधे भी वहां लग सकते हैं। वहां पर छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये आज की दशा में सीमित उद्योग हैं। इस दिशा में अभी हमारे यहां अधिक आविष्कार भी नहीं हो सके हैं जिनसे नये-नये उद्योगों के बनने की संभावना हो। जिनसे ऐसे छोटे-छोटे नये नये उद्योग हम लगा सकें। यह सारी चीजें मनोवृत्ति परिवर्तन चाहती हैं। हमारे सामने बैठे हुये विरोध पक्ष के लोग हैं उनके भी बच्चे आज ऊंची-ऊंची शिक्षा पा रहे हैं क्या वह चाहते हैं कि हम माता-पिता के साथ रहें और खेती करें ? कुछ अवश्य जब से गल्ले के दाम बढ़े हैं और खेती नये नये तरीकों वैज्ञानिक ढंग से की जाने लगी है उसको देखकर कुछ का झुकाव अवश्य इस ओर हुआ है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है जितना कि वास्तव में बढ़ना चाहिए।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त---]

नित्य १००-२०० लड़के हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें यहां नौकरी दिलवा दो। नौकरी की प्रवृति हमारे प्रदेश में और सारे देश में फैली हुई है। वह चाहे कमलापति जी का लड़का हो चाहे चौधरी साहब का लड़का हो और चाहे हमारा भाई भतीजा हो, कहने का मतलब यह है कि सभी में सवत्र यह प्रवृत्ति फैली हुई है। हमारे यहां के तमाम विद्यार्थी जो अमेरिका चले जाते हैं, तो वह वहीं रह जाना चाहते हैं वहीं पर शादी कर लेना चाहते हैं, चूंकि वह वहां पर लाखों रुपया कमाते हैं। तो नवयुवकों को जहां बदलना है हमको अपने को भी बदलना पड़ेगा। हमको उनकी प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा और उसको समझकर तदनुसार कार्य करना पड़ेगा कि हम उनको अधिक से अधिक समाज का उपयोगी अंग बना सकें। यदि हम पुराने विचारों को लेकर चलेंगे और उनके साथ पुराने तरीके का बर्ताव करेंगे तो वही फल होगा, जो कांग्रेस के समय पिछले ३-४ साल पहले प्रदेश में हुआ था और चौधरी साहब के राज्य में दो डेढ़ वर्ष पहले हुआ था। आज जो सारी हलचल नौजवानों के समाज में है वह हलचल आज सारी दुनिया के युवक समाज में वर्तमान है। नौजवान क्रान्ति ला रहें हैं। यहां तक कि जिन देशों को कम्युनिस्ट देश कहा जाता है, वहां पर भी नौजवान कम्यूनिज्म के खिलाफ उठ रहें हैं और अपने विचारों को मनवाने के लिए लड़ रहें हैं, सत्य के लिए संघर्ष कर रहें हैं। और इसमें वे उन्हीं तौर तरीकों का सहारा ले रहें हैं जिनको हमने गांधी जी के नेतृत्व में सीखा था। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वह भी हमारी नजरों से गुजर रहा है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहें हैं, जो समाज के अन्दर हम वातावरण पैदा कर रहें हैं, उसमें हम वह सन्तुलन पैदा करें, जिससे कि वह समाज का उपयोगी अंग बन सकें।

आखिरकार हममें से बहुत से ऐसे हैं जो जाने वाले हैं, बहुत से चले गये, चाहे चौधरी साहब हों, चाहे मैं हूं और चाहे कमलापति जी हों, वे दो एक साल मुझसे छोटे होते हैं, लेकिन हम सबकी यह पीढ़ी जाने वालों की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी तो नवयुवकों की है। उनको इस कार्य के लिये तैयार करना है और उनको एक ऐसे रास्ते पर चला देना है जिससे वे सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकें और इस मुल्क को उस रास्ते पर ले जा सकें जिससे देश पनपे, बढ़े और उन्नति करे। हमारे देश में आज यह मनोवृत्ति फैली हुई है कि हम अपने लड़कों को रूस, अमरिका और इंगलैण्ड भेजेंगे। हममें से सभी, चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर, चाहे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के सभी अपने लड़कों को कालविन ताल्लुकेदार कालेज में पढ़ायेंगे, फिर कैसे हम सोचेंगे कि हमारे आने वाले नवयुवक इस देश और इस प्रदेश को आगे ले चलने योग्य बनते चले जावेंगे। आज हम सब इस मनोवृत्ति के शिकार हो रहे हैं जिससे हम अपने बच्चों को खेती पर जाने योग्य बनाने के लिये तैयार नहीं हैं तब कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं जब हम वास्तव में उन तौर तरीकों को अपनावें जिससे देश आगे बढ़ सकता है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वर्ष गांधी सेंटिनरी का है। इसके लिये हमने कुछ निर्णय लिये हैं। यद्यपि उसे पूरा गांधी जी के विचारों के अनुकूल हम नहीं बना लेंगा परन्तु हमने एक कदम पकड़ा है और वह कदम आबकारी के महकमें के सिलसिले में है। अभी आल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां यह निर्णय लिया गया था कि ७ वर्ष के अन्दर हम अपने यहां से शराबखोरी को बन्द कर देंगे। वहां पर सभी कांग्रेसी हुकूमतें जहां हैं उनके मुख्य मंत्री उपस्थित थे। हमने उस नीति के अन्तर्गत यह निर्णय किया है कि उत्तराखंड में हम बिल्कुल प्राहिबिशन कर देंगे और अब तक हफ्ते में एक दिन दुकान बन्द रखते थे अब हफ्ते में दो दिन शराब की दूकानें सारे प्रदेश में बन्द रहा करेंगी। कुछ लीगल बातें हमारे अधिकारियों ने बतायी हैं लेकिन वह भी दो चार महीने के अन्दर खत्म हो जायेंगी। इसके बाद अगले वर्ष ३ दिन, फिर अगले वर्ष चार दिन इसी तरह से धीरे धीरे करके हम उन आदर्शों को लाने की चेष्टा करेंगे जिनके लिये गांधी सेन्टिनरी के सम्बन्ध में हमने निर्णय लिया है। जैसा मैंने कहा कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, कभी हम, कभी चौधरी साहब, कभी और कोई साहब यहां आकर बैठेंगे,

लेकिन जो गणतंत्र की मान्यतायें हैं वह ऐसी हैं जिन्हें हम सब को बना कर चलना पड़ेगा और अगर उनको नहीं मान कर चलेंगे तो गणतंत्र हमारी नजरों के सामने विलीन हो जायगा। तो मैं इस अवसर पर यहां पर बैठे सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हम गणतंत्र की रक्षा के लिये उसकी मान्यताओं की रक्षा करें जिससे गणतंत्र हमारे यहां पनपे, फले और फूले।

अभी हमारे एक साथी ने उर्दू के विषय में कुछ कहा था। तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह कथन असत्य है कि यह सरकार जो कहती है उस पर अमल करने के लिये तैयार नहीं है। यह सरकार उर्दू को पूरा मौका विकसित होने और उभरने का देना चाहती है परन्तु इस बात की चेष्टा करना कि उत्तर प्रदेश में दूसरी जबान बना दी जाय यह खामखा लोगों में गलतफहमी पैदा करने की चेष्टा करना है। उर्दू को दूसरी भाषा इस प्रदेश की बनाने की बात न हमने कभी मानी है और न कभी कहा है। हमें उर्दू से कोई दुश्मनी नहीं है।

श्री मंजूर अहमद---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं बोल रहा हूं, आप कृपा करके बैठें।

श्री मंजूर अहमद---

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं उन साथियों से निवेदन करता हूं कि यह सरकार थ्री लैंग्वेज फार्मूले के अन्तर्गत उर्दू को, जो तीन लैंग्वेज में एक को कम्पलसरी के रूप में लेंगे, पढ़ने वालों को पूरा मौका देगी। चाहे ४० लाख खर्च हो, चाहे ५० लाख खर्च हो और चाहे एक करोड़ रुपया खर्च हो, इस कार्यके लिये खर्च करेगी और इस कार्य को आगे बढ़ायेगी। यह हमारा बचन प्रदेश के लिये है और देश के लिये है। हम इस तीन लैंग्वेज फार्मूले में यकीन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश का विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़े, हिन्दी पढ़े जिसको हमने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है और एक दूसरी भाषा चाहे उर्दू हो या बंगाली हो या मराठी। हिन्दी के रखने से कोई उर्दू के लिये रुकावट आगे बढ़ने में दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ स्थानों पर हमने देखा कि बहुत उत्सुकता में आकर लोगों ने हिन्दी को नुकसान पहुचाया है। इसी तरह से उर्दू के उपासकों ने जोश में आकर उर्दू को नुकसान पहुंचाया है और लोगों के दिलों में आज भी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैं नम्रता के साथ सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू को इस प्रदेश में उभरने का पूरा मौका प्रदान किया जायगा। तीन भाषाओं में हिन्दी, अंग्रेजी और तीसरी भाषा जो कोई उर्दू लेना चाहता है या बंगाली लेना चाहता है, उसकी हम मदद करने के लिये तैयार हैं और जो भी उस पर धनराशि व्यय होगी उसको भी करने के लिये तैयार हैं। पिछले ३, ४ वर्षों में इन संस्थाओं की संख्या, इनके अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। जब से उर्दू के सिलसिले में बहुत चर्चा चली है तब से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में उनके अध्यापकों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी है। फिर रोजमर्रा इस प्रकार से आपत्ति करना कुछ अच्छा नहीं लगता। यहां शपथ के विषय में कुछ लोग मेरे पास आये तो मैंने कहा कि जो नियम बने हुये हैं और कन्वेन्शन हैं उनके अनुरूप यह बात हो जाय। मैं नहीं समझता था कि उसमें आपत्ति करने की क्या आवश्यकता थी।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त---]

मैंने उनसे निवेदन किया था कि जो नियम कहते हैं उसके अनुसार आप स्वीकार कर लीजिये और स्वीकार करके मेरे विश्वास को मानिये कि हम उर्दू को बढ़ाने और तरक्की देने की पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे।

एक बात मैं हरिजन भाइयों के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं। हमारा यह फैसला है कि हरिजन भाइयों को जो सुविधा संविद सरकार के आने के पहले उनको प्राप्त थी उनको मिलती रहेंगी और अन्य दिशा में भी जहां-जहां हम और सुविधा उनको दे सकेंगे उसको प्रदान करेंगे। उसके लिये जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसको भी हम प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं और अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता। मैं फिर दोनों तरफ के बैठने वाले साथियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी हम कहेंगे उतना हम करने की पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे। न आपको बहकाने की चेष्टा करेंगे और न जनता को बहकाने की चेष्टा करेंगे और न मिथ्या बातों का प्रचार जनता के बीच में जाकर करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर उन सब साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को अपना कर, विभिन्न सुझाव सदन के समक्ष हम सब के सामने प्रस्तुत किये।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, आज मेरा विचार इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था किन्हीं कारणों से लेकिन मेरे मित्र माननीय चन्द्रभानु गुप्त के भाषण के बाद जरूरी हो जाता है कि जो कुछ' उन्होंने फर्माया था, कुछ पहलुओं के विषय में मैं भी अपनी राय का इजहार करूं। मैंने अपने उस रोज के, १८ तारीख के कथन में माननीय गुप्ता जी या माननीय कमलापति त्रिपाठी को या कितने और सदस्य हैं हमारी नयी गवर्नमेंट के उनको खास तौर से दोषी नहीं ठहराया है---आम तौर से दोषी ठहराया है। आम तौर से इस माने में कि इस २० वर्ष के अन्दर प्लानिंग के सिलसिले में या देश के आर्थिक विकास के सिलसिले में जो गलतियां कांग्रेस आर्गेनाइजेशन ने की है उनमें अब भी सुधार नहीं हुआ है। वह भूल अब भी स्वीकार नहीं की जा रही है और उस बात को अब भी नहीं समझा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे देश की गरीबी अब तक नहीं मिटी? आज जिन दोस्तों को मैंने सुना उससे मैं फिर उसी नतीजे पर कायम हूं कि अब भी वह गलती और भूल जारी है और जो अहसास होना चाहिये वह नहीं है। मैंने यह अर्ज किया था कि बिना खेती के विकास के हमारे देश की गरीबी नहीं मिट सकती---पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि हमारे जो मेंटल एटीट्यूड्स हैं, मानसिक दृष्टिकोण हैं, मनोवृत्ति है, उसमें जब तक रैडिकल ट्रांसफार्मेशन नहीं होगा, क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारे देश की गरीबी नहीं मिटेगी। मैंने दो मूल कारण बतलाये।

कहने को तो यह कह दिया जाता है कि बेशक हम यह महसूस करते हैं कि बिना खेती के विकास के देश की गरीबी नहीं मिटेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जबकि यह वाकया है और उस बात को दोहराया था श्री शिवराजसिंह ने और उसकी तरदीद नहीं की गयी कि आज दुनियां भर की चीजों के मुकाबले में फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा कीमती है---मैंने अर्ज किया था कि ब्रिटेन में फर्टिलाइजर पर सबसीडी, अनुदान दिया जाता है और उल्टे हमारे यहां फर्टिलाइजर पर टैक्स लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं अपने दोस्त से, इस वक्त उन्हें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उनसे मिलकर बात करने के लिये तैयार हूं कि अगर यह अहसास कांग्रेस की लीडरशिप को हो गया कि खाद एक अनिवार्य सुविधा है, रिसोर्स फैसिलिटी है खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये और जबकि अरबों का खाद बाहर से मंगाने की योजना हर साल बन रही है तो अपने देश के अन्दर खाद की कीमत को घटाने के बजाय जो कि दुनियां भर में सबसे ज्यादा है उस पर १० परसेंट का टैक्स लगाने की बात किस के मन में आ सकती है? क्या उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के दिमाग में आयेगी जो खेती की अहमियत को तसलीम करते हैं ? यह एक मोटी सी बात है । इस पर टैक्स लगाना इस बात का सबूत है कि चाहे माननीय गुप्ता जी या कमला पति को अहसास हो गया हो जो उधर नये बैठे हैं लेकिन उस लीडरशिप में जो दिल्ली में बैठी है आज भी खेती की अहमियत का अहसास नहीं है । २२ करोड़ आपको आमदनी मिलेगी इस खाद पर टैक्स लगाने से । अगर इसके बजाय २२ करोड़ की सबसीडी दे दें और खाद की कीमत को कम कर दें तो उससे किसानों की जो पैदावार बढ़ेगी और ट्रेड, कामर्स, ट्रांसपोर्ट पर २२ करोड़ से कई गुना टैक्स दूसरी शक्ल में गवर्नमेंट के काफर्स में आयेगा । पर अभी तक वह एहसास नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गयी थी कि यही नहीं कि खेती की पैदावार बढ़ाना अनिवार्य शर्त है देश के औद्योगीकरण को या आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये, लेकिन उल्टा ही जोर दिया गया । एक दम आते ही बजाय खेती के, औद्योगीकरण करो, औद्योगीकरण करो । बिलकुल ठीक है । लेकिन औद्योगीकरण हो उसकी पहली शर्त थी खेती की पैदावार---उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और औद्योगीकरण में भी हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया । सेकंड प्लान उठाकर, थर्ड प्लान उठाकर देखिये, इंडस्ट्रीज में रुपया ज्यादा रखा गया है बमुकाबले खेती के, और इन्डस्ट्री में भी जितना रुपया लगाया गया वह लगाया गया हैवी इन्डस्ट्रीज पर । नतीजा यह हुआ कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ । खेत की उपेक्षा हुई । वह चीज अभी भी जारी है। सन १९४८-४९ में राष्ट्रीय आय का १६.४ प्रतिशत हमको इन्डस्ट्रीज से मिलता था जिसमें ६.३ बड़ी इन्डस्ट्रीज से और १०.१ छोटी इन्डस्ट्रीज से । आज इतने वर्षों के बाद और अरबों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद और गांधी जी का नाम लेने के बाद, आज स्थिति यह है कि इन्डस्ट्रीज से जो १६.४ प्रतिशत मिलता था वह बढ़ कर १६.९ हो गया, यानी केवल आधा प्रतिशत बढ़ा । छोटे रोजगारों की उपेक्षा की गयी जिसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९४८-४९ में छोटे उद्योगों से जो आय १०.१ थी वह आय आज १६ वर्ष के बाद घट कर ६.६ रह गयी और हैवी इन्डस्ट्रीज से १०.३ हो गयी ।

श्री अध्यक्ष---

इस समय ४ बजे ध्यान आकर्षण आदि के प्रस्ताव लिये जाने थे, उसके लिये यह समय है, लेकिन अगर सदन को आपत्ति न हो तो इस विषय के समाप्त होने के बाद उसको ले लिया जाय । (कोई आपत्ति न होने पर) तो यह कार्य इसके बाद ले लिया जायेगा । माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण कृपया जारी रखें ।

श्री चरणसिंह---

स्वराज्य होते ही हमारा ध्यान स्माल और मीडियम इन्डस्ट्रीज की तरफ जाना चाहिये था जो नहीं गया और जिसकी वजह से अनइम्प्लायमेंट भी बढ़ा । माननीय कमलापति जी ने कहा कि आज कल टैक्नोलाजी का जमाना है, अब लोग हाथ से काम नहीं करना चाहते, मशीन से काम करना चाहते हैं, बिजली की चमक दमक चाहते हैं । तस्लीम । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी जी ने हमसे यह कहा था कि छोटे उद्योगों पर जोर दीजिये, तब कांग्रेस की लीडरशिप में क्या चीज हायल होती थी कि माननीय दोस्तों ने सन्ट्रल गवर्नमेंट को यह रिकमेंड नहीं किया कि भविष्य में बड़े कारखाने कपड़े बनाने के न लगाये जायं और हैन्ड-लूम कपड़ा बनाने पर जोर दिया जाय । हैन्डलूम का कपड़ा अगर बनाने का कानून बना दिया जाता, बड़े-बड़े कारखाने न खोले जाते, तो उससे आज २५ गुना ज्यादा लोगों को रोजगार मिला होता । यह टेक्सटायल कमेटी की १९५४ की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि १ करोड़ गज कपड़ा बनाने में अगर बड़ी फैक्टरी में एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तो हैन्डलूम से उतना ही कपड़ा तैयार कराने में उससे २५ गुना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और पावर लूम से १० गुना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा । हैन्डलूम से जबकि कपड़ा भी अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है ।

[श्री चरण सिंह---]

एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और एक तरफ हम गांधी जी का नाम लेते जाते हैं। बड़े कारखाने कपड़े बनाने के छोड़ दीजिये। छोड़ दीजिये आटोमोबील्स इन्डस्ट्रीज को, छोड़ दीजिये रेलवे इन्जन्स बनाने के बड़े-बड़े कारखाने को, इनको आप बेशक लेते। लेकिन बड़ी फैक्टरीज को लेकर जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज हैं उनके निर्माण के लिये बड़े कारखानों को बनाने की क्या जरूरत है? राजगोपालाचारी ने सन ४७-४८ में कहा था कि ऐसा कानून बना दो लेकिन पंडित जी उसके लिये तैयार नहीं हुये थे। लेकिन जब जब मैं गांधी सेरेमोनीज में उद्घाटन आदि के अवसरों पर गया तब मैंने कहा कि इस तरह का कानून बना दो, डिमार्केशन आव इन्डस्ट्रीज कर दो कि यह इन्डस्ट्रीज छोटे सेक्टर की है और ये बड़े बड़े सेक्टर की होगी। क्या यह वाकया है नहीं। किधर मे जा रहे हैं हम इन्डस्ट्रीज को, वह मैं अर्ज करना चाहता हूं। उसकी तरफ ध्यान नहीं रहा। माननीय गुप्ता जी का ध्यान भी कानपुर में लगने वाले बड़े बड़े कारखानों की तरफ ही रहा है और जरा भी नहीं है इस बात का अहसास कि छोटे-छोटे कारखाने भी कायम किये जायं। क्यों नहीं सोचते वे इस बात को? यही महात्मा जी ने कहा था। उनका कहना यह था कि जो चीज छोटे पैमाने पर बनाई जा सकती है उसकी पूंजी बड़े-बड़े कारखाने कायम कर न लगाई जाय। परन्तु जो चीज बड़े कारखानों में ही बनाई जा सकती है केवल उन्हीं के लिये बड़े कारखाने लगाये जाते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हों, गवर्नमेंट द्वारा कन्ट्रोल्ड हों। अगर उस पर अमल किया जाता तो हमारे प्रदेश के जो २३ लाख और सारे देश के जो १ करोड़ २५ लाख बेरोजगार आदमी हैं और ५१ हजार इन्जीनियर्स हैं वे बेकार न बैठते। इधर उधर की बात क्यों कहते हैं? सीधी बात यह है कि इसको टैकिल किया जाय इसकी डिटेल में जाया जाय, उसके समझने की कोशिश की जाय। हमने कहा, आपने उधर से कह दिया इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। इसको सोचना है।

जहां तक इसकी बात है माननीय गुप्ता जी की क्या यह मन्शा थी कि लड़के नौकरी करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। यह चीज पहले ही क्यों नहीं समझ में आई? क्या यह वाकया नहीं है कि हमारे अपने प्रदेश में हल को हाथ लगाना नहीं चाहते। पुराना ख्याल चला आ रहा है, रूढ़िवादी विचार, इसको मिटाने की क्या कोशिश की गई है? मैंने कहा था उस रोज यह भी ठीक है हमारे यहां नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है लेकिन उससे ज्यादा जो दोष हैं वह हैं जो हमारे मनुष्य हैं वह निकम्मे हैं। वे मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। कुछ रूढ़ियां है, कुछ केवल विश्वास हैं, उनको मिटाने की क्या कोशिश की गई? मेरे माननीय मित्र त्रिपाठी जी बैठे हुये हैं। उन्हें शायद याद होगा कि सम्पर्णानन्द जी के साथ इन्फार्मल मीटिंग हो रही थी। मैंने यह कहा कि हमारे पर्व के लोग हल को हाथ से चलाने के लिये तैयार नहीं है, अब तक तैयार नहीं है। यह वाकया है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पुराना ख्याल चला आ रहा है, गलत ख्याल है, धीरे-धीरे मिटेगा, तब-तक समस्यायें और बढ़ जायेंगी। तो मैंने यह कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश होनी चाहिये, या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज की ओर से या रिलीजियस हैड्स की ओर से यह कोशिश होनी चाहिये कि वे एक बार अपने हाथ से हल को चलायें। कमलापति त्रिपाठी या सम्पूर्णानन्द उसको चलायें तो देखिये यह ख्याल मिट जाता है। उस चीज को हंस कर टाल दिया गया या चुप हो गये। जो करेक्ट डायनोसिस है, जो बीमारी है गरीबी की, उसका सही निदान करने की कोशिश नहीं की गई। क्या हमारी एजूकेशनल टैक्स्ट बुक्स में कहीं फर्क पड़ा है। हमें अपने लड़कों को सिखाना चाहिये कि वे पुरुषार्थ करें, भाग्य के भरोसे न बैठे रहें। जो सन् ४६ में टैक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती थीं और जो आज पढ़ाई जा रही है उन किताबों में कोई अन्तर नहीं है। हमारे बच्चों के दिमाग में यह कहां से आये कि बिना मेहनत के देश का उद्धार होने वाला नहीं है, गरीबी मिटने वाली नहीं है। कहीं कोई फर्क नहीं है। आखिर पंजाबी क्यों मेहनत करता है। पंजाब के लोग जिस तरह से बरबाद हो कर आये देश के तकसीम होने के बाद, उनकी हालत को सब लोग जानते हैं और वे यहां आने के बाद यहां के लोगों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल हो गये। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पुराना दूकानदार जो

दूकानों में बैठता था वह वहां से गायब हो गया है और पंजाबी दूकानदार उस दूकान का मालिक हो गया है। इसी हजरतगंज में देख लीजिये दूकानों के मालिक कौन लोग हैं। इसी तरह से अल्मोड़े के बाजार को देख लीजिये, वहां के मालिक कौन लोग हैं। कारण उसका यह है यहां के लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कानपुर में आप देख लीजिये मिलों के मालिक कौन लोग है पंजाबी है, मारवाड़ी है या सिंधी हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यहां के लोगों का ऐटीट्यूड ही एकोनोमिक नहीं है। उन लोगों का ऐटीट्यूड आर्थिक है, इसीलिये वे लोग तरक्की करते हैं लेकिन यहां के लोग पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी भाग्य के ऊपर बैठे हैं।

अब मैं अपना पुराना चार्ज लगाना चाहता हूं कि आज तक किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं है। कहा जाता है कि मैंने क्या किया। मैं पूछता हूं कि क्या मेरी बात चलती थी? कौन नहीं जानता कि मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कुछ किया, अब चाहे वह चकबन्दी हो, चाहे गरीब किसानों के अधिकार की बात हैं। लेकिन मेरी हर बात का विरोध किया गया। उससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। या तो सेन्ट्रल के नेताओं के अधिकार में था अथवा स्वयं आपके हाथ में यहां था। जहां तक मेरे अपने व्यूज की बात है, उनके कारण मैंने पोलीटिकल डिसएडवान्टेज भी उठाया है। नागपुर में मैंने कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ बात कही, कौन नहीं जानता। मेरे जो व्यूज हैं उनको सभी जानते हैं। ५७ से बराबर मैं अपनी बातों को कहता चला आया हूं लेकिन कभी किसी का ध्यान ही उन बातों की तरफ नहीं गया। जब कभी कोई बात होती तो १० मिनट से ज्यादा किसी को मुझे सुनने की फुरसत ही नहीं थी। मैं कमलापति जी त्रिपाठी, और गुप्ता जी की तथा अन्य दोस्तों से अर्ज करता हूं कि वे इन बातों पर जरा गौर तो करें। दुनिया में १२५ देश हैं उनमें एकोनामिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास की दृष्टि से हम देखेंगे कि सूडान और ब्रह्मा को छोड़ कर हमारे देश की गति सबसे धीमी है, वह क्यों है? हमारा देश नरक को जा रहा है, पाताल को जा रहा है लेकिन हम भीतरी बातों पर तो जाना ही नहीं चाहते है, केवल ऊपरी बातों और आपस की रेंगलिंग में फंसे रहते है, कोई भी किसी समस्या की गहराई में जाने को तैयार नहीं है। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने की ओर हमारा नाममात्र को ध्यान है। गल्ले की कीमत बढ़ने की वजह से उधर लोगों का ध्यान है लेकिन इसके ५-६ कारण, हैं कि अगर खेती की पैदावार पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता एकोनामिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, गरीबी नहीं मिट सकती। ५८-५९ से बराबर मैं इस बात को कहता चला आ रहा हूं लेकिन किसी ने इसको रियेलाइज ही नहीं किया। जो असली चीज है अफसोस है वह हमारी आंखों से ओझल रही है।

एक बात यह कही गई कि यहां की आबादी ज्यादा है। यह ठीक है कि इस संबंध में माननीय गुप्ता जी ने सब को रास्ता दिखाया लेकिन अगर सभी इस रास्ते पर चलने लगे तो कौम ही खत्म हो जायगी। हो सकता है कि उनका रास्ता अच्छा हो लेकिन आप तो वही रास्ता दिखायेंगे जिससे देश की सफाई हो, एक रास्ता उनका यह भी है। जहां तक पापुलेशन के बढ़ने की बात हैं हमारे देश की आबादी सवा दो प्रतिशत सालाना बढ़ जाती है, लेकिन हमारे सूबे की आबादी के बढ़ेने का जो रेट है वह अन्य सूबों से कम है। हमारे यहां यह रेट १६.७ प्रतिशत है जबकि देश की आबादी २१-२२ प्रतिशत प्रति १००० हर साल बढ़ती है। मैं कहता हूं कि अब यह कह कर निकलने की कोशिश न करो कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है। आप की आबादी दूसरे प्रदेशों के अनुपात में ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, दूसरे सूबों की डेंसिटी आफ पापुलेशन ज्यादा है, आबादी का रेट भी दूसरे प्रदेशों का ऊंचा है और फिर भी वह आप से मालदार हैं। पर केपिटा जमीन भी दूसरे सूबों में कम है लेकिन वह आप से मालदार हैं। मैं आप की मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि गुप्ता जी और कमलापति जी मेक बिलीफ में अपने को धोखे में न रखें, आबादी की बढ़ोत्तरी, डेंसिटी है, जमीन की कमी है लेकिन पूरे कारण यही नहीं हैं। हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों? मैं फिर दोहरा दूं कि आबादी का प्रतिशत दूसरे सूबों में ज्यादा है, पर केपिटा जमीन भी कम है, डेंसिटी आफ पापुलेशन और जहालत भी

[श्री चरण सिंह—]

ज्यादा है, लेकिन वह आप से मालदार हैं। हमारे नेहरू जी कहते थे कि बुलक कार्ट और गोबर बहुत ही क्रूड फार्म हैं, बड़ी अच्छी बात है बुलक कार्ट नहीं चलेगी, उन्होंने गोबर का मजाक उड़ाया और कहा कि काउ डंग एज खत्म हो। जोर यह था कि गोबर का इस्तेमाल न करें। ठीक है हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि क्या वह हमारे खेतों में ज्यादा सूट करेंगे और एफीशियेंट साबित होंगे? एक थ्योरी यह भी है कि केमिकल खादों से हानि होती है, जमीन की उर्वरा शक्ति का डिप्लीशन हो जायगा। दूसरे कहते है कि आर्गेनिक मेन्योर्स अच्छे हैं इनआर्गेनिक से। मैं फिर दोहराता हूं और माननीय गुप्ता जी और त्रिपाठी जी गौर करें कि आज भी जितने केमिकल खाद हमें चाहिये वह अवेलेबिल नहीं है और जब वह नहीं है तो फिर जो हमें प्राप्त है, आसानी से मिल रहे है उन्हीं का इस्तेमाल हम क्यों न करें, उस ओर हम ध्यान क्यों न दें?

गोबर का इस्तेमाल करने में हमारी कौन सी नाक कट जायगी, कौन सी हमारी टेक्नालाजी क्रूड हो जायगी और कैसे आप बारबरस हो जायंगे? सारी बात यह है कि हमारे दिमागों में तो चमकदमक और हैवी इन्डस्ट्रीज की बड़ी बड़ी चीजें दौड़ने लगी हैं। हमें अगर खेतों में गोबर को पहुंचाना है तो सब से पहले हमें चूल्हे का सुधार करना होगा, गांव के लोगों को कोई आल्टरनेटिव ईंधन देना होगा ताकि गोबर खाद के लिये पूरे तौर पर जा सके। उस तफसील में मैं ज्यादा न जाऊंगा, इतना वक्त नहीं है, लेकिन यह महात्मा गांधी के जमाने की बात है कि गोबर को ईधन में न इस्तेमाल किया जाय, मेडीवियल जमाने की बात है यह या काउडंग एज की बात है। मैं कहता हूं कि आप को गोबर की तरफ ही ध्यान देना होगा और २० साल बाद भी आप जरूरत के मुताबिक केमिकल खाद न दे सकेंगे। लेकिन जब यह स्थिति है तो सवाल यह है कि इस तरफ आप का ध्यान क्यों नहीं जाता। इसको कहा जाता है कि यह क्रूड टेकनालाजी है जबकि महात्मा जी ने और दूसरे लोगों ने काफी लिखा और कहा है गोबर की अहमियत के बारे में। क्यों नहीं हम कोशिश करते है जबकि हमें केमिकल खाद नहीं मिल रहा है। चर्खे को क्रूड टेक्नोलाजी कहा जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज लगायी जाती है, बाहर से रुपया लेकर। उनको पूरा मैटीरियल नहीं मिल रहा है और अगर सामान बन भी जाय तो फिनिश्ड गुड्स के लिये मार्केट नहीं है क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है। छोटी इन्डस्ट्रीज आप लगायेंगे नहीं। अनएम्प्लायमेंट इतना बढ़ गया है कि आपके पढ़े-लिखे लोग और नौजवान आपकी डेमोक्रेसी के लिये खतरा पैदा हो गये हैं।

माननीय गुप्ता जी ने फरमाया, बड़े जोरों से और उधर से तालियां भी पीटी गयीं कि अगर बी० के० डी० के लोगों द्वारा वोटर्स को हैरेस किया जाता है और इस तरह की शिकायतें आयेंगी तो हम कार्यवाही करेंगे। बेशक आपने जो कहा, हम उस पर दस्तखत करने को तैयार हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो गरीब आदमियों को वोट नहीं डालने दिया जाता रहा है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है। मेरी इस बात के लिये प्रार्थना है वोटिंग आफ परसेन्टेज, जो कांग्रेस वालों की कान्स्टीटुयेन्सी और बी० के० डी० की कान्स्टीटुएन्सी में हुआ उसको कम्पेयर कर लीजिये। उससे जाहिर हो जायगा कि मताधिकारों से जो वंचित रखा गया वह बी० के० डी० वालों की कांस्टीटुयेन्सी में हुआ या दूसरोंकी कांस्टीटुयेन्सी में हुआ। मैंने कहा था कि सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करा ली जाय। हमारी पार्लियामेंट के २ मेम्बर्स हैं, उनके लिये मैंने कहा था कि वे देखें कि उनकी कांस्टीटुएन्सी में जो वोटिंग हुआ था वह कितना हुआ। उससे और सी० बी० आई० की इन्क्वायरी से स्पष्ट हो जायेगा कि कहां पर वोटर्स को मताधिकार से वंचित रखा गया। जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं वे यू० पी० की वोटिंग आफ परसेन्टेज को देखें, वे पायेंगे कि प्रदेश में सबसे अधिक वोटिंग का परसेन्टेज मेरठ में रहा और मेरठ की १४ कान्स्टीटुयेन्सी में सबसे ज्यादा छपरौली की कान्स्टीटुएन्सी में रहा। हमेशा से हर इलेक्शन में मेरी कांस्टीटुयेन्सी में हायस्ट परसेन्टेजर ही। मेरी कान्स्टीटुयेन्सी में गरीब लोगों का १५ प्रतिशत और दूसरी जगह २० प्रतिशत रहा। हो सकता है कि गल्ती हुयी हो। अगर गल्ती हुई है तो मैं उनके साथ

[श्री चरण सिंह---]

नहीं। सवाल यह है कि दूसरी कान्स्टीटुएन्सीज में फैजाबाद की २ कांस्टीटुयेन्सीज में हुआ या नहीं। मैं माननीय कमलापति जी पर चार्ज लगाता हूं कि उनके यहां जब उनका वोटिंग हुआ तो कांग्रेस के कैन्डीडेट को जिताने के लिये बी० के० डी० के वोटर्स को वोट डालने से महरूम किया गया। फर्रुखाबाद की एक हमारी बहिन विद्यावती हैं। क्या यह वाकया नहीं है कि आगरे का रहने वाला मानसिंह डाकू है, उनके साहबजादे तहसीलदार को जिसको ट्रांसपोर्टेशन आफ लाइफ हुआ था और वह सेन्ट्रल जेल में था, पैरोल पर छुड़वाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, शिकायत यह थी कि ये विद्यावती जी की मदद कर रहे थे। मैनपुरी के एस० पी० ने फर्रुखाबाद के एस० पी० को तार भेजा। बी० के० डी० का एक आदमी मारा गया गोली से और १५, २० जख्मी हुए। कहीं अखबार में जिक्र तक नहीं। मुजफ्फरनगर का जिक्र जरूर हुआ।

रही ट्रांसफर की बात। ट्रांसफर मैंने किये। ट्रांसफर के अलावा अगर गलती मैंने पाई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की। मेरा कहना यह नहीं था कि आपने ट्रांसफर क्यों किये? मेरा कहना यह था कि आपने चार्ज लिया पीछे और ट्रांसफर किये पहले। फिर किस ढंग से किये? ४ आफिसर्स जाते हैं मौके पर। उसके बाद जिलाधीश एक स्टेटमेंट देता है। उसमें एक आफिसर जिस पर आपका बहुत प्यार है उसे आप छोड़ देते हैं और तीन का ट्रांसफर हो जाता है। फिर मैंने ट्रांसफर किये मई और जून में ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। मैंने यह इम्प्रेशन नहीं दिया कि मैं खासतौर से नाराज हूं .....

श्री अध्यक्ष—

भाषण बहुत वैयक्तिक हो रहा है।

श्री चरण सिंह—

मैं खत्म कर रहा हूं। महीपाल साहब के यहां एक वोटर हैं मोहनलाल जाटव उन्होंने बी० के० डी० को वोट दिया। उनसे कहा गया कि उनको मार डाला जायगा। हमारे यहां कांस्टीट्यूएंसी में क्या हो रहा है? इलेक्शन कमिश्नर आया। साढे ३ घंटे रहा और हर शिकायत गलत पाई। झूठी रिपोर्ट लिखाई गई। नान कागनिजेबिल आफेन्स की रिपोर्ट कागनिजेबिल में लिखाई जा रही है और पुलिस कागनेजेन्स ले रही है, चालान हो रहे हैं, बेल नहीं ली जा रही है। ३००—४०० रिस्पेक्टेबिल आदमी थे, उनके चालान हुये, वह भी इलेक्शन के बाद। अब इलेक्शन के बाद जब आपका राज्य हो गया तब भी मेरे वोटर तंग कर रहे हैं? आप उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। एक बिरादरी का नाम लेकर आपके जरिये जहर फैलाया जा रहा है जब कि ३५ जातियां बी० के० डी० में इकट्ठा हैं। मैं गुप्ता जी से बअदब अर्ज करूंगा कि अगर किसी बिरादरी के खिलाफ बिटरनेस फैलाइयेगा तो समाज का बहुत नुकसान हो जायगा। आप सबके नुमाइन्दे हैं और यह न समझें कि आप किसी वर्ग विशेष या किसी पार्टी विशेष के ही नुमाइन्दे हैं। इतना आपको संयम रखना चाहिये वरना पार्टी और समाज दोनों को नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष—

विद्यावती जी, आपके ऊपर वैयक्तिक चार्ज हैं, आप सीमित सफाई दे सकती हैं।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

माननीय चौधरी साहब ने यह कहा कि मुहम्मदाबाद में मानसिंह का गिरोह आया। चौधरी साहब को यह मालूम होना चाहिये कि मानसिंह तो १२ साल हुये मर गया।

श्री चरण सिंह—

मैंने गिरोह की बात नहीं कही।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जहां तक तहसीलदार की बात है तहसीलदार जेल में है, कभी वहां से निकला नहीं। मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं आया। एक भी बदमाश, लोफर किसी किस्म को कोई बुराई करने नहीं आया। एक आदमी जो वहां मर गया है, वह दरअसल में मेरी ही तरफ का आदमी था और उसने मुझे वोट किया होगा। लेकिन चूंकि वह जाति का अहीर था इसलिये उसको दूसरी पार्टी में लगाया जा रहा है। मैं उनको चैलेंज देती हूं, उनको चुनौती देती हूं कि आप इस बात को साबित कर दें कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी गलत कदम उठाया गया हो। आपके पास चाहे जितने झूठे वायरलेस पहुंचे हों, मैं ईमानदारी के साथ कहती हूं और चौधरी साहब भी और सदन भी यह अनुभव करेगा कि मैं किसी गलत आदमी की मदद नहीं करती हूं। मैंने अपने साथियों से भी कह दिया था जब मुझे ४००–५०० आदमियों ने घेरा था मैंने किस प्रकार से इस संघर्ष को बचाया। दो बार मेरी कार को पलटने की कोशिश की गई। एक बार मेरी कार आगे थी, पीछे ठेला था और राजेन्द्र सिंह जी का भी लड़का था। मेरी गाड़ी को रांग साइड ले जाने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से मैं बच सकी। इस वक्त बात को सब जानते हैं। हम ईमानदारी के साथ जनता का काम करें और भलाई बुराई का ध्यान रख कर करें।

श्री अध्यक्ष—

आपने सफाई दे दी?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसका असर हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी पड़ता है। एक बात कहती हूं कि यह नहीं हो सकता है कि बुराई का असर आपके ऊपर न पड़े और हमारे ऊपर पड़े। अत्याचार और अनाचार का विरोध करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप सफाई दे सकती हैं, उपदेश मत दीजिये।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने मेरा नाम लिया इसलिये दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि जो खबर दी गई है, मैं समझता हूं कि बड़ी निराधार सूचना है, गलत है। छपरौली कांस्टीट्यूएंसी की वोटिंग का वे जिक्र कर रहे थे। हमारी कांस्टीट्यूएंसी में ४९ प्रतिशत वोट मुझे मिले हैं और ५१ प्रतिशत खिलाफ पड़े हैं। बी० के० डी० के उम्मेदवार को केवल १४ हजार वोट मिले, एस० एस० पी० के उम्मीदवार को १७ हजार वोट मिले और जनसंघ के उम्मीदवार को केवल ३ हजार वोट्स मिले। मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत वोट मिले हैं। अगर वोट देने से रोका गया होता और अधिकारियों की सहायता ली गई होती जबकि ३५ साल से इस कांस्टीट्यूएंसी में चला आ रहा हूं तो कोई आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों से वोट डलवाने की नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सूचना गलत दी गई है। न कोई रुकावट डाली गई और न कोई बात हुई।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आपने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने वैयक्तिक एक्सप्लेनेशन दे दिया।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमने भी संशोधन दिया था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आप मौका दे रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये आप इस तरह से बोल नहीं सकते हैं।

श्री शिवदास—

अध्यक्ष महोदय, म आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में अपने संशोधन द्वारा उन मुसीबत में पड़े हुये लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

श्री शिवदास—

कपड़ा नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता, उनकी पढ़ाई का इन्तजाम नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठें।

श्री शिवदास—

राज्यपाल के भाषण में पूंजीवादी व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठें।

(श्री शिवदास सदन में शोर के मध्य उच्च स्वर से कुछ बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

अब आपको सदन छोड़ना पड़ेगा।

(मार्शल के जाने पर श्री शिवदास ने बोलना बन्द कर दिया।)

श्री अध्यक्ष—

बैठ जायं आप कृपा करके।

(श्री शिवदास बैठ गये।)

एक सदस्य—

यह डाकुओं की और उनकी बातें तो हम सुनते आ रहे थे ....

श्री राजित राम (जिला इलाहाबाद)—

चौधरी साहब ने जो फरमाया है बिलकुल सही फरमाया है। अभी हमारे उप मुख्य मंत्री ने जो सफाई पेश की है, वह गलत है। उनके क्षेत्र में वहां के पुलिस अधिकारियों ने, एस० एस० पी० व दरोगा ने, जो ज्यादती की है वह सर्वमान्य है और उसके बल पर यह जीत कर आये हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो अष्टाचार हुआ है मैं चाहूंगा कि उसकी निष्पक्ष जांच करायी जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और खास तौर से चौधरी साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राज्यपाल जी के भाषण पर जो हमारा प्रस्ताव था उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। विशेष रूप से मैं चौधरी साहब का आभारी हूं, कुछ बातों को छोड़कर जो कभी कभी वह तफसील में जाते हैं ऐसे मौकों पर तफसील में जा कर कुछ बदमजगी पैदा कर देते हैं। श्रीमन्, उन बातों का उत्तर हो चुका है। मैं समझता हूं कि उस तफसील में न जाऊं तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत अच्छा रहेगा।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं दोनों को नेता कहता हूं, उनको भी और माननीय नेता सदन को भी, इन दोनों नेताओं का रास्ता प्रगति के लिये, श्रीमन्, बहुत उचित नहीं है। मेरा रास्ता उचित है। वह कुछ ज्यादा उत्पन्न करने वाले हैं, चौधरी साहब और गुप्ता जी का रास्ता ऐसा है कि सृष्टि खत्म हो जाय। लेकिन मैं उन दोनों में से नहीं हूं। मैं ऐसा हूं जैसी फैमली प्लानिंग की चीज बतायी जाती है, उनमें से मैं हूं। (व्यवधान) तो मैं तीन वालों से हूं। इसलिये मुझे दाद दीजिये। वह रास्ता अच्छा मालूम होता है। उस प्रकार का हो जाय तो प्रगति हो सकती है। चौधरी साहब का भाषण सुना। पूरा तो सुन नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि गुप्ता जी के भाषण के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार की बात को अब की मर्तबा कम कर बताया। तीन-चार दिनों के भाषणों का उन पर यह असर पड़ा कि भ्रष्टाचार की बात को कम करना चाहिये। मैंने कम सुना। मैंने पहले कह दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब अपने प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री गेंदासिंह—

लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं। उनकी बड़ी प्यारी स्कीम चकबन्दी की है।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने भ्रष्टाचार के लिये कहा या नहीं कहा इसको यहीं छोड़ दीजिये।

*श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं छोड़ता हूं चकबन्दी वाली बात। याद दिलाने के लिये मैंने कहा कि वह बड़ी प्यारी स्कीम है, काम करने वाली स्कीम है और प्रगति लाने वाली स्कीम है। उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार जरूर हुआ, तो क्या किया जाय? हमने एक बार चौधरी साहब से कहा कि चकबन्दी को बन्द कीजिये तो चौधरी साहब ने कहा कि चाहे दुनिया मिट जाय तो मिट जाय, हम चकबन्दी नहीं बन्द करेंगे। श्रीमन्, यदि सरकार कोई काम करना चाहती है तो उसके लिये स्कीम जरूर लायी जाय लेकिन इस तरह का कानून बनाने की बात करने से क्या मतलब कि हर सदस्य की जांच दरोगा करेगा? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वभौम सत्ता असेम्बली में है या दरोगा। यह बिलकुल उल्टा रहा। मैं चाहता हूं कि वे फिर विचार करें और विचार करके कोई ऐसा उपाय निकालें जिस से सचमुच भ्रष्टाचार जाय। श्रीमन्, पोलिटिकल भ्रष्टाचार जो है उसको हम और आप दूर करेंगे या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और दरोगा करेगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात मैं अन्त में कह कर समाप्त करूंगा कि खेती से आदमियों को हटाने वाली बात बराबर कही जाती है। मैं कहता हूं कि जितने अकलमंद आदमी हैं, जितने अच्छे आदमी हैं सब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये एक बार खेतों पर चल निकलें। अगर वे खेतों पर एक बार चले आवें तो फिर उद्योग पर भी इसका असर हो जाय। मैं कहता हूं कि जब सरप्लस पैदा होगा तभी लोग उद्योगों में जावेंगे और अगर खेती से लोग निकाले जावेंगे तो उनमें देवरिया वाले ही सबसे पहले होंगे। चौधरी साहब की किताब के अनुसार ही देवरिया के ९३ प्रतिशत आदमी खेती के ऊपर हैं जब कि उनके यहां के १०० में ४६ आदमी ही निकलेंगे। अगर ९३ प्रतिशत लोगों को खेती पर से निकलना पड़ा तब तो हम गये। मैं तो चौधरी साहब से यह बात कहता हूं कि वे यहां बैठकर एक से मीनार करावें और हमें बतलावें कि हम कहां जायं चोरी करने जायं, बटमारी करने जायं, रिक्शा चलाने जायं या कौन सा काम करें? मैं उनकी सलाह बराबर सुनता हूं और उनकी बात दोनों तरफ बैठने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और कभी कभी उनकी बात पर चलने की भी कोशिश करता हूं लेकिन हरदम वही बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। मैं सोचता हूं कि चौधरी साहब इस झगड़े में न पड़कर कृपया अपने संशोधन को वापस ले लें और इस प्रस्ताव को निर्विरोध पास होने दें जिसके लिये वह सदन आपका आभारी होगा और यह सूबा भी आभारी होगा।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि या तो मैं हर एक संशोधन को लूं और पढ़ूं जिन्हे पढ़ने में दो चार घंटे लग जायेंगे या मैं प्रस्ताव को पहले ले लूं। मैं प्रस्ताव को पहले लेना उचित समझता हूं। मैं प्रस्ताव के ऊपर राय ले लूंगा। अगर यह पारित हो जाता है तो सब संशोधन गिर जाते हैं और अगर यह पारित नहीं होता है तो यह समझ लिया जाय कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव है वह जैसा का तैसा स्वीकृत नहीं हुआ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, नियम यह है कि पहले संशोधन को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है, आप नियम २५० देखें।

प्रश्न यह है कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद देता है", यह प्रस्ताव पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ५ प्रस्ताव कार्य-स्थगन के हैं, वे मैंने स्वीकार नहीं किये। और इसी तरीके से ध्यानाकर्षण के लिये भी कुछ प्रस्ताव आए हैं, उनको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। अब यह आज का जो प्रस्ताव है.....

*श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

आपके पास मैंने सुरक्षा के विषय पर जो समाचार निकले हैं, उनके बारे में एक प्रस्ताव भेजा था कि नक्सलवादियों की गतिविधियों का विकास प्रदेश के पहाड़ी भागों में, तराई प्रदेशों में हो रहा है। उस पर मैंने आज प्रस्ताव भेजा था आपके पास। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की कुछ जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार की भी होती है और जब अपने प्रदेश में अल्मोड़ा और गढ़वाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

आदि जिलों में खुलकर विद्रोह कराने का प्रयास हो रहा है और उसमें विदेशों से भी सहायता हो रही है। मैं प्रस्ताव के जरिये यह जानना चाहता हूं कि इसको सरकार कैसे रोक रही है और सरकार इस विषय में कहां तक सतर्क है ? आपके डी० आई० जी० ने भी अपने स्टेटमेंट में इस चीज को माना है कि स्मगलिंग का बहुत सा काम यहां पर हो रहा है और उससे देश की एकोनामी को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। इसको रोकने की जिम्मेदारी इस सरकार की भी है। इस पर श्रीमन्, ने क्या निर्णय लिय ?

श्री अध्यक्ष—

यह विषय केन्द्रीय सरकार के विषय से संबंधित है। जो आपने इसमें दो-एक चीजें लिखी हैं उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से ज्यादा है। लेकिन मैंने आप से कह दिया था कि इसका कुछ संबंध अपनी प्रदेशीय सरकार से भी है। तो मुख्य मंत्री जी अगर इसके ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन पहाड़ी इलाके में हो रहा है कुछ संक्षेप में वक्तव्य देना चाहें, तो दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तो क्या मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आपका क्या प्रस्ताव है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मेरे पास इस बात के इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि नक्सलपंथी ऐक्टीविटीज का विकास आपके सूबे में हो रहा है। गढ़वाल, कुमायूं, आदि ये जो हिमालय की तर ई के सारे हिस्से हैं, उनमें उनकी एक्टीविटीज का विकास हो रहा है। आपके डी० आई० जी० ने भी यह स्टेटमेंट दिया है। माओ-त्से-तुंग का साहित्य, स्लोगन आदि बराबर आपके इन जिलों में बड़े जोरों से आ रहे हैं। अध्यापकों में, जो २० हजार रिटायर्ड सैनिक हैं उनके द्वारा, स्मगलिंग के द्वारा आपकी अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ने की बराबर कोशिश हो रही है। आपकी जहां तक जिम्मेदारी है इन चीजों को रोकने के लिये, इसके प्रति सतर्कता और जागरूकता बरतने के लिये, उस पर मैंने प्रस्ताव दिया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उस पर यदि आप एक स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं उस से कुछ थोड़ा-सा निराकरण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप (मुख्य मंत्री) आज चाहें तो दे दें और चाहे कल दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो विषय अभी राजा साहब ने उठाया है उसके विषय में जो सब समाचार हैं, उनको संकलन करना पड़ेगा। इसलिये वह तो मेरे लिये दिक्कत है कि उसको कल सूचना के रूप में आपके सामने रख सकूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सदन के अन्दर या बाहर मैं रखना भी नहीं चाहूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मैं मुख्य मंत्री जी से जो गोपनीय विषय है उस पर कुछ नहीं कहलवाना चाहता, शेष बता दें।

(मुख्य मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री जी को यह बात मालूम है कि एक मौनी बाबा १५ साल से लगातार चीन की वहां पर जासूसी करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण बहुत खतरा है.....

श्री अध्यक्ष—

हम समझते हैं कि आप उनसे मिलकर बातचीत कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर एक बयान दे दें तो कोई बड़ी बात तो नहीं हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वह कहते हैं कि आज वे सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर में ५ आदमियों की भूख से मौत हो गयी और उसके लिये मैंने एक काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या वह स्वीकार हो गया या अस्वीकृत हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह समय के अन्दर नहीं आया है, इसलिये अस्वीकृत हो गया है।

श्री विजयबहादुर सिंह—

यह बड़े महत्व का विषय है। जहां पर राजस्व मंत्री कहते हैं कि एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने पायेगा वहां यह भूख से मौतें उनके लिये चुनौती हैं। यह अगर स्वीकार नहीं किया गया है तो उस जनपद की ३ लाख जनता के साथ अन्याय होगा। इस पर विचार होना चाहिये।

जहां पर जनता भुखमरी से मर रही है और इस हाउस में अगर हम उसकी बात भी नहीं पहुंचा सकते तो हमारे यहां बैठने से लाभ क्या है। इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री विजय बहादुर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अलीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अलीगढ़ के अन्दर गोलीकाण्ड हुआ है। वहां गांव के गांव बिलकुल खाली पड़े हुये ह। मैंने उसके लिये एक नियम ५१ के अन्दर प्रस्ताव भेजा था कि माननीय पुलिस मंत्री उसके ऊपर एक वक्तव्य दे दें। यह कोई तरीका नहीं है कि पुलिस के लोग वहां गांव के गांव घेरे पड़े रहें और यहां पर सदन का ध्यान भी आकर्षित न होने पाये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए। वह स्वीकृत नहीं हुआ है। अब दूसरा काम होगा। अब आप बैठिए।

प्रदेश में चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को गन्ने के उचित दाम न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य ७.३७ रुपये प्रति क्विंटल, ९.५० प्रतिशत चीनी परते पर निर्धारित किया गया परन्तु प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ने का मूल्य माननीय मंत्री, खाद्य एवं रसद भारत सरकार व चीनी मिल एसोसिएशन के बीच समझौते के अनुसार १०.०० रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है सिवाय उन जगहों के जहां चीनी परता किसी विशेष कारण के कम है ।

जहां तक ऋशरों के मालिकों द्वारा गन्ना कम मूल्य पर क्रय करने का संबंध है ऋशरों द्वारा दिया जाने वाला गन्ना मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है । यह तो गन्ना उत्पादक तथा ऋशर के मालिक के बीच समझौता के अनुसार होता है ।

रोजा चीनी मिल क्षेत्र म भी गन्ने की पूर्ति पर दबाव है । इस क्षेत्र का अधिक गन्ना पास की, बरेली, महोली व हरदोई मिलों को व्यावर्तित किया जा चुका है जिससे कि किसानों को अपना गन्ना मिल को बेचने की सुविधा प्राप्त हो सके ।

इस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक गन्ना पिर रहा है । बहुत सी मिलें अपनी दैनिक पिराई क्षमता से भी अधिक गन्ना पेर रही हैं । इस समय तक लगभग ७७० लाख क्विन्टल गन्ना पेरा जा चुका है और लगभग ५३० लाख क्विन्टल शेष रहता है । यह अनुमान लगाया जाता है कि अधिकतर मिलें अप्रैल के अन्त तक बन्द हो जावेंगी, लगभग २५ मिलें मई के अन्त तक बन्द हो जावेंगी और ३ या ४ मिलें जून में भी चलेंगी । जून तक चलने वाली मिलों में गोला चीनी मिल भी सम्मिलित है ।

गन्ने की अधिकता की समस्या सरकार के सामने कुछ समय से विचाराधीन थी । गन्ने का यथासंभव शीघ्र प्रयोग करवाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं--

(१) प्रदेश के बाहर खण्डसारी निर्यात के लिये परमिट खुली तरह से दिये जायेंगें भारत सरकार से यह प्रतिबन्ध हटाने के लिये अनुरोध किया जायगा ।

(२) यथासम्भव जहां-जहां भी मिलों के पास गन्ने की अधिकता है, वहां से गन्ना निकाल कर दूसरी निकटवर्ती मिलों में व्यावर्तित किया जा चुका है, । इस समय तक लगभग ३० लाख क्विन्टल गन्ना इस प्रकार व्यावर्तित कर दिया गया है तथा जहां भी गन्ना अधिक प्रतीत होता है यथा संभव व्यावर्तित किया जावेगा । गोला चीनी मिल के विषय में इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि समस्त गन्ना शीघ्राति-शीघ्र समाप्त कर दिया जाय । इसी आशय से गोला के लिए आरक्षित किये गये शेरामऊ, मैलानी, कुक्षरा तथा घौरहा केन्द्रों का गन्ना व्यावर्तित किया जा चुका है । स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा रहा है और यदि इस मिल से और भी गन्ना व्यावर्तित करने की आवश्यकता हुई तो इस प्रकार की कार्रवाई यथासंभव की जावेगी ।

(३) शासन ने खण्डसारी लाइससों के विषय में यह निश्चय किया है कि सुरक्षित अथवा असुरक्षित क्षेत्रों में शक्तिचालित कोल्हू द्वारा पहले से गुड़ बनाने वाली हर इकाई के स्वामी को, यदि वे निर्धारित रूप में चीनी आयुक्त को प्रार्थना पत्र दें, उत्तर प्रदेश खण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६७ के अन्तर्गत खाण्डसारी शकर बनाने का लाइसेंस दे दिया जाय ।

(४) खेतों में खड़े गन्ने को शीघ्र समाप्त करने के लिये यह भी निर्णय किया गया है कि जिन किसानों के पास गुड़ के बनाने के खड़े कोल्हू हैं उन्हें इस वर्ष ट्रैक्टर शक्ति द्वारा गुड़ बनाने के लिये चलाने की अनुमति दे दी जाय ।

श्री जानकी चीनी मिल डोईवाला ने ६ मार्च, १९६९ को गन्ने के मूल्य घटाकर ९ रु० प्रति क्विन्टल कर दिया था । इसके फलस्वरूप वहां ६ मार्च, ६९ को हड़ताल तथा १५ मार्च, ६९ से भूख हड़ताल आरंभ हो गई थी । ३१ मार्च, ६९ को गन्ना उत्पादकों तथा मिल मालिकों के बीच समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप मिल ने गन्ने का दाम ९.७५ रु० कर दिया है और मिल २२ मार्च, ६९ से दोबारा चालू हो गई है ।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि प्रान्त में १० रुपये पर काश्तकारों का गन्ना लिया जा रहा है । किसी फैक्टरी में इस भाव पर गन्ना नहीं लिया जा रहा है । यह सूचना जो उन्होंने सदन को दी है, गलत है ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि भारत सरकार के माध्यम से गन्ने का मल्य १० रु० क्विन्टल मिल मालिक और गन्ना उत्पादकों के बीच तय कराया था । जब एक चीज तय हो गई तो जब सरकार यह देख रही है कि मिल मालिक उस भाव से मुकर रहा है । वह यह समझता है कि किसान उनको सूखने के डर से मजबूर होकर उसी भाव पर गन्ना देगा जिस पर वह चाहते हैं । तो इस वादा खिलाफी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में केंद्रीय खाद्य मंत्री का ध्यान कई मर्तबा आकर्षित किया है और आज भी इस विषय पर सुबह मैंने उनसे फोन पर चर्चा किया और उनसे यह कहा कि जो घोषणा आपने पार्लियामेंट में की थी कई जगह उस घोषणा के विपरीत कार्य होना शुरू हो गया है । उन्होंने कहा कि हम अपने कानूनी अधिकारियों के द्वारा जांच करा रहे हैं कि हम किस तरह से उस चीज को कार्यान्वित करायें और यह भी कहा कि हम उस घोषणा से पूरी तरह आज भी सहमत हैं जो उन्होंने इस विषय में पार्लियामेंट में स्वीकृत की थी । वह यह थी कि जिन फैक्टरियों को १० रु० या ९ १/२ रु० देने में कुछ नुकसान बैठेगा तो उसको देखकर केंद्रीय सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि उनको घाटा न उठाना पड़े । यह बात आज भी उन्होंने मुझसे कही थी और उस पर उन्होंने आज वादा किया है कि वह अपने कानूनी सलाहकारों से बातचीत करके मुझे सूचना देंगे कि क्या स्टेप फैक्टरियों के खिलाफ लिये जायं । जहां तक हमारा संबन्ध है, १०–१२ रोज हुए हमने पश्चिमी जिलों की फैक्टरियों के मिल मालिकों को बुलाया था और उनसे वादा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—]

लिया था कि वे उस घोषणा के अन्तर्गत कार्य करेंगे जो कि केंद्रीय खाद्य मंत्री ने पार्लियामेंट के समक्ष की थी। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें भी अधिकार रहेगा। अभी तो हम उस विषय में कुछ करना नहीं चाहते इसलिये कि हमें गन्ना पेरवाना है, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे कि किस फैक्टरी ने हमारी बात को स्वीकार किया और किसने नहीं किया उस बात को जिसकी घोषणा पार्लियामेंट में की गयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से प्रदेश के सभी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय, तभी मैं अपना सवाल रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समय बढ़ा सकता हूं, आप पूछिए । हम सवा पांच बजे तक बैठेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आज केंद्रीय सरकार के जो खाद्य विभाग के सचिव हैं, श्री डायस वह आये हुए हैं । वह गन्ने की कीमतों के बारे में बात करने के सिलसिले में तो नहीं आये थे परन्तु मैंने उन्हें समय दिया था साढ़े तीन बजे का, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे ५ बजे के बाद में मिलूंगा। वह ५-सवा पांच बजे तक लौट जाना चाहते थे । पर मैंने कहा कि सवा ७ बजे जाइयेगा और मुझसे मिलकर बात करके जाइयेगा। तो अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा और हमारे मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप जा सकते।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि सर्वविदित है प्रारम्भ में शुगर की रिकवरी कम होती है, तब गन्ने की कीमत १० रुपये प्रति क्विंटल रखी गयी सेंट्रल गवर्नमेंट और मिल मालिकों के बीच में बातचीत के बाद और जब आज प्रायः सभी स्थानों पर गन्ने की रिकवरी बढ़ी है तो किन कारणों से गन्ने की कीमत रिकवरी बढ़ने के बाद भी घटी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह माननीय सदस्य की गलतफहमी है। केंद्रीय सरकार ने गन्ने की न्यूनतम कीमत ७ रुपये ३७ पैं० प्रति क्विंटल ९.५ परसेंट पर तय की थी और जहां उससे भी कम है—गन्ना मिल मालिक कहते हैं कि बीमारी या दूसरे कारणों से वह कम हो गयी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मिनिमम प्राइस है...

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लेकिन जो उन्होंने प्राइस तय की थी वह ९.५ पर की थी, यह तो क्लियर नोटिफिकेशन है । लेकिन फिर भी आज हमने यह बात उनसे कही कि आप १० रुपया दिलायें। तो वह बात तो चल रही है और हम इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि १० रुपया अपने आप दिलायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने ७० फीसदी चीनी की कीमत कंट्रोल की है और उसके लिये ७ रुपया ३७ पैं० प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मुकर्रर किया था और उससे

ऊपर जो भाव उन्होंने मिल मालिकों और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट र के अधिकारियों ने तय किया था वह १० रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

केंद्रीय सरकार और मिलमालिकों ने मिलकर १० रुपये तय किया था लेकिन वह परसेंटेज पर हुआ था। बागपत मिल में इतना लो परसेंटेज है कि वहां ९ रुपया देने पर भी घाटा हो रहा है ।

श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून)—

डोईवाला शुगर मिल में जहां की हड़ताल अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि समाप्त करायी है वहां पर तो रिकवरी ९.५ है, तो वहां पर १० रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह हड़ताल तो हमारे प्रयास से ही टूटी है। मेरठ वगैरह में १० रुपये नहीं दे रहे हैं, इसलिये यह भी नहीं देना चाहते हैं। रिकवरी वाली बात जो आपने बतायी वह गलत है, इतनी नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

गोला के आस पास ५ लाख टन गन्ना एकत्र हो गया है जिसको कि मिलमालिक ६ रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं। क्या उस गन्ने को वहां से स्थान्तरित करवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मिल मालिक तो १० रुपये दे रहे हैं, जो क्रेशर वालें हैं वे कम दाम देते हैं, उनका आपस में समझौता होता है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम उनको मजबूर कर सकें।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)—

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का बहुत बड़ा उद्योग है। क्या वहां क्रशर की लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नयी पालिसी जो हमने बनायी है वह अभी बतायी। एक तो यह कि हम फ्री एरिया वालों को तो उसके लाइसेंस देते ही हैं, लेकिन जहां मिल का एरिया है, वहां अगर खाण्डसारी के लिये लाइसेंस मांगेंगे तो उनको भी देंगे। हमने यह भी किया कि जो खड़े कोल्हू हैं, वे अगर ट्रैक्टर से उसको चलायेंगे तो हम उसकी इजाजत दे देंगे। खासतौर से इस साल के लिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

प्रदेश में जो १८ क्रेशर कन्डीशनल चल रहे हैं कि वे अपना ही गन्ना पेरेंगे, क्या उनको जनरेलाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो कन्डीशनल हैं, उनको ऐसे ही चलने दें ।

श्री महीलाल—

क्या इस पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने तो उसके लिये एक बड़ी भारी कमेटी बनायी थी, अब हम क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या उद्योग मंत्री महोदय मेरी इस जानकारी को सूचना मानते हुए कि प्रदेश में काफी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनमें अयोध्या मिल भी है, जिनमें रिकवरी कम होने की वजह से, बल्कि मध्यावधि चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस सरकार बन जाने के बाद ही गन्ने के दाम गिरा दिये हैं, इस बात की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट इस सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिपोर्ट रखने की बात तो नहीं है। गन्ना काश्तकारों के जितने पक्ष में आप हैं उतना मैं भी हूं। इस बात के बावजूद हम निरन्तर भारत सरकार से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पार्श्यल डिकन्ट्रोल होने के बाद भी हम दस रुपया उन्हें दिलायें। भारत सरकार को जो साधन मजबूर करने के हो सकते हैं वे हम कर रहे है।

एक सदस्य—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जरवल से गन्ना खरीदने की व्यवस्था और फैक्टरियों के लिये हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जरवल में तो गन्ना है ही नहीं।

श्री महीलाल—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन शुगर फैक्टरियों के रिजर्व एरिया में गन्ना बहुत ज्यादा है उनके एरिया का गन्ना दूसरी फैक्टरीज में देने की क्या शीघ्र व्यवस्था की जायेगी जैसा कि अमरोहा शुगर फैक्ट्री है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम रोज देख रहे हैं। जहां-जहां संभव हो हम दूसरी फैक्टरीज को गन्ना दे दें। इस संबंध में आपसे भी सलाह ले लेंगे।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अमरोहा शुगर फैक्टरीज में ट्रक्स पुलिस ने पकड़े हैं। तीन रोज तक काश्तकारों का गन्ना सूखा है। यह मैं काश्तकारों को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसका भी इन्तजाम करेंगे।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि गोला मिल में समझौता के हिसाब से खरीदार केन्द्रों पर ३२ पैसे ही काटने चाहियें गेट पर परन्तु वह केवल ९.५० रुपये ही दिये जा रहे हैं। क्या बाकी पैसों का भुगतान कम्पनी जायगा गोला मिल से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गेट पर ९ ही दे रहे हैं उसके लिये हमने कह दिया है।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को जानकारी मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि अमरोहा फैक्टरी को रिजर्व एरिया का गन्ना काश्तकार दूसरी फैक्टरी में ले जा रहे थे। उस को पकड़ लिया गया और दस ट्रक्स फैक्टरीज में खड़े हैं। किसानों का गन्ना सूख रहा है। उन को दूसरी फैक्टरीज में ले जाने की इजाजत नहीं दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि नियम ऐसे थे कि एक फैक्टरी का गन्ना जब तक दूसरी फैक्टरी को एलाट नहीं कर दिया जाता तब तक दूसरी फैक्टरी में नहीं ले जा सकते। अगर कोई ज्यादती है तो उसकी जांच कर लेंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यदि आप रिजर्व एरिया का गन्ना ले नहीं पाते तो रिजर्व एरिया को कम करने की कोशिश क्यों सरकार नहीं करती ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में बात यह है कि इस साल गन्ना तो बहुत नहीं था। मिलों की हड़ताल रही। मिलें भी ज्यादा गन्ना अब पेर रही हैं। रिजर्व एरिया भी ज्यादा था। मिलें भी दूसरी एरियाज का गन्ना मांग रही थीं। दो महीने तो हड़ताल रही। वह कहीं न कहीं तो निकलेगा। इस लिए कुछ पिछड़ गये थे। अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इधर उधर गन्ना भेज कर जल्दी से पिरवा दिया जाय।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री मेरी सूचना को सही मान कर कि अयोध्या शुगर मिल १० रुपया से कम कीमत किसानों को उन के गन्ने की दे रही है, क्या उन से शेष धन काश्तकारों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने आप को समझाया कि भारत सरकार के मन्त्री और मिल मालिकों के एसोसियेशन मे यह समझौता हुआ था। और इस बारे में हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि वह समझौता पूरा हो। आज ही हम ने उन को टेलीफोन किया था कि उस के मुताबिक काश्तकारों को दाम दिलाये जायं।

श्री शौनार्थसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मन्त्री जो यह बतायेंगे कि मैं सेंटर में खाद की एक मीटिंग में गया था, उन से हमने शिकायत की थी कि मिल वालों ने १० रुपये के बजाय ९ रुपया और ८ रुपया भाव कर दिया है तो उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की रिपोर्ट मांगी है, मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार ने क्या रिपोर्ट उनको भेजी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस की हमें तो कोई सूचना नहीं है। मुझे ऐसी रिपोर्ट की बात मालूम नहीं है। लेकिन हम आज भी यह कोशिश कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप ने जो वायदा किसानों से किया है उस को पूरा करना चाहिये उसमें एक वायदा उन्होंने यह भी किया था कि मिल मालिकों को इस में जो नुकसान होगा, वह पूरा करेंगे। लेकिन बागपत मिल तो हमारी है, उसका हमें मालूम है कि उस में नुकसान हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जानकी शुगर मिल डोईवाला में कितना रिजर्व एरिया है, उसकी रिकवरी क्या है और कितना प्रतिशत उसका गन्ना कीटाणुओं ने खा लिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कीटाणुओं ने सारा तो नष्ट किया नहीं है, हां रिकवरी ९.५ नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत आयी है कि जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उस के किसानों से मिल वाल गन्ना न लेकर दूसरे लोगों से ले रहे हैं । इसकी रोक थाम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सही है कि अरक्षित क्षेत्र के काश्तकारों से भी गन्ना खरीदा जा रहा है । लेकिन है तो वह भी गन्ना काश्तकारों का ही । लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम उन को तंग करेंग और उस पर रोक लगायेंगे तो ठीक न होगा । कानूनन तो नहीं लेना चाहिये यह बात सही है लेकिन उसमें दिक्कत हो जायगी हमें और आप दोनों को ।

श्री रामचन्द्र विकल(जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह घाटे की सूचना मिल मालिकों ने दी है या उसके विशेषज्ञों ने ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो केवल बागपत मिल की बात कही है । वह तो हमारी कोआपरेटिव की ही मिल है और हमें उसका मालूम है कि वहां नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया) ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२४ मार्च, १९६९ ।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० १ व २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर।)

(१) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मंहगाई भत्त में वृद्धि प्रदान कर दी जायगी जो राज्य कर्मचारियों को अगस्त १, १९६८ से दी गयी थी।

(२) इन शिक्षकों के वेतन-मान इस प्रकार पुनरीक्षित किये जायेंगे कि उनका निम्नतम वतन उनके तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के निम्नतम वेतन के मध्य के लगभग होगा तथा उच्चतम वेतन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उच्चतम वेतन के समान होगा।

(३) इन शिक्षकों को समय से वेतन दिलाने के लिए, यथाशीघ्र शासन प्रबन्ध करेगा।

सं० क/१७८२/पन्द्रह-३०४९/१९६८

प्रषक---

श्री राजेन्द्र वर्मा---
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

लखनऊः दिनांक मार्च १५, १९६९।]

शिक्षा (क) विभाग

विषयः---सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतन मानों में बढ़ोत्तरी की मांग पर यथेष्ठ रूप से विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने राजाज्ञा सं० ग०---२८०/पन्द्रह---१७२३---१९५९, दिनांक जुलाई, २७, १९५९ का अतिक्रमण करते हुये विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतन-मानों की स्वीकृति १ मार्च, १९६९ से प्रदान की है :

अध्यापकों की श्रेणी	पुनरीक्षित वेतन-मान
	रु०
(१) प्रधानाचार्य (इन्टर कालेज)	२७५---२५---४००---ई०बी०---२५---५२५ ई०बी०---२५---६५०---ई०बी०---३०---८००---ई०बी०---५०---९००।

(२) प्रधानाचार्य (हाई स्कूल)]	..	२४०—१५—३१५—ई० बी०—१५—३६० —२१—४००—ई० बी०—२०—५०० —ई० बी०—२०—६०० ।
(३) इन्टर कालेज के सहायक शिक्षक (विषय) (इन्टर कालेज के उप-प्रधानाचार्य भी यदि हो, तो इस में सम्मिलित हैं।)		२१५—१०—२६५—ई० बी०—१०—३१५ —ई० बी०—१०—३२५—१५—३८५ —ई० बी०—१५—४६०—ई० बी०— १५—५५० ।
(४) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (एल० टी०)		१३८—६—१६८—ई० बी०—९—२१३— —९—२४०—१०—२६०—ई० बी०— १०—३१०—ई० बी०—१०—३५० ।
(५) प्रशिक्षित पूर्व स्नातक शिक्षक (सी० टी०)	..	१००—६—१२५—ई० बी०—५—१४०— ७—१५४—ई० बी०—८—१९४—ई० बी०—८—२३४—ई० बी०—८—२५० ।
(६) पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक (जे० टी० सी०) ।	..	८०—३—९५—ई० बी०—५—१२०—ई० बी०—५—१४५—ई० बी०—५—१७० —ई० बी०—५—१८० ।

२—ये पुनरीक्षित वेतन-मान दिनांक १ मार्च, १९६९ से लागू होंगे। समस्त पूर्णकालिक अध्यापकों को इन आदेशों के जारी होने की तिथि से ९० दिन की अवधि के अन्दर अपना पुराना वेतन-मान ही बनाये रखने अथवा पुनरीक्षित वेतन मानों के चुनने का विकल्प प्राप्त होगा। यदि वे पुनरीक्षित वेतन-मानों को चुने, तो वे या तो पुनरीक्षित वेतन मान प्रारम्भ होने के दिनांक से अर्थात् १ मार्च, १९६९ से या उस के तुरन्त बाद वर्तमान वेतन में अगली वेतन वृद्धि प्रोदभूत होने के दिनांक से ऐसा कर सकते हैं। जो अध्यापक उक्त अवधि में कोई विकल्प नहीं चुनेंगे उनके बारे में यह माना जायगा कि उन्होंने दिनांक १ मार्च, १९६९ से पुनरीक्षित वेतन-मान स्वीकार कर लिया है। एक बार विकल्प चुन लिये जाने पर वह अन्तिम होगा और उस में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकेगा। इन पदों पर नयी नियुक्तियां नये वेतन-मानों में होंगी।

३—उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन मानों में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायगा :

(१) किसी अध्यापक को पुनरीक्षित वेतन-मान के प्रारम्भिक वेतन से कम नहीं मिलना चाहिये।

(२) यदि पुनरीक्षित वेतन-मान के पक्ष में विकल्प देने की तिथि को किसी अध्यापक का वर्तमान वेतन पुनरीक्षित वेतन-मान के किसी सोपान के बराबर है तो उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन मान के उसी सोपान पर निर्धारित किया जायगा।

(३) यदि पुनरीक्षित वेतन मान के पक्ष में विकल्प देने की तिथि को वेतन ऐसा है कि वह पुनरीक्षित वेतन मान में किसी सोपान के बराबर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में वेतन विकल्प देने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन-मान में अगले सोपान पर निर्धारित किया जायगा।

(४) अगर किसी अध्यापक को वर्तमान वेतन-मान का अधिकतम मिल रहा है तो पुनरीक्षित वेतन-मान में उनका वेतन अगले सोपान पर निर्धारित किया जायगा।

४—वेतन-मान निर्धारण सम्बन्धी मामले मंडलीय उप-शिक्षा निदेशकों एवं मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकाओं द्वारा तय किये जायेंगे। यदि किसी मामले में उच्च आदेश

की आवश्यकता हो तो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश प्राप्त किये जायें, जो अन्तिम होंगे ।

५---इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन-मानों को गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्यतः लागू करना हर प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने की एक शर्त होगी । अनुदान वितरण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुदान देने से पहले यह निश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित विद्यालय में अध्यापकों का वेतन स्तर ३ में दिये गये नियमों के अनुसार उचित रूप से निर्धारित किया गया है ।

६---चूंकि आदेश को तुरन्त जारी करना आवश्यक है अतः राज्य आकस्मिक निधि से ४,७०,००० अग्रिम ले लिया गया जो मार्च, के माह के व्यय पर अनुमानित है ।

७---यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनकी अशासकीय संख्या ई० १/१०२८/इस---दिनांक मार्च १५, १९६९ में प्राप्त हुई है, निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव ।

सं० क/१७८२ (१) पन्द्रह, उसी तिथि को :

९-१-एल० एफ०---४०

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव ।

सं० क/१७८२(२) पन्द्रह, उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

(१) समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक ।
(२) समस्त मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ।
(३) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक ।
(४) वित्त (ई०१) विभाग ।
(५) शिक्षा शाखा के समस्त विभाग ।
(६) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव ।

सं० क/१७८३/पन्द्रह-३०४३/१९६६

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
इलाहाबाद ।

लखनऊ, दिनांक: मार्च १६, १९६९

शिक्षा (क) विभाग

विषय:—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के शासकीय पत्र संख्या क/१७८३/पन्द्रह, ३०४३—१९६६, दिनांक नवम्बर १५, १९६७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के महंगाई भत्ते की दरों को दिनांक १ जनवरी, १९६९ से निम्न भांति पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :

वेतन	महंगाई भत्ते की दर
रुपये—	रुपये
१०९ रु० तक ..	५०
११० से १४९ रु० तक ..	६९
१५० से २०९ तक ..	८५
२१० से ३९९ रु० तक ..	१०२
४०० से ४४९ रु० तक ..	११०
४५० रु० से ४६८ रु० तक ..	वह धनराशि जिसे मिला कर कुल वेतन ५६० रु० हो जाय ।
४६९ रु० से ४९९ रु० तक ..	९१
५०० रु० से ५०९ रु० तक ..	वह धनराशि जिसे मिला कर कुल वेतन ५९० रु० हो जाय ।
५१० रु० से ६०० रु० तक ..	८०
६०१ ० से ६३६ रु० तक ..	वह धनराशि जिसे मिलाकर कुल वेतन ६८० रु० हो जाय ।
६३७ रु० से ९०० रु० तक ..	४३
९०१ ० तथा इस से अधिक ..	वह धनराशि जिसे मिला कर कुल वेतन ९४३ रु० हो जाय ।

२--इस वर्ष इस पर ९,१७,००० रु० का अतिरिक्त व्यय होगा। चूंकि इसका कोई प्राविधान इस वर्ष के आय-व्ययक में नहीं है, अतः इतने ही धन का अग्रिम राज्य आकस्मिक निधि से ले लिया गया है।

३--यह व्यय "२८--शिक्षा--आयोजनेतर--ख--माध्यमिक (ख)--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान--लड़कों के--आवर्तक-(अनुरक्षण)" से किया जायेगा।

४--यह आदेश वित्त विभाग को अशासकीय पत्र सं० इ०-१/१०१३-व्यस, दिनांक १६, मार्च १९६९ द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव।

सं० क/१७८३(१)-पन्द्रह ई०आई०सी०एफ०--३९

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव।

सं० क/१७८३(२)-पन्द्रह

प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:

(१) समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक।
(२) समस्त मंडलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिकायें।
(३) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
(४) वित्त (व्यय) विभाग।
(५) शिक्षा शाखा के समस्त विभागों को।
(६) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
राजेन्द्र वर्मा,
उप सचिव।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--४ एस० ई०-१९६९--८७०।